वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखाओं सहित)

2024-25

Annual Report

(Including Annual Accounts)

2024-25

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Agrinnovate India Limited

(A Government of India Enterprise)

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखा सहित)

2024-25

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडल

डॉ. हिमांशु पाठक
(03.03.2025 तक)

श्री संजय गर्ग

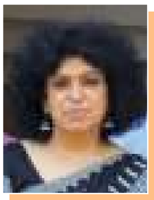

श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा

श्री सागर मेहरा

श्री सैमुअल प्रवीण कुमार

डॉ. नीरु भूषण

डॉ. अशोक दलवई
(11.08.2024 तक)

श्री जी. के. नागराज

श्री आनन्द मोहन अवस्थी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डॉ. प्रवीण मलिक

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री राहुल कुमार (31.12.2004 तक)
श्री आवेश यादव (07.01.2025 से)

कम्पनी सचिव
सुश्री धृति मदान

व्यवसाय विभाग
श्री कृष्ण गोपाल, व्यवसाय प्रबंधक
श्री ध्रुवा वी.सी., व्यवसाय प्रबंधक
श्री अश्ववीर सिंह पन्नू, व्यवसाय प्रबंधक
डॉ. भारती, सहायक व्यवसाय प्रबंधक
सुश्री लता, सहायक व्यवसाय प्रबंधक

वित्त विभाग
श्री दीपक कुमार, वरिष्ठ कार्यकारी (लेखा)

प्रशासन एवं मानव संसाधन विभाग
सुश्री स्वाती बिष्ट, वरिष्ठ कार्यकारी (प्रशासन)
सुश्री पूजा कथुरिया, कनिष्ठ अधिकारी (प्रशासन)

सूचना तकनीकी विभाग
श्री दिनेश कुमार, वरिष्ठ कार्यकारी (आई.टी.)

बैंकर्स
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उद्योग भवन, नई दिल्ली
केनेरा बैंक (पूर्व में सिंडिकेट बैंक),
एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैर्स सुधीर कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टेड एकाउन्टटेंट्स, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

पंजीकृत कार्यालय
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर,
डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली - 110012
फोन : 011 - 25842122

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड, जी-2, ए ब्लाक, एनएएससी कॉम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली 110012 द्वारा प्रकाशित। मै. रॉयल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-89/1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली 110028 द्वारा लेजरटाईप सेट एंव मुद्रित।

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
कम्पनी के प्रदर्शन पर एक नजर	1-9
निदेशक का प्रतिवेदन	10-36
तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण	37-64
स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	65-70
सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	71-84
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	85-86

डॉ मांगी लाल जाट
Dr Mangi Lal Jat

सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
Secretary, Department of Agricultural Research
and Education (DARE)
and Director General, Indian Council of
Agricultural Research (ICAR)
Krishi Bhawan, New Delhi 110 001

संदेश

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) नई किस्मों, जैवसूत्रीकरण, रोग नियंत्रण और रोकथाम के तरीके, कृषि तकनीकें विकसित करने के साथ-साथ कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन में सबसे आगे कार्य करता है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, भाकृअनुप और पार्टनर इंस्टीट्यूशन्स के नवाचारों को आंकता है, उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करता है और लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट को आसान बनाता है। यह बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन, नियामक अनुपालन (बायो-इनपुट, पशु/पशु चिकित्सा प्रौद्योगिकी के लिए), प्रौद्योगिकियों के मूल्य निर्धारण और मार्केट लिंकेज में भी मदद करता है। इस तरह, कृषि नवाचारों को बढ़ाने के लिए अनुसंधान संस्थानों और उद्योग (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) के बीच एक इंटरफेस के तौर पर काम करके, यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ उद्योग समझौता ज्ञापनों के बजाय कई आसान एग्रीमेंटों के जरिए कई संस्थाओं के प्रौद्योगिकियों तक पहुँच सकती हैं।

जैसे-जैसे भारत खेती को आधुनिक बनाने, डिजिटल/प्रिसिजन एग्री-टेक्नोलॉजी, बायोइकोनॉमी और वैल्यू-एडेड एग्री-प्रोसेसिंग जैसे पहल शुरू कर रहा है, एग्रीनोवेट एक जरूरी भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। भाकृअनुप/राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली के साथ अपने मजबूत संस्थागत संबंध का फायदा उठाकर, यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और साझेदारी को आसान बना सकता है, जिससे एग्री-इनोवेशन इकोसिस्टम को समर्थन मिल सके। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहला डिविडेंड पेआउट इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी दिखाता है; अगले चरणों में लाइसेंस्ड टेक्नोलॉजी की संख्या बढ़ाना, उद्योग में इसके अंगीकरण को बढ़ाना और किसान/उद्यमियों पर मापा जा सकने वाला प्रभाव दिखाना शामिल होगा।

एग्रीनोवेट को और ज्यादा जोशपूर्ण और दृष्टिगोचर बनाने के लिए एग्रीनोवेट के सभी मौजूदा और पुराने निदेशकों, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पूरी टीम को मेरी बधाई।

(एम. एल. जाट)
अध्यक्ष

एग्रीनोवेट
इंडिया
लिमिटेड

एग्रीनोवेट की एक झलक

(रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान)

"AquaBiz 2.0, an impactful event organized jointly by Agrinnovate India Limited & ICAR-CIFT in association with ICAR-IPM&T & National Fish Development Board of India at Kochi."

भारत सरकार का एक उद्यम एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn), कृषि में नवाचारों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने तथा 'अभिनव साझेदारियों की दुनिया' बनाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यह अनुसंधान संस्थानों और कृषि-उद्योग के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में काम करता है और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए लाइसेंसिंग के माध्यम से प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण को बढ़ावा देता है। कंपनी ने प्रतिवेदन अवधि के दौरान अपने सकल राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की है। मानकीकृत प्रोटोकॉल के साथ, एग्रीनोवेट ने भाकृअनुप के कई संस्थानों, उद्योग और किसानों को अंतिम हितधारकों के रूप में मदद की है, जिसमें विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों को लगभग 155 प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की गई हैं जिससे कुल 10.51 करोड़ रुपयों (रॉयल्टी सहित) का सकल राजस्व प्राप्त हुआ है।

भाकृअनुप और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए दिशा-निर्देशों को एग्रीनोवेट के साथ सुसंगत बनाया गया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों/विषयों में व्यावसायीकरण के लिए गुंजाइश बढ़ गई है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड अब साझेदारी के माध्यम से नवाचार और क्षमता संचालित कृषि विकास को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाने की स्थिति में है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की प्रगति रिपोर्ट:

भाकृअनुप के कुल 98 अनुसंधान संस्थानों में से केवल 69 संस्थान ही एग्रीनोवेट से जुड़े हैं। इन 69 संस्थानों ने कुल 741 प्रौद्योगिकियों को सौंपा है, जिनमें से 155 प्रौद्योगिकियों का स्थानीय, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय उद्योगों में सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया गया है। इसके अलावा, एग्रीनोवेट से जुड़े 2 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की 6 प्रौद्योगिकियों का भी उद्योग ग्राहकों को लाइसेंस दिया गया है। संस्थानों की संख्या,

स्थापना के बाद से सौंपी गई और व्यवसायीकृत प्रौद्योगिकियों का सारांश, विषयवस्तु प्रभागों के अनुसार नीचे दिया गया है। (तालिका-।)

विषयवस्तु प्रभाग का नाम	जुड़े हुए संस्थानों की संख्या	दिनांक 31.3.24 तक सौंपी गई प्रौद्योगिकियां	वर्ष 2024-25 के दौरान सौंपी गई प्रौद्योगिकियां	वर्ष 2024-25 के दौरान लाईसेंस दी गई प्रौद्योगिकियां
कृषि अभियांत्रिकी	5	89	10	6(3)
पशु विज्ञान	17	196	35	16(2)
फसल विज्ञान	20	259	66	34 (12)
मात्स्यिकी विज्ञान	6	70	15	16 (12)
बागवानी विज्ञान	15	102	30	76 (8)
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	6	19	3	1(1)
उप कुल	69	735	159	149 (38)
राज्य कृषि विश्वविद्यालय	9	6	2	6 (4)
सकल योग	78	741	161	155 (42)

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 155 प्रौद्योगिकियों के लिए 131 टीएलए निष्पादित किए गए हैं, जिससे कुल 10.51 करोड़ रुपये का राजस्व और जीएसटी प्राप्त हुआ है। ये प्रौद्योगिकियां फसल विज्ञान (30.3%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (10.3%), बागवानी (49%) और मत्स्य पालन (10.3%) से उभरी हैं। (चित्र I)

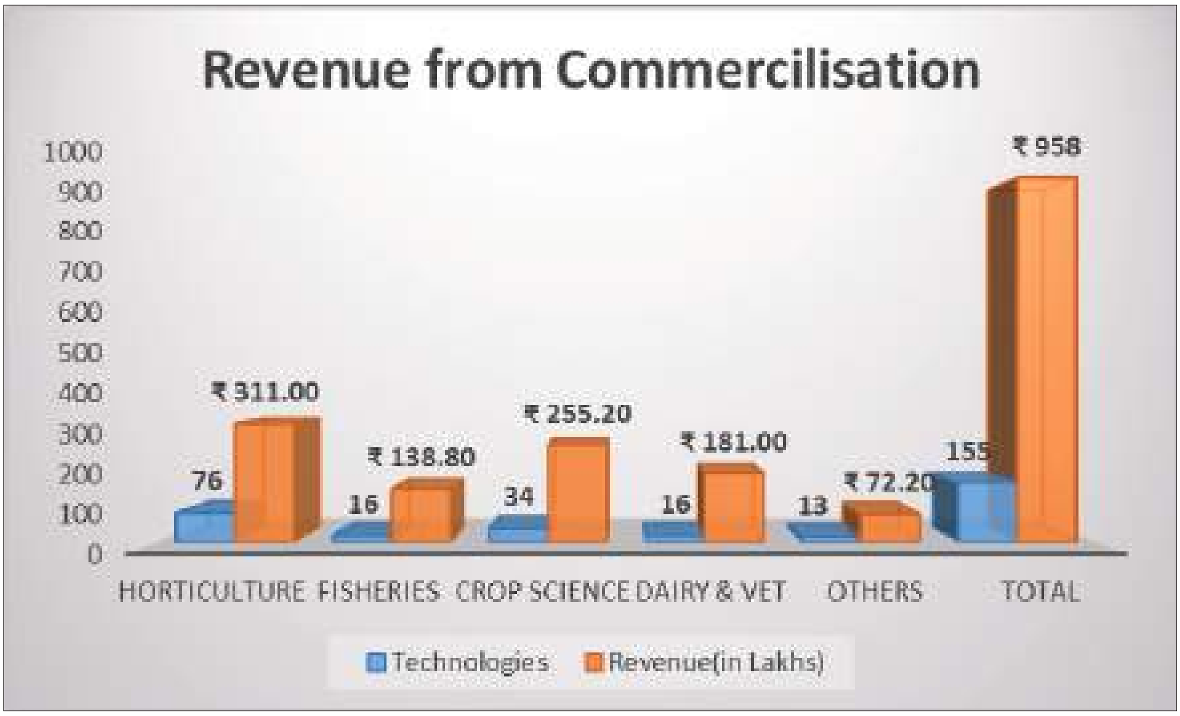

विषयवस्तु क्षेत्रवार वाणिज्यिकरण और प्रौद्योगिकियों के लाइसेंस से उत्पन्न राजस्व (लाखों में)

व्यवसाय विकास गतिविधियाँ

एग्रीनोवेट और उनकी टीम के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए वाणिज्यिक अवसरों का व्यापक विस्तार हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

क्षेत्रीय हितधारक परामर्श बैठकें

एक्वाबिज 2.0: भारतीय मत्स्य उद्योग के लिए चुनौतियाँ एवं अवसर

AquaBiz 2.0 का आयोजन दिनांक 18 मार्च 2025 को केरल के कोच्चि में सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र के मुख्य हितधारकों को एक साथ लाया गया। इसे आईसीएआर – सीआईएफटी के जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और एग्रीबिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर ने एग्रीइनोवेट इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त रुप से आयोजित किया था और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसे सपोर्ट किया था। इस इवेंट ने सतत मात्स्यिकी विकास के लिए अनुसंधान, उद्योग और नीति को जोड़ने के लिए एक गतिशील मंच के तौर पर काम किया।

मुख्य विशेषताएं

- प्रदर्शनी और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन: प्रदर्शनी में आईसीएआर के 8 मत्स्य पालन संस्थानों और आईसीएआर-सीआईएफटी के पांच इनक्यूबेटियों के नवाचारों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें वाणिज्यिकरण के लिए तैयार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डाला गया।
- उद्योग और उदेयमिता की जानकारी: पैनल डिस्कशन में समुद्री खाद्य उद्योग की चुनौतियों, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम और स्टार्टअप की कोशिशों पर चर्चा हुई। केरल स्टार्टअप मिशन, NABARD, SBI, NFDB और SEAI के प्रतिनिधियों ने फंडिंग, इनक्यूबेशन और मार्केट ट्रेंड्स पर अपनी जानकारी शेयर की।
- उद्यमियों की सफलता की कहानियाँ: जेवा इकोसिस्टम्स, फिशआई और जरीन गौरमेट के संस्थापकों ने अपने अनुभवों को साझा किया और सतत जलकृषि के नए उद्यमों को बढ़ाने में इनक्यूबेशन सपोर्ट की भूमिका पर जोर दिया।
- नीति एवं सहयोग पर जोर: डॉ. तरुण श्रीधर और श्री एलेक्स निनान समेत प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए नीति संरेखण, गुणवत्ता आश्वासन और निर्यात तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य संस्तुतियां

- मत्स्यपालन नवाचार कार्य बल के माध्यम से अनुसंधान-उद्योग संबंधों को मजबूत करना।
- भाकृअनुप संस्थानों के साथ साझेदारी में एग्रीइनोवेट इंडिया के माध्यम से प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण में तेजी लाना।
- भाकृअनुप मत्स्य प्रौद्योगिकियों का एक समेकित डेटाबेस विकसित करना।
- स्टार्टअप्स और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाएँ।
- जलवायु-स्मार्ट प्रथाओं को बढ़ावा देना और निर्यात नीतियों में सुधार करना।

समिट ने भारत के मात्स्यिकी सेक्टर के भविष्य को आगे बढ़ाने में सहयोग, नवाचार और उद्यमिता के महत्व को और मजबूत किया। एग्रीनोवेट इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को आसान बनाने और एग्री-बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. कई बड़ी संस्थाओं ने पॉलिसी पर चर्चा, सहयोग और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए एग्रीनोवेट विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया। इनमें से कुछ इवेंट्स, जिनमें एग्रीनोवेट ने अलग-अलग तरह से भाग लिया, उनकी जानकारी नीचे दी गई है:-

- फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में आयोजित IP लीग 3.0 (इन्वेंटर-इन्वेस्टर मीट) में भाग लिया (20.04.2024)
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिनांक 30.04.2024 को भाकृअनुप - राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर द्वारा आयोजित विश्व IP दिवस के मौके पर "प्रौद्योगिकियों के नवाचार और वाणिज्यिकरण में एग्रीनोवेट की भूमिका" पर विशेषज्ञ के तौर पर व्याख्यान दिया। (30 अप्रैल - 02 मई 2024)
- OUAT, भुवनेश्वर, ओडिशा में ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की राज्य स्तरीय अनुसंधान एवं विस्तार परिषद (SLREC) की बैठक के तकनीकी सत्र के दौरान "कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण" विषय पर विशेषज्ञ वार्ता प्रस्तुत किया (27.05.2024)।
- भाकृअनुप, नई दिल्ली की बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट द्वारा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भाकृअनुप का क्षेत्रीय केन्द्र, उमियम - मेघालय के सहयोग से आयोजित IP सप्ताह में 'कृषि में प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण' विषय पर रिसोर्स पर्सन के तौर पर व्याख्यान दिया। (11.06.2024)
- भाकृअनुप, नई दिल्ली की बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट द्वारा भाकृअनुप - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में कृषि में प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण विषय पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया (19.06.2024)।
- भाकृअनुप, नई दिल्ली की बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन यूनिट और आईसीएआर-राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान, बारामती, पुणे द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित बौदिधिक सम्पदा जागरूकता कार्यक्रम में "कृषि में प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण" पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया (26.06.2024)।
- भाकृअनुप के बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन यूनिट ने NRM इंस्टिट्यूट के लिए वर्चुअल मोड में IPR पर आयोजित एक पांच दिवसीय ऑनलाइन जागरुकता प्रोग्राम के पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम बौदिधिक सम्पदा और उससे जुड़े पहलुओं जैसे कॉपीराइट, डिजाइन, पेटेंट, प्लांट वैरायटी, ट्रेडमार्क और टेक्नोलॉजी-लाइसेंसिंग एक्टिविटी के बारे में गहराई से जागरुकता फैलाने के लिए आयोजित किया था। (27.06.2024)।
- UAS रायचूर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए रिसोर्स पर्सन के तौर पर कार्य किया, ताकि पेटेंटिंग और उसके कमर्शियलाइजेशन के प्रोसेस को बेहतर बनाने हेतु साइंटिफिक स्टाफ के साथ शेयर और चर्चा की जा सके। (01-03 अगस्त 2024)।
- बागवानी विज्ञान संस्थानों के लिए बौदिधिक सम्पदा सप्ताह कार्यक्रम में वर्चुअल मोड के जरिए 'कृषि में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन' विषय पर अतिथि व्याख्यान दिया (14.08.2024)।
- नागालैंड के भाकृअनुप - राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र में इंडस्ट्री मीट और टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव के दौरान विशेष अतिथि के तौर पर भाग लिया और मिथुन सेक्टर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के तरीकों पर अपने विचार शेयर किए (30.08.2024)।
- ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में हुए दूसरे मिथुन दिवस और "भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड मिथुन खेती" विषय पर नेशनल सेमिनार में व्याख्यान दिया (01-02 सितंबर 2024)।

- भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में भाकृअनुप के बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन यूनिट द्वारा वर्चुअली आयोजित बौदिधिक सम्पदा जागरुकता कार्यक्रम के दौरान "एग्रीकल्चरल इनोवेशन की टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग" पर चर्चा की। (06.09.2024)।
- हॉर्टिकल्चर साइंसेज में टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग पर पैनलिस्ट के तौर पर वर्चुअल मोड से लीड टॉक दी (13.09.2024)।
- ISPGR ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर, भाकृअनुप - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो और दूसरे इंटरनेशनल और नेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर, उमियम, मेघालय में मैनेजिंग एग्रो-बायोडायवर्सिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया (NCMBN-2024) विषय पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के 'तकनीकी सत्र IV: एक्सेस, एक्सचेंज, बेनिफिट शेयरिंग और IPR सिस्टम्स - पॉलिसी कंसीडरेशन्स (प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज) पर इंटरैक्टिव सेशन' के दौरान 'पब्लिक रिसर्च सिस्टम्स के तहत प्लांट वैरायटीज का कमर्शियलाइजेशन' पर व्याख्यान दिया। (23.10.2024)।
- भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद में "भारत में सतत कृषि स्टार्टअप बनाना" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के पैनल चर्चा में एक विशेषज्ञ (को-चेयर) के तौर पर शामिल हुए। गाइडेंस और मोरल सपोर्ट के लिए प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस की एडवाइजरी कमेटी मेंबर के तौर पर भी कार्य किया। (13.11.2024)।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ हिल फार्मिंग (IAHF) द्वारा "हिल एग्रो-इकोसिस्टम: सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने के लिए चुनौतियाँ और अवसर" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में "NEH रीजन के हिल एग्रो-इकोसिस्टम में इनोवेशन पोटेंशियल और टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन" विषय पर एक कीनोट व्याख्यान दिया (29.11.2024)।
- आचार्य एन. जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (ANGRAU), आंध्र प्रदेश द्वारा "NARS टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइजेशन के अवसर" विषय पर आयोजित वेबिनार में विशेषज्ञ वक्ता के तौर पर भाग लिया (20.12.2024)।
- दिनांक 27.12.2024 को UAS, धारवाड़ में आयोजित नेशनल एग्री-स्टार्टअप एक्सपो-ए मेगा इवेंट (NASE-2024) में स्टार्टअप्स द्वारा NARS टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग के अवसरों पर स्टार्टअप फाउंडर्स को संबोधित किया। (26-30 दिसंबर 2024)
- भाकृअनुप-केंद्रीय पटसन और संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), बैरकपुर में आयोजित "जूट उद्योग हितधारक बैठक" में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया (02.01.2025)।
- भाकृअनुप-राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा अपने 87वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा महोत्सव (एनएनएफएफ)-2025 के दौरान उद्यमियों की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया (03.01.2025)।
- दिनांक 16-23 जनवरी 2025 के दौरान भाकृअनुप के सभी फसल विज्ञान संस्थानों की प्रतिभागिता वाले ऑनलाइन बौदिधिक सम्पदा जागरुकता सप्ताह में ICAR-IIAB, रांची के डायरेक्टर डॉ. सुजय रक्षित की अध्यक्षता में टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग पर सत्र में ऑनलाइन जागरुकता कार्यक्रम में स्पीकर के तौर पर भाग लिया (22.01.2025)।
- बायोनेस्ट एग्री इनोवेशन सेंटर, UAS, GKVK बेंगलुरु द्वारा "एग्री-टेक कनेक्ट: एकेडेमिया, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर के बीच टेक्नोलॉजी का क्यूरेशन और ट्रांसफर" विषय पर आयोजित एक ऑनलाइन वेबिनार में स्पीकर के तौर पर भाग लिया। इसका विषय था: "इनोवेशन और सहयोग को जोड़ना: एग्रीकल्चर में सफल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और असरदार पार्टनरशिप बनाने की स्ट्रैटेजी" (28.01.2025)।
- बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, भाकृअनुप, नई दिल्ली, और जोनल टेक्नोलॉजी

मैनेजमेंट - एग्रीबिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर, आईसीएआर-सीआईएफटी, कोच्चि, केरल द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित एक ऑनलाइन जागरुकता कार्यक्रम 'AquaIP' में रिसोर्स पर्सन के तौर पर भाग लिया और 'एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन' टॉपिक पर 1 घंटे का लेक्चर दिया। (29.01.2025)

- ZTM-ABI सेंटर, आईसीएआर-सीआईएफटी, कोच्चि और बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, भाकृअनुप, नई दिल्ली द्वारा आयोजित Aqua IP: ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम की पैनल चर्चा में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया (30.01.2025)।
- बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, भाकृअनुप, नई दिल्ली, भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून और ICAR-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर विमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस वीक के अवसर पर आयोजित व्याख्यान श्रंखला में "एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन" पर एक एक्सपर्ट लेक्चर दिया (31.01.2025)।
- भाकृअनुप के बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन, देहरादून और ICAR-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर विमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस वीक के अवसर पर आयोजित व्याख्यान श्रंखला में "एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन" पर एक एक्सपर्ट लेक्चर दिया (31.01.2025)।
- भाकृअनुप-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर में 'टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कमर्शियलाइजेशन और एग्री-इनोवेट इंडिया इनिशिएटिव के लिए स्ट्रैटेजी' विषय पर सिंपोजियम-कम-वर्कशॉप में विशेषज्ञ वार्ता और चर्चा में भाग लिया और एग्रीनोवेट की TCAC बैठक में शामिल हुए। (03-05 फरवरी 2025)
- दिनांक 22.02.2025 को इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरफेस के दौरान टेक्निकल सेशन में सेशन कोऑर्डिनेटर के तौर पर भाग लिया और 21-22 फरवरी, 2025 के दौरान GBPUAT, पंतनगर में XVII एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस, 2025 द्वारा आयोजित स्टार्टअप ट्रैक में 21.02.2025 को भाग लिया। इसे XVII एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस ने मिलकर आयोजित किया था। (21-22 फरवरी 2025)
- नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NSAI) द्वारा आयोजित 13वें इंडियन सीड कांग्रेस 2025 में स्पेशल इनवाइटी के तौर पर भाग लिया (24.02.2025)।
- भाकृअनुप-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु में आयोजित नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2025 में विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया, जिसका थीम था "विकसित भारत के लिए बागवानी: पोषण, सशक्तिकरण और आजीविका"। प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण के लिए आईसीएआर-एनबीएआईआर और आईसीएआर-एनआईवीईडीआई के साथ मीटिंग में भी शामिल हुए। (28 फरवरी-1 मार्च, 2025)।
- इंडियन फेडरेशन ऑफ एनिमल हेल्थ कंपनीज (INFAH) द्वारा आयोजित नेशनल सेमिनार में एनिमल हेल्थ ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पैनल चर्चा में अध्यक्ष के तौर पर भाग लिया। इस सेमिनार का विषय था: "विकसित भारत के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एनिमल हेल्थ और इकोनॉमिक्स को मजबूत करना" (20.03.2025)।
- IGFRI, सदर्न रीजनल रिसर्च स्टेशन, धारवाड़ द्वारा आयोजित इनोवेटर्स/इंडस्ट्री मीट में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया और 'ICAR टेक्नोलॉजीज की लाइसेंसिंग' पर चर्चा की। (25.03.2025)।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर तीसरी जागरूकता बैठक

दिनांक 6 मार्च 2025 को एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों और कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर तीसरी जागरुकता बैठक आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित मुद्दों पर था -

1. POSH अधिनियम के प्रति जागरुकता।
2. यौन उत्पीड़न को नियंत्रित करने वाले कानून
3. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न माने जा सकते हैं
4. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न नहीं माने जाते हैं
5. कार्यस्थल पर और बाहर कर्मचारियों का व्यवहार
6. कर्मचारियों की जिम्मेदारी
7. नियोक्ता की जिम्मेदारियाँ
8. इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को उपलब्ध अधिकार।
9. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
10. जांच की प्रक्रिया
11. यौन उत्पीड़न के लिए सजा
12. झूठी शिकायतों के नतीजे
13. IC कमेटी वगैरह के बारे में जागरूकता।

कार्यक्रम में आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य और एग्रीनोवेट के कार्मिकों की सक्रिय प्रतिभागिता रही। यह सत्र इंटरैक्टिव था जिसमें कार्मिकों द्वारा उठाए गए सभी सवालों का आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों ने सही जवाब दिया।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के जरिए एग्रीटेक हस्तांतरणों की सफलता की चुनी हुई कहानियाँ:

1. आईसीएआर-सीफा प्रौद्योगिकी "CIFAX"

भारत में एक्वाकल्चर एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, लेकिन बीमारियों के फैलने, खासकर अल्सरेटिव इन्फेक्शन ने मीठे पानी में मछली पालन पर बहुत बुरा असर डाला है। इस चुनौती से निपटने के लिए, भाकृअनुप-केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान (ICAR-CIFA) ने CIFAX बनाया, जो संस्थान की पहली कमर्शियल टेक्नोलॉजी है। यह रसायनिक सूत्रण मीठे पानी की मछलियों में अल्सरेटिव बीमारियों को प्रभावशाली तरीके से रोकता है और उपचार करता है, जिससे उनकी उत्तरजीविता दर और उत्पादकता बेहतर होती है।

CIFAX से पहले, मत्स्यपालक किसान बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से अत्यधिक मार्त्यता दर से जूझते थे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता था। पुराने उपचार महंगे और अक्सर बेअसर होते थे। CIFAX एक साइंटिफिक रूप से प्रमाणित, इस्तेमाल में आसान और सस्ता सॉल्यूशन बनकर सामने आया, जिससे बीमारियों का फैलना काफी कम हो गया।

इसके वाणिज्यिकरण के बाद से, CIFAX को पूरे भारत में मत्स्यपालक किसानों और जलकृषि कंपनियों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। इसके नतीजे शानदार रहे हैं: किसानों ने बताया है कि मछलियों की मौत कम हुई है, पैदावार बेहतर हुई है और मुनाफा ज्यादा हुआ है। इसका असर सिर्फ आर्थिक फायदों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अधिक सेहतमंद मछलियाँ जलकृषि उद्योग की निरन्तरता में मदद करती हैं।

ICAR-CIFA की पहली सफल वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी के तौर पर, CIFAX ने जलकृषि स्वास्थ्य प्रबंधन में भावी नवाचारों के लिए एक बेंचमार्क सेट किया है।

2. आईसीएआर-एनडीआरआई दूध में मिलावट का पता लगाने की तकनीक

ICAR–NDRI की पेपर स्ट्रिप से दूध में मिलावट को त्वरित रुप से पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी को भारत भर में कई कंपनियों को लाइसेंस मिलने के बाद जबरदस्त वाणिज्यिक सफलता मिली। यूरिया, न्यूट्रलाइजर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन, लवण, सॉर्बिटोल और यहाँ तक कि मैस्टाइटिस जैसी प्रमुख मिलावटों का तुरंत पता लगाने के लिए डिजाइन की गई इन स्ट्रिप्स ने जाने-माने डेयरी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स और नई एग्री-टेक फर्मों, दोनों का ध्यान आकर्षित किया।

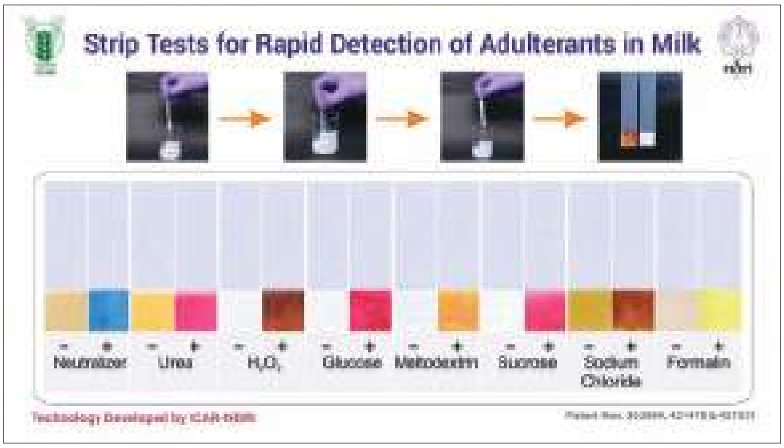

दूध में मिलावट का तेजी से पता लगाने के लिए स्ट्रिप टेस्ट

3. लेपिडोप्टेरान के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए देसी BtG4 लिक्विड फॉर्मूलेशन

आईसीएआर-एनबीएआईआर ने बैसिलस थुरिंजिएंसिस (Bt) के देसी जहरीले स्ट्रेन का लिक्विड फॉर्मूलेशन बनाने की टेक्नोलॉजी बनाई है। इसे ऐसे मीडियम का इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया है जो ज्यादा से ज्यादा स्पोरुलेशन, क्रिस्टल बनना और पानी पर आधारित एक स्थिर बहने वाला फॉर्मूलेशन सुनिश्चित करता है। यह नवाचार किसानों को पर्यावरण के लिए सुरक्षित तरीके से बड़े लेपिडोप्टेरान कीटों के प्रबंधन करने में पत्तियों पर स्प्रे करने का एक भरोसेमंद सॉल्यूशन देता है।

खेत मूल्यांकन से इसका जबरदस्त असर दिखा, NBAIR BtG4 / 2% ने अरहर में सिर्फ 4.04% फली को नुकसान पहुँचाया, साथ ही परीक्षण किए गए उपचार से सबसे ज्यादा अनाज की पैदावार भी दी। इसका निष्पादन देसी Bt स्ट्रेन की रसायनिक कीटनासक के असरदार विकल्प के तौर पर क्षमता को दिखाता है, जो बिना किसी अवशेष के खेती और ज्यादा सेहतमंद इकोसिस्टम में मदद करता है।

इस प्रौद्योगिकी को तीन कंपनियों को कमर्शियलाइज किया गया है, जिससे किसानों को यह ज्यादा आसानी से मिल सकेगी और अलग-अलग फसल प्रणालियों में सतत जैवनियंत्रण सॉल्यूशन को अपनाने में मदद मिलेगी।

माइक्रोबियल घटक:
बैसिलस थुरिंजिएंसिस var.
kurstakistrainNBAIR-BtG4

4. कुफरी चिपसोना-5

चिप और फ्लेक प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त भारतीय आलू की किस्मों की संख्या कम है, और प्रोसेसर के पास विदेशी प्रोसेसिंग किस्मों को चुनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए, आईसीएआर-सीपीआरआई ने चिप और फ्लेक बनाने के लिए उपयुक्त एक देसी, ज्यादा पैदावार वाली, मीडियम-मैच्योर आलू की किस्म विकसित की है। यह मध्यम परिपक्वता (90-100 दिन), मेन सीजन, ज्यादा पैदावार वाली प्रोसेसिंग आलू की किस्म है जो हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या इसी तरह की एग्रो-इकोलॉजी में खेती के लिए उपयुक्त है।

इसमें बहुत अच्छी कीपिंग क्वालिटी होती है और कंद में ड्राई मैटर (20%) ठीक-ठाक होता है और शुगर कम होती है (80% प्रोसेसिंग ग्रेड कंद)।

अब तक, इस टेक्नोलॉजी को आठ पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स को नॉन-एक्सक्लूसिवली लाइसेंस दिया गया है और उम्मीद है कि इससे दुनिया भर के दूसरे जोशीले स्टेकहोल्डर्स के लिए फायदेमंद बिजनेस के मौके बनेंगे।

(प्रवीण मलिक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर अपनी चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अपार प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय हाइलाइट्स (स्टैंडअलोन और समेकित)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी का प्रदर्शन इस प्रकार है:

(रुपए सैकड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	परिचालन से राजस्व	10,51,210	7,40,457
2.	अन्य आय	7,11,459	6,40,220
3.	कुल व्यय*	10,19,885	7,44,887
4	सकल लाभ	7,42,785	6,35,790
5.	कर हेतु प्रावधान	1,86,724	1,58,235
6.	कर के उपरान्त शुद्ध लाभ	5,55,784	4,74,117

** कमर्शियल टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट के हिस्से का रेमिटेंस भी शामिल है।*

कंपनी की 31 मार्च 2025 तक की बैलेंस शीट और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण तैयार किया गया है और इसे अनुमोदन के लिए रखा गया है।

परिचालन सारांश

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.41 करोड़ रुपये के मुकाबले 10.51 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व प्राप्त किया है। पिछले वर्ष 2023-24 के 0.02 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान मूल्यह्रास 0.04 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 5.56 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.71 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति व्यवसाय प्रबंधक राजस्व 250.49 लाख रुपये से संशोधित कर 350.40 लाख रुपये किया गया।

कंपनी के मामलों की स्थिति

1. कंपनी विभिन्न आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने/लाइसेंस देने में सक्रिय रूप से शामिल रही है;
2. नई टेक्नोलॉजी के विकास या आईसीएआर के मौजूदा IPs में सुधार के लिए साझेदारी के लिए सहयोग को बढ़ावा देना।
3. प्रौद्योगिकी को सक्रिय रुप से प्रमोट करना, फिर उन्हें टेक्नो-कमर्शियल दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना,

और इस एक्सरसाइज के लिए बाजार विश्लेषण को बेस बनाकर उनकी वैल्यूएशन करना।

4. विभिन्न हितधारकों को संगठन के साथ उपलब्ध टेक्नोलॉजी, IPs और PPP मैकेनिज्म के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना।

प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के माध्यम से राजस्व योगदान

वर्ष 2024–25 के दौरान, एग्रीनोवेट ने आईसीएआर के कई संस्थानों को अच्छे से मदद की और कुल 155 प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरण करने में मदद की, जिससे 10.51 करोड़ रुपये (रॉयल्टी मिलाकर) का सकल राजस्व अर्जित किया। ये प्रौद्योगिकियां फसल विज्ञान (30.3%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (10.3%), बागवानी (49%) और मात्स्यिकी (10.3%) से सामने आई।

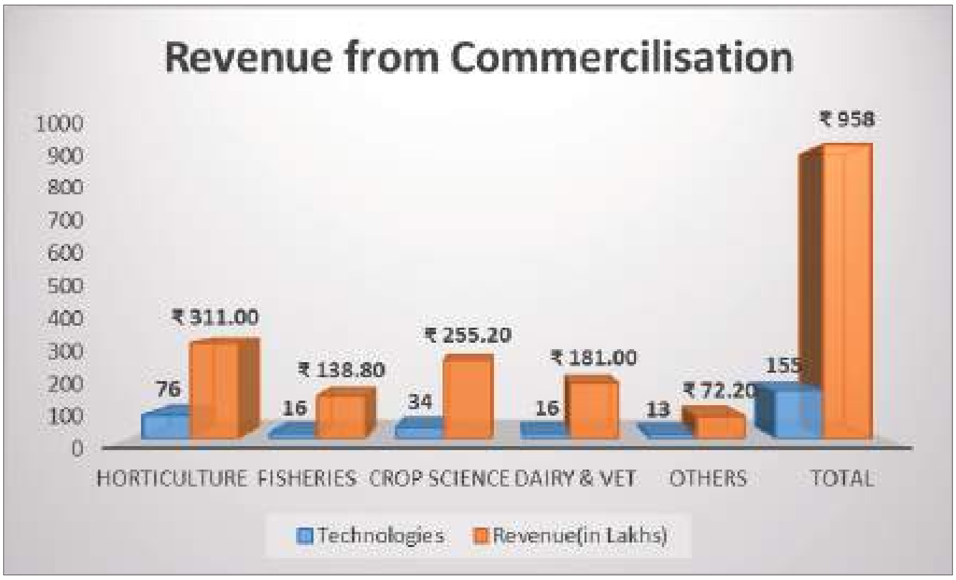

एग्रीनोवेट का प्रयास है कि और अधिक आईसीएआर संस्थानों को शामिल किया जाए और इस तरह वाणिज्यिकरण के लिए प्रौद्योगिकी बेस को बढ़ाया जाए। इसके चलते, एग्रीनोवेट को 66 संस्थानों और 9 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से लाइसेंस के लिए लगभग 600+ प्रौद्योगिकियां दी गई हैं।

हस्तांतरित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों को 10.51 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) की सकल राजस्व प्राप्ति के साथ 155 प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित करने में सक्षम रही है।

वाणिज्यिकृत 155 प्रौद्योगिकियों में से, महत्वपूर्ण बाजार प्रभाव और मांग एवं उच्च मूल्य वाली प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी एवं संस्थान का नाम	ग्राहकों की संख्या	कर छोड़कर मूल्य (लाखों में)
1.	आईसीएआर–आईएआरआई एचटी ट्रेट डॉनर राइस जीनोटाइप	2	60
2.	आलू के छोटे कंद उत्पादन के लिए आईसीएआर–सीपीआरआई एरोपोनिक्स प्रौद्योगिकी	12	97.75

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी एवं संस्थान का नाम	ग्राहकों की संख्या	कर छोड़कर मूल्य (लाखों में)
3.	ICAR-CIFA CIFAX, मीठेजल की मछलियों की अल्सरेटिव बीमारियों के खिलाफ रसायनिक सूत्रण	2	75
4.	स्मार्ट खेती के लिए आईसीएआर-सीटीसीआरआई इलेक्ट्रॉनिक फसल आईओटी डिवाइस	1	15
5.	आईसीएआर-आईआईओआर एक पॉलीमर संरचना और फसल के लिए दवा वितरण वाहक के रूप में इसकी तैयारी की प्रक्रिया	2	37.5
6.	आईसीएआर-आईएआरआई पूसा एसटीएफआर मीटर मृदा परीक्षण किट मृदा के 14 महत्वपूर्ण मापदंडों का विश्लेषण करती है	3	30
7.	आईसीएआर-एनबीपीजीआर द्वारा अनाज ऐमारैंथ (ऐमारैंथस हाइपोकॉन्ड्रिएकस) के जीनोम वाइड 64के एसएनपी चिप का डिजाइन और विकास	1	10
8	बकरी चेचक से बचाव के लिए आईसीएआर-आईवीआरआई का बकरी चेचक टीका	1	25
9	आईसीएआर-एनडीआरआई ने दूध में यूरिया, न्यूट्रलाइजर, सुक्रोज, सोर्बिटोल, ग्लूकोज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, माल्टोडेक्सट्रिन, सब-क्लिनिकल और क्लिनिकल मास्टिटिस जैसी मिलावटों का पता लगाने के लिए 9 तकनीकी किट विकसित की है।	1	36.97
10	आईसीएआर-आईआईएमआर और जीबीपीयूएटी सोरघम चारा हाइब्रिड - सीएसएच 43 एमएफ	3	30
11	आईसीएआर-एनआरसीई लुम्पी-प्रोवैक इंड (मवेशियों के लिए गांठदार त्वचा रोग वैक्सीन)	1	75
12	आईसीएआर-सीआईएसएच आईसीएआर बायो-इम्यूनाइजर (केले के टीसी पौधों का इन विट्रो जैव-टीकाकरण)	1	18
13	आईसीएआर-एनआईबीपी बीटी बैंगन इवेंट 142 withcry1Fa1 जीन का पता लगाने के लिए पीसीआर और रियल-टाइम पीसीआर	1	30
14	मछली के लिए आईसीएआर-सीआईएफए का स्टार्टर, ग्रोअर और ब्रूडर फीड	1	18

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 87 टेक्नो कमर्शियल असेसमेंट बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें से 17 बैठकें निम्नलिखित संस्थानों के साथ भौतिक रूप से आयोजित की गईं:

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बैठक का दिनांक
1.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र	30.04.2024
2.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार	04.05.2024
3.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम	23.06.2024
4.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	12.08.2024
5.	भाकृअनुप - केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	05.09.2024
6.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, रांची	29-30 अक्टूबर 2024
7.	भाकृअनुप - केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	18.11.2024
8.	भाकृअनुप - भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	28.11.2024
9.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धरवाड़	26-30 दिसम्बर 2024

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बैठक का दिनांक
10.	भाकृअनुप - केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	02.01.2025
11.	भाकृअनुप - केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर	04.02.2025
12.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	10.02.2025
13.	महाराष्ट्र पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर	18.02.2025
14.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार	07.03.2025
15.	भाकृअनुप - काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तूर	11.03.2025
16.	भाकृअनुप - केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	21.03.2025
17.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	26.03.2025

एग्रीनोवेट की प्रचार गतिविधियाँ

एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनके टीम के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: -

1. क्षेत्रीय हितधारक परामर्श बैठकें:

- दिनांक 18 मार्च 2025 को कोच्चि, केरल में क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन-कृषि व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्र (जेडटीएम-एबीआई), आईसीएआर-सीआईएफटी, आईपी एंड टीएम यूनिट, आईसीएआर, नई दिल्ली के सहयोग से 'मत्स्य पालन और जलीय कृषि नवाचारों पर एक्वाबिज 2.0 - बिजनेस मीट' का आयोजन किया गया।

2. कई बड़ी संस्थाओं ने भी एग्रीनोवेट को पॉलिसी पर चर्चा, सहयोग और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित किया। इनमें शामिल हैं:-

- फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में IP लीग 3.0 (इन्वेंटर-इन्वेस्टर मीट) में भाग लिया (20.04.2024)
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिनांक 30.04.2024 को भाकृअनुप - राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर द्वारा आयोजित विश्व IP दिवस के मौके पर "प्रौद्योगिकियों के नवाचार और वाणिज्यिकरण में एग्रीनोवेट की भूमिका" पर विशेषज्ञ के तौर पर व्याख्यान दिया। (30 अप्रैल - 02 मई 2024)
- OUAT, भुवनेश्वर, ओडिशा में ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की राज्य स्तरीय अनुसंधान एवं विस्तार परिषद (SLREC) की बैठक के तकनीकी सत्र के दौरान "कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण" विषय पर विशेषज्ञ वार्ता प्रस्तुत किया (27.05.2024)।
- भाकृअनुप, नई दिल्ली की बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट द्वारा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भाकृअनुप का क्षेत्रीय केन्द्र, उमियम - मेघालय के सहयोग से आयोजित IP सप्ताह में 'कृषि में प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण' विषय पर रिसोर्स पर्सन के तौर पर व्याख्यान दिया। (11.06.2024)
- भाकृअनुप, नई दिल्ली की बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट द्वारा भाकृअनुप - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में कृषि में प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण विषय पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया (19.06.2024)।
- भाकृअनुप, नई दिल्ली की बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन यूनिट और आईसीएआर-राष्ट्रीय

अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान, बारामती, पुणे द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित बौदिधिक सम्पदा जागरूकता कार्यक्रम में "कृषि में प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण" पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया (26.06.2024)।

- भाकृअनुप के बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन यूनिट ने NRM इंस्टिट्यूट के लिए वर्चुअल मोड में IPR पर आयोजित एक पांच दिवसीय ऑनलाइन जागरुकता प्रोग्राम के पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम बौदिधिक सम्पदा और उससे जुड़े पहलुओं जैसे कॉपीराइट, डिजाइन, पेटेंट, प्लांट वैरायटी, ट्रेडमार्क और टेक्नोलॉजी-लाइसेंसिंग एक्टिविटी के बारे में गहराई से जागरुकता फैलाने के लिए आयोजित किया था। (27.06.2024)।
- UAS रायचूर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए रिसोर्स पर्सन के तौर पर कार्य किया, ताकि पेटेंटिंग और उसके कमर्शियलाइजेशन के प्रोसेस को बेहतर बनाने हेतु साइंटिफिक स्टाफ के साथ शेयर और चर्चा की जा सके। (01-03 अगस्त 2024)।
- बागवानी विज्ञान संस्थानों के लिए बौदिधिक सम्पदा सप्ताह कार्यक्रम में वर्चुअल मोड के जरिए 'कृषि में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन' विषय पर अतिथि व्याख्यान दिया (14.08.2024)।
- नागालैंड के भाकृअनुप - राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र में इंडस्ट्री मीट और टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव के दौरान विशेष अतिथि के तौर पर भाग लिया और मिथुन सेक्टर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के तरीकों पर अपने विचार शेयर किए (30.08.2024)।
- ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में हुए दूसरे मिथुन दिवस और "भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड मिथुन खेती" विषय पर नेशनल सेमिनार में व्याख्यान दिया (01-02 सितंबर 2024)।
- भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में भाकृअनुप के बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन यूनिट द्वारा वर्चुअली आयोजित बौदिधिक सम्पदा जागरुकता कार्यक्रम के दौरान "एग्रीकल्चरल इनोवेशन की टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग" पर चर्चा की। (06.09.2024)।
- हॉर्टिकल्चर साइंसेज में टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग पर पैनलिस्ट के तौर पर वर्चुअल मोड से लीड टॉक दी (13.09.2024)।
- ISPGR ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर, भाकृअनुप - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो और दूसरे इंटरनेशनल और नेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर, उमियम, मेघालय में मैनेजिंग एग्रो-बायोडायवर्सिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया (NCMBN-2024) विषय पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के 'तकनीकी सत्र IV: एक्सेस, एक्सचेंज, बेनिफिट शेयरिंग और IPR सिस्टम्स - पॉलिसी कंसीडरेशन्स (प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज) पर इंटरैक्टिव सेशन' के दौरान 'पब्लिक रिसर्च सिस्टम्स के तहत प्लांट वैरायटीज का कमर्शियलाइजेशन' पर व्याख्यान दिया। (23.10.2024)।
- ISPGR ने उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर, ICAR-NBPGR, और दूसरे इंटरनेशनल और नेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर, उमियम, मेघालय में मैनेजिंग एग्रो-बायोडायवर्सिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया (NCMBN-2024) विषय पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंसके तकनीकी सत्र-IV: एक्सेस, एक्सचेंज, बेनिफिट शेयरिंग और IPR सिस्टम्स - पॉलिसी कंसीडरेशन्स (प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज) पर इंटरैक्टिव सेशन' के दौरान 'पब्लिक रिसर्च सिस्टम्स के तहत पौधों की किस्मों का कमर्शियलाइजेशन' पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया (22-25 अक्टूबर 2024)।
- भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद में "भारत में सतत कृषि स्टार्टअप बनाना" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के पैनल चर्चा में एक विशेषज्ञ (को-चेयर) के तौर पर शामिल

हुए। गाइडेंस और मोरल सपोर्ट के लिए प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस की एडवाइजरी कमेटी मेंबर के तौर पर भी कार्य किया। (13.11.2024)।

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ हिल फार्मिंग (IAHF) द्वारा "हिल एग्रो-इकोसिस्टम: सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने के लिए चुनौतियाँ और अवसर" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में "NEH रीजन के हिल एग्रो-इकोसिस्टम में इनोवेशन पोटेंशियल और टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन" विषय पर एक कीनोट व्याख्यान दिया (29.11.2024)।
- आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (ANGRAU), आंध्र प्रदेश द्वारा "NARS टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइजेशन के अवसर" विषय पर आयोजित वेबिनार में विशेषज्ञ वक्ता के तौर पर भाग लिया (20.12.2024)।
- दिनांक 27 दिसंबर 2024 को UAS, धारवाड़ में आयोजित नेशनल एग्री-स्टार्टअप एक्सपो-ए मेगा इवेंट (NASE-2024) में स्टार्टअप्स द्वारा NARS टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग के अवसरों पर स्टार्टअप फाउंडर्स को संबोधित किया। (26-30 दिसंबर 2024)
- भाकृअनुप-केंद्रीय पटसन और संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), बैरकपुर में आयोजित "जूट उद्योग हितधारक बैठक" में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया (02.01.2025)।
- भाकृअनुप-राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा अपने 87वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा महोत्सव (एनएनएफएफ)-2025 के दौरान उद्यमियों की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया (03.01.2025)।
- दिनांक 16-23 जनवरी 2025 के दौरान भाकृअनुप के सभी फसल विज्ञान संस्थानों की प्रतिभागिता वाले ऑनलाइन बौदिधिक सम्पदा जागरुकता सप्ताह में ICAR-IIAB, रांची के डायरेक्टर डॉ. सुजय रक्षित की अध्यक्षता में टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग पर सत्र में ऑनलाइन जागरुकता कार्यक्रम में स्पीकर के तौर पर भाग लिया (22.01.2025)।
- बायोनेस्ट एग्री इनोवेशन सेंटर, UAS, GKVK बेंगलुरु द्वारा "एग्री-टेक कनेक्ट: एकेडेमिया, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर के बीच टेक्नोलॉजी का क्यूरेशन और ट्रांसफर" विषय पर आयोजित एक ऑनलाइन वेबिनार में स्पीकर के तौर पर भाग लिया। इसका विषय था: "इनोवेशन और सहयोग को जोड़ना: एग्रीकल्चर में सफल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और असरदार पार्टनरशिप बनाने की स्ट्रैटेजी" (28.01.2025)।
- बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, भाकृअनुप, नई दिल्ली, और जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट - एग्रीबिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर, आईसीएआर-सीआईएफटी, कोच्चि, केरल द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित एक ऑनलाइन जागरुकता कार्यक्रम 'AquaIP' में रिसोर्स पर्सन के तौर पर भाग लिया और 'एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन' टॉपिक पर 1 घंटे का लेक्चर दिया। (29.01.2025)
- ZTM-ABI सेंटर, आईसीएआर-सीआईएफटी, कोच्चि और बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, भाकृअनुप, नई दिल्ली द्वारा आयोजित Aqua IP: ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम की पैनल चर्चा में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया (30.01.2025)।
- बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, भाकृअनुप, नई दिल्ली, भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून और ICAR-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर विमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस वीक के अवसर पर आयोजित व्याख्यान श्रंखला में "एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन" पर एक एक्सपर्ट लेक्चर दिया (31.01.2025)।
- भाकृअनुप के बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन, देहरादून और ICAR-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर विमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस वीक के अवसर पर आयोजित व्याख्यान श्रंखला में "एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन" पर एक एक्सपर्ट लेक्चर दिया (31.01.2025)।

- भाकृअनुप-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर में 'टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कमर्शियलाइजेशन और एग्री-इनोवेट इंडिया इनिशिएटिव के लिए स्ट्रैटेजी' विषय पर सिंपोजियम-कम-वर्कशॉप में विशेषज्ञ वार्ता और चर्चा में भाग लिया और एग्रीनोवेट की TCAC बैठक में शामिल हुए। (03-05 फरवरी 2025)
- दिनांक 22.02.2025 को इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरफेस के दौरान टेक्निकल सेशन में सेशन कोऑर्डिनेटर के तौर पर भाग लिया और 20-22 फरवरी, 2025 के दौरान GBPUAT, पंतनगर में XVII एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस, 2025 द्वारा आयोजित स्टार्टअप ट्रैक में 21.02.2025 को भाग लिया। इसे XVII एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस ने मिलकर आयोजित किया था। (21-22 फरवरी 2025)
- नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NSAI) द्वारा आयोजित 13वें इंडियन सीड कांग्रेस 2025 में स्पेशल इनवाइटी के तौर पर भाग लिया (24.02.2025)।
- भाकृअनुप-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु में आयोजित नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2025 में विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया, जिसका थीम था "विकसित भारत के लिए बागवानी: पोषण, सशक्तिकरण और आजीविका"। प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण के लिए आईसीएआर-एनबीएआईआर और आईसीएआर-एनआईवीईडीआई के साथ मीटिंग में भी शामिल हुए। (28 Feb-1st March 2025)।
- इंडियन फेडरेशन ऑफ एनिमल हेल्थ कंपनीज (INFAH) द्वारा आयोजित नेशनल सेमिनार में एनिमल हेल्थ ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पैनल चर्चा में अध्यक्ष के तौर पर भाग लिया। इस सेमिनार का विषय था: "विकसित भारत के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एनिमल हेल्थ और इकोनॉमिक्स को मजबूत करना" (20.03.2025)।
- IGFRI, सदर्न रीजनल रिसर्च स्टेशन, धारवाड़ द्वारा आयोजित इनोवेटर्स/इंडस्ट्री मीट में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया और 'ICAR टेक्नोलॉजीज की लाइसेंसिंग' पर चर्चा की। (25.03.2025)।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर तीसरी जागरूकता बैठक

दिनांक 6 मार्च 2025 को एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों और कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर तीसरी जागरुकता बैठक आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित मुद्दों पर था-

1. POSH अधिनियम के प्रति जागरुकता
2. यौन उत्पीड़न को नियंत्रित करने वाले कानून
3. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न माने जा सकते हैं
4. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न नहीं माने जाते हैं
5. कार्यस्थल पर और बाहर कर्मचारियों का व्यवहार
6. कर्मचारियों की जिम्मेदारी
7. नियोक्ता की जिम्मेदारियाँ
8. इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को उपलब्ध अधिकार।
9. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
10. जांच की प्रक्रिया
11. यौन उत्पीड़न के लिए सजा
12. झूठी शिकायतों के नतीजे
13. IC कमेटी वगैरह के बारे में जागरूकता।

कंपनी का वेब पता

धारा 92 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कंपनी का वार्षिक रिटर्न www.agrinnovateindia.co.in पर रखा जाएगा।

लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश भुगतान से छुट का प्रस्ताव रखा है। यह अनुरोध पत्र अनुमोदन हेतु कंपनी के प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात डेयर (DARE) के माध्यम से वित्त मंत्रालय के (DIPAM) डीआईपीएएम को भेजा जाएगा।

आरक्षित निधि में स्थानांतरित की गई राशि

कंपनी के बोर्ड ने अपने रिजर्व में 34.99 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव किया है।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नियुक्त या सेवानिवृत्त निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा वर्ष की समाप्ति के बाद और रिपोर्ट की तिथि तक नियुक्त या सेवानिवृत्त निदेशकों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यमुक्त की तिथि
1.	डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, आईसीएआर	अध्यक्ष	04.08.2022	03.03.2025
2.	संजय गर्ग, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, आईसीएआर	उपाध्यक्ष	02.09.2021	-
3.	श्रीमती अलका अरोड़ा, अपर सचिव, डेयर एवं वित्त सलाहकार, आईसीएआर	निदेशक	21.11.2022	30.04.2025*
4.	डॉ. अशोक दलवई, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा नामित	निदेशक	21.12.2016	11.08.2024
5.	श्री सैमुअल प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण	निदेशक	17.01.2025	-
6.	श्री सागर मेहरा, संयुक्त सचिव (अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी)	निदेशक	29.05.2024	29.05.2025**
7.	डॉ. नीरू भूषण, सहायक महानिदेशक, आईपीटीएम	निदेशक	9.03.2023	-
8.	श्री आनन्द मोहन अवस्थी, गैर-सरकारी निदेशक	निदेशक	25.02.2022	-
9.	श्री जी. के. नागराज, गैर-सरकारी निदेशक			
		निदेशक	25.02.2022	-
10.	डॉ. प्रवीण मलिक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	22.09.2022	-
11.	श्री राहुल कुमार	मुख्य वित्तीय अधिकारी	21.07.2022	31.12.2024
12.	श्री आवेश यादव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	07.01.2025	-
13.	सुश्री धृति मदान	कम्पनी सचिव	18.09.2018	-

**वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 अप्रैल 2025 को इस्तीफा दिया।*

***वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29 मई 2025 को ऑफिस खाली कर दिया गया।*

बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की निम्नलिखित पाँच बैठकें आयोजित की गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

बैठक का दिनांक	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
29.05.2024	4
10.10.2024	4
10.12.2024	7
10.01.2025	6
27.03.2025	5

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट

सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 के अनुपालन में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर कंपनी की रिपोर्ट तैयार की गयी है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गयी है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर उनसे घोषणा ली जाएगी और उसका खुलासा निदेशक की रिपोर्ट में किया जाएगा।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक का वार्षिक रिटर्न का शेयर होलडरों द्वारा वार्षिक आम बैठक में यथोचित अनुमोदन के पश्चात कंपनी की वेबसाइट (www.agrinnovateindia.co.in) पर रखा जाएगा।

सांविधिक लेखापरीक्षक, उनकी रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

मेसर्स सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। मेसर्स के. कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

अनुसूचियों पर नोट्स के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं: -

1. हम इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत जरूरी फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर को ठीक से मेंटेन नहीं किया है। इसलिए, हम वित्तीय विवरण में रिकॉर्ड की गई प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की पूरी जानकारी और एक्यूरेसी को जांच नहीं कर पाए। हमारी राय में, यह लागू अकाउंटिंग और सांविधिक आवश्यकताओं से विचलन है।

2. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 31-03-2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए फाइनल डिविडेंड का प्रस्ताव नहीं दिया था। लेकिन, उस वर्ष के लिए ₹1,42,23,513 का फाइनल डिविडेंड वार्षिक आम बैठक में शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के बाद इस वर्ष घोषणा और भुगतान किया गया। यह रकम संचित लाभ से निकाली गई है। यह कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 123 के अनुसार नहीं है।
3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, 2017 के तहत फाइल किए गए रिटर्न के जरिए क्लेम किए गए GST इनपुट के साथ GST इनपुट क्रेडिट को रिकंसाइल करने में असफल रही। कंपनी ने 01 अप्रैल, 2023 को या उससे पहले के GST इनपुट क्रेडिट का ₹24,99,698/- का अन-रिकंसाइल्ड बैलेंस दिखाया है। GST इनपुट क्रेडिट का ट्रीटमेंट निश्चित नहीं है क्योंकि इस बारे में जानकारी नहीं है कि कंपनी GST एक्ट के प्रोविजन के अनुसार इस इनपुट क्रेडिट को क्लेम कर सकती है या नहीं। इसके कारण 31 मार्च, 2025 तक के बैलेंस शीट में करंट एसेट्स का ₹24,99,698/- तक ओवर-स्टेटमेंट हुआ है।
4. कंपनी के व्यापार देयताओं में ₹11,83,75,051 (इंस्टीट्यूट्स के शेयर के तौर पर ₹7,72,47,851 और ICAR के शेयर के तौर पर ₹4,11,27,199) की रकम शामिल है, जो काफी समय से बकाया है। कंपनी इस रकम के लिए बैलेंस कन्फर्मेशन नहीं ले पाई है, और इसलिए पार्टियों का बकाया बैलेंस, अगर कोई हो, तो अकाउंट्स के रिकंसिलिएशन/सेटलमेंट पर एडजस्टमेंट के अधीन है।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कंपनी द्वारा टिप्पणियाँ/ स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं और इसके अलावा खातों पर टिप्पणियाँ स्व-व्याख्यात्मक हैं और आगे कोई टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के साथ पठित धारा 394(1) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाएगा और उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में तय किया जाएगा।

धारा 143 की उपधारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण

मेसर्स सुधीर कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, गाजियाबाद को कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियाँ दी हैं जैसे स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और डीपीई से संबंधित अनुपालन।

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के संदर्भ में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि यह टिप्पणी की गई है कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 की धारा 149 और नियम 4 के अनुसार, कंपनी ने अभी तक कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया है। इस संबंध में, निदेशक बताना चाहेंगे कि कंपनी में सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) के साथ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

उपरोक्त के अलावा, प्रबंधन डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर काम कर रहा है और उन्हें लागू कर रहा है। अन्य टिप्पणियाँ भविष्य के अनुपालन के लिए नोट की गई हैं।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो भविष्य में कंपनी की चालू व्यवसाय की स्थिति और परिचालन को प्रभावित करते हैं

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तिथि के बीच विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा चालू व्यवसाय की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा – अध्यक्ष
2. श्री सागर मेहरा – सदस्य
3. डॉ. नीरु भूषण – सदस्य
4. श्री आनंद मोहन अवस्थी – सदस्य

ऑडिट समिति कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं; अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा; आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है; आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना, कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना आदि।

नामांकन एवं पारिश्रमिकी समिति

नामांकन और पारिश्रमिकी समिति में निम्नलिखित शामिल हैं

1. श्री सेमुअल प्रवीण कुमार – अध्यक्ष
2. डॉ. नीरु भूषण – सदस्य
3. श्री जी. के. नागराज – सदस्य

नामांकन और पारिश्रमिक समिति को एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करने और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिकी से संबंधित एक नीति की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है; यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारिश्रमिकी का स्तर और संरचना उचित और पर्याप्त है, पारिश्रमिकी का प्रदर्शन से संबंध स्पष्ट है और निष्पादन बेंचमार्क को पूरा करता है, और इसमें निश्चित और प्रोत्साहन वेतन के बीच संतुलन शामिल है; प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और प्रदर्शन आदि के आधार पर बोर्ड को उसकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना।

धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण:

ऋण का विवरण:

क्र. सं.	ऋण का दिनांक	ऋण लेने वाले का विवरण	राशि	वह उद्देश्य जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण का उपयोग किया जाना है	वह समयावधि जिसके लिए ऋण दिया गया है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो तो)	ब्याज दर	जमानत
				शून्य					

निवेश का विवरण -

क्र.सं	निवेश की तारीख	निवेशक का विवरण	राशि	वह उद्देश्य जिसके लिए निवेश से प्राप्त आय का उपयोग प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना प्रस्तावित है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो तो)	अनुमानित आय की दर
				शून्य			

दी की गई गारंटी/जमानत का विवरण

क्र.सं	जमानत/गारंटी प्रदान करने की तिथि	प्राप्तकर्ता का विवरण	राशि	वह प्रयोजन जिसके लिए जमानत /गारंटी का उपयोग प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना प्रस्तावित है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो तो)	कमिशन
				शून्य			

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय। ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

क) ऊर्जा का संरक्षण

संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश	लागू नहीं

ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण:

प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए किए गए प्रयास	लागू नहीं
व्युत्पन्न लाभ	लागू नहीं
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, यदि कोई हो	लागू नहीं
आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
आयात का वर्ष	लागू नहीं
क्या आयातित प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से अपना लिया गया है	लागू नहीं
वे क्षेत्र जहां आयातित प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया गया है, यदि कोई हो	लागू नहीं

ग) विदेशी मुद्रा आय/व्यय

(रूपए सैकड़ों में)

आय	शून्य
व्यय	शून्य

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप हैं।

जमा

आपकी कंपनी ने कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की है और इस प्रकार, बैलेंस शीट की तारीख तक मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल VII के अनुसार CSR गतिविधियों के लिए कंपनी का आंवटित बजट 12.32 लाख रुपये है।

यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति

कंपनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, कंपनी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाये गये नियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति अपनाई है। समिति का गठन इस प्रकार है:-

1. डॉ. निधि वर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि शिक्षा प्रभाग, आईसीएआर, कषि अनुसंधान भवन-II, पीठासीन अधिकारी;
2. श्रीमती धृति मदान, कंपनी सचिव, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, सदस्य;
3. श्रीमती स्वाति बिष्ट, वरिष्ठ कार्यकारी (प्रशासन), एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, सदस्य
4. श्री एस.पी. सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त और निपटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है।

प्राप्त शिकायतों की संख्या: शून्य

निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर एक जागरूकता बैठक दिनांक 26.03.25 आयोजित की। यह इवेंट सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की गहन समझ के संदर्भ में यह आयोजन एक बड़ी सफलता थी।

निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

क) 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी में, तथ्यों अलग होने से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें नियमित रूप से लागू किया था और निर्णय एवं अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ/हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

घ) निदेशकों ने चालू व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए थे;

ड़) वर्ष के दौरान साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

च) एकमुश्त निपटान के समय किया गया मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किया गया मूल्यांकन राशि के बीच अंतर का कोई मामला नहीं है।

छ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

राष्ट्रपति के निर्देश

कंपनी समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यक्षीय निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज तक कंपनी को कोई अध्यक्षीय निर्देश जारी नहीं किया गया है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

प्रबंधन ने सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता के अनुपालन में सीपीआईओ एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अधिसूचित किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों की स्थिति निम्नानुसार है: -

आरटीआई आवेदन/ अपील	आरटीआई आवेदन			
	प्राप्त	अस्वीकृत	सूचना उपलब्ध की गई	31.03.2025 तक लंबित
आवेदन	7	0	7	शून्य
अपील	0	0	0	शून्य

सचिवीय मानक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया गया है।

आभार

आपके निदेशक पूर्व अध्यक्षों, सभी स्तरों पर कार्यरत कार्मिकों, ग्राहकों, विक्रेताओं और अकादमिक भागीदारों के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कंपनी के विकास और प्रदर्शन में योगदान और निरंतर समर्थन दिए हैं।

हम भारत सरकार, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों, एग्रीनोवेट की गतिविधियों से जुड़े निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशकगण इस अवसर पर बोर्ड के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार, आईसीएआर, कंपनी के सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकारियों और कंपनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
Date: July15, 2025

(संजय गर्ग)
डीआईएन नम्बर 03401035
पता- सी-1/37, बापानगर, सुब्रामणियन
भारती मार्ग मध्य दिल्ली-110003

(एम. एल. जाट)
डीआईएन नम्बर 11121544
के द्वारा: चित्तर माय जाट आईआरएसएच 15,
इक्रीसैट, पठानचेरुवु मंडल, जिला-संगारेड्डी
तेलंगाना-502324

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2024-25

ए) कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी का सिद्धांत कंपनी के लोकाचार और इसके संचालन में नैतिक व्यावसायिक सिद्धांतों के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज के गतिशील कारोबारी माहौल में उच्च प्रदर्शन अभिविन्यास और एक अनुकूल प्रबंधन शैली के साथ-साथ ईमानदारी की संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत शासन संरचना की आवश्यकता है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रक्रियाओं और अनुपालनों के सेट से कहीं अधिक है, इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित कॉर्पोरेट संरचना है जो जांच और संतुलन स्थापित करती है और संगठन में उचित स्तरों पर निर्णय लेने का अधिकार देती है, हालांकि बोर्ड, कंपनी के मामलों के प्रभावी नियंत्रण में रहता है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड का मानना है कि दीर्घकालिक मान उत्पन्न करने और एक स्थायी व्यवसाय मॉडल बनाए रखने के लिए अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाएँ आवश्यक हैं।

कंपनी की कॉरपोरेट गवर्नेंस संरचना बहुस्तरीय है, जिसमें शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल और विभिन्न समितियां शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों और कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कंपनी की रणनीति के सफल कार्यान्वयन में सहायता के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक मजबूत और प्रभावी प्रणाली मौजूद है। बोर्ड प्रबंधन के निष्पादन की निगरानी में स्वतंत्र निर्णय लेता है और कंपनी की निगरानी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बी. निदेशक मंडल

वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गईं।

बोर्ड की बैठकों और 10.12.2024 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति और अन्य निदेशक पदों और समिति सदस्यता, अध्यक्षता की संख्या का विवरण निम्नानुसार है: -

निदेशक का नाम	वर्ग	वर्ष 2023-24 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद पर कार्यरतों की संख्या	समितियों में सदस्यताओं की संख्या (लेखापरीक्षा समिति और एनआरसी समिति सहित)	
					सदस्य	अध्यक्ष
डॉ. हिमांशु पाठक #	अध्यक्ष	3	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजय गर्ग	उपाध्यक्ष	4	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा	निदेशक	5	हां	शून्य	शून्य	1
डॉ. अशोक दलवई*	निदेशक	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक का नाम	वर्ग	वर्ष 2023-24 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद पर कार्यरतों की संख्या	समितियों में सदस्यताओं की संख्या (लेखापरीक्षा समिति और एनआरसी समिति सहित)	
					सदस्य	अध्यक्ष
श्री सैमुअल प्रवीण कुमार**	निदेशक	3	हां	शून्य	शून्य	1
श्री सागर मेहरा***	निदेशक	शून्य	नहीं	शून्य	1	शून्य
डॉ. नीरू भूषण	निदेशक	3	हां	शून्य	2	-
श्री आनन्द मोहन अवस्थी	निदेशक	5	हां	शून्य	1	शून्य
श्री जी. के. नागराज	निदेशक	3	हां	शून्य	1	शून्य

#डॉ. हिमांशु पाठक 3 मार्च 2025 से कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर नहीं रहें।
**डॉ. अशोक दलवई 11 अगस्त 2024 से कंपनी के डायरेक्टर नहीं रहें।*
***श्री सैमुअल प्रवीण कुमार को दिनांक 10.10.2024 को हुई कंपनी की 57वीं बोर्ड मीटिंग में नियुक्त किया गया।*
****श्री सागर मेहरा को दिनांक 29.05.2024 को हुई कंपनी की 56वीं बोर्ड मीटिंग में नियुक्त किया गया।*
@डॉ. एम.एल. जाट को दिनांक 29 मई 2025 को हुई कंपनी की 61वीं बोर्ड मीटिंग में कंपनी का नया चेयरमैन और एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

सी. लेखापरीक्षा समिति

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एक ऑडिट समिति बनाई है। ऑडिट समिति अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, C-AG की टिप्पणियों की समीक्षा करती है। समिति कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की भी देखरेख करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा भी ऑडिट समिति द्वारा की जाती है। ऑडिट समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के साथ-साथ डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 29 मई 2024, 10 अक्टूबर 2024, 10 दिसम्बर 2024 और 26 मार्च 2025 को 4 बैठकें सम्पन्न हुई हैं

लेखापरीक्षा समिति की संरचना और वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति नीचे दी गई है: -

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ग	उपस्थिति	टिप्पणियां
1	श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा	अध्यक्ष	गैर-कार्यकारी निदेशक	4	-
2.	श्री सागर मेहरा	सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक	0	
3.	डॉ. नीरू भूषण	सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक	1	-
4.	श्री आनन्द मोहन अवस्थी	सदस्य	गैर-सरकारी निदेशक	4	-

डी. नामांकन एवं पारिश्रामिकी समिति

आपकी कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के साथ-साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्य ऊपर उल्लिखित प्रावधानों में निर्दिष्ट हैं, सिवाय सरकारी कंपनियों के लिए छूट प्राप्त कार्यों के।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति में सदस्यों के रूप में श्री सैमुअल प्रवीण कुमार, डॉ. नीरू भूषण और श्री जी.के. नागराज शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 10 दिसम्बर 2024 को आयोजित की गई।

ई. वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन (3) वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

वार्षिक आम बैठक की क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प
13	2023-24	10.10.2024	3.00		
अपराह्न	बोर्ड रूम, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली	2			
12	2022-23	22.11.2023	12.30 अपराह्न	बोर्ड रूम, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली	2
11	2021-22	23.09.2022	12.00 मध्याह्न	बोर्ड रूम, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली	3

एफ. जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल ने 7 मार्च 2024 को हुई अपनी 55वीं बोर्ड मीटिंग में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की जोखिम प्रबंधन समिति बनाई और सदस्य के सदस्य इस तरह थे: -

1. श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा, निदेशक - समिति के अध्यक्ष
2. डॉ. नीरु भूषण, निदेशक - सदस्य
3. श्री आनंद मोहन अवस्थी, गैर-सरकारी निदेशक - सदस्य
4. डॉ. प्रवीण मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी - मुख्य जोखिम अधिकारी
5. श्रीमती धृति मदान, कम्पनी सचिव - सदस्य-सचिव

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक 28 मई 2024 को हुई थी।

जी. प्रकटीकरण

i) भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण।

भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार संबद्ध पक्ष लेन-देन का विवरण लेखा टिप्पणियों का हिस्सा है।

ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन नहीं किया गया है और किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं बरती गई है।

iii) कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र

कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है और इसे बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

v) राष्ट्रपति के निर्देश

पिछले तीन वर्षो के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोई राष्ट्रपति निर्देश जारी नहीं किया गया था।

एच. आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली/शक्तियों का प्रत्यायोजन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक मेसर्स के. कुमार गुप्ता एण्ड एसेसिएट्स, द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों की समीक्षा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है और जब भी आवश्यक हो आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। कंपनी के पास शक्तियों के प्रत्यायोजन मैनुअल के माध्यम से अपने विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रत्यायोजन है।

आई. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

नए निदेशकों को कंपनी के दृष्टिकोण, नैतिकता सहित मुख्य मूल्य, वित्तीय मामले, व्यवसाय संचालन, जोखिम मामलों के बारे में अनुस्थापन (ओरिएंटेशन) और प्रेरण दिया जाता है। सामान्य प्रथा पुस्तिकाएं, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश आदि दिया जाना है।

उपरोक्त के अलावा, निदेशकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं अन्य विषयों पर डीपीई तथा अन्य संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण के लिए भी नामांकित किया जाता है।

जे. संचार के साधन

शेयरधारकों को वार्षिक परिणाम वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भेजे जाते हैं और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.agrinnovateindia.co.in पर भी पोस्ट की जाती है, वेबसाइट पर निविदाएं और कैरियर के अवसर भी पोस्ट किए जाते हैं।

अध्यक्ष की रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2024-25

प्रिय सदस्यगण

मुझे 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है और हमारी कंपनी एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की चौदहवीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत है। आपकी अनुमति से लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही परिचालित की जा चुकी है और मैं उसे पढ़ा हुआ मानता हूँ।

यह देखकर मुझे बहुत संतुष्टि होती है कि विभिन्न बोर्ड बैठकों के दौरान हमने जो विचार रखे थे, उन्हें टीम द्वारा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है और मुझे आगामी वर्ष में और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। मैं वर्ष के दौरान टीम एग्रीनोवेट के प्रदर्शन के लिए उनकी हार्दिक सराहना करता हूँ।

मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आईसीएआर और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के तहत संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए दिशानिर्देशों को अंततः एग्रीनोवेट के साथ सुसंगत बना दिया गया है, जिससे सभी विषयों/क्षेत्रों में व्यावसायीकरण का दायरा बढ़ गया है। अब हम साझेदारी के माध्यम से नवाचार और क्षमता संचालित कृषि विकास को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाने की एक निश्चित स्थिति में हैं।

प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के माध्यम से राजस्व योगदान

वर्ष 2024-25 के दौरान, एग्रीनोवेट ने आईसीएआर के कई संस्थानों को अच्छे से मदद की और कुल 155 प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरण करने में मदद की, जिससे 10.51 करोड़ रुपये (रॉयल्टी मिलाकर) का सकल राजस्व अर्जित किया। ये प्रौद्योगिकियां फसल विज्ञान (30.3%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (10.3%), बागवानी (49%) और मात्स्यिकी (10.3%) से सामने आईं।

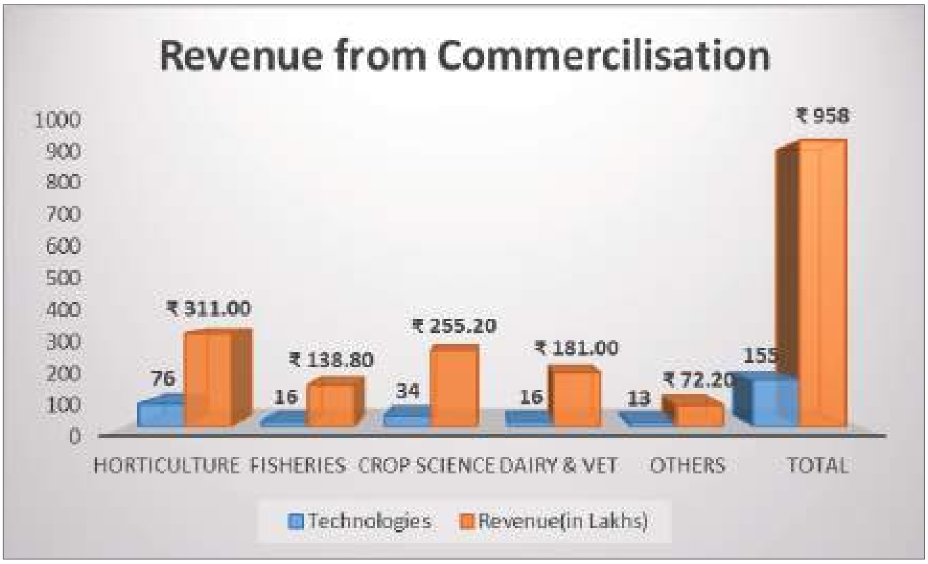

एग्रीनोवेट का प्रयास है कि और अधिक आईसीएआर संस्थानों को शामिल किया जाए और इस तरह वाणिज्यिकरण के लिए प्रौद्योगिकी बेस को बढ़ाया जाए। इसके चलते, एग्रीनोवेट को 66 संस्थानों और 9 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से लाइसेंस के लिए लगभग 600+ प्रौद्योगिकियां दी गई हैं।

हस्तांतरित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों को 10.51 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) की सकल राजस्व प्राप्ति के साथ 155 प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित करने में सक्षम रही है।

वाणिज्यिकृत 155 प्रौद्योगिकियों में से, महत्वपूर्ण बाजार प्रभाव और मांग एवं उच्च मूल्य वाली प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी एवं संस्थान का नाम	ग्राहकों की संख्या	कर छोड़कर मूल्य (लाखों में)
1.	आईसीएआर-आईएआरआई एचटी ट्रेट डॉनर राइस जीनोटाइप	2	60
2.	आलू के छोटे कंद उत्पादन के लिए आईसीएआर-सीपीआरआई एरोपोनिक्स प्रौद्योगिकी	12	97.75
3.	ICAR-CIFA CIFAX, मीठेजल की मछलियों की अल्सरेटिव बीमारियों के खिलाफ रसायनिक सूत्रण	2	75
4.	स्मार्ट खेती के लिए आईसीएआर-सीटीसीआरआई इलेक्ट्रॉनिक फसल आईओटी डिवाइस	1	15
5.	आईसीएआर-आईआईओआर एक पॉलीमर संरचना और फसल के लिए दवा वितरण वाहक के रूप में इसकी तैयारी की प्रक्रिया	2	37.5
6.	आईसीएआर-आईएआरआई पूसा एसटीएफआर मीटर मृदा परीक्षण किट मृदा के 14 महत्वपूर्ण मापदंडों का विश्लेषण करती है	3	30
7.	आईसीएआर-एनबीपीजीआर द्वारा अनाज ऐमारैंथ *(ऐमारैंथस हाइपोकॉन्ड्रिएकस)* के जीनोम वाइड 64के एसएनपी चिप का डिजाइन और विकास	1	10
8	बकरी चेचक से बचाव के लिए आईसीएआर-आईवीआरआई का बकरी चेचक टीका	1	25
9	आईसीएआर-एनडीआरआई ने दूध में यूरिया, न्यूट्रलाइजर, सुक्रोज, सोर्बिटोल, ग्लूकोज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, माल्टोडेक्सट्रिन, सब-क्लिनिकल और क्लिनिकल मास्टिटिस जैसी मिलावटों का पता लगाने के लिए 9 तकनीकी किट विकसित की है।	1	36.97
10	आईसीएआर-आईआईएमआर और जीबीपीयूएटी सोरघम चारा हाइब्रिड - सीएसएच 43 एमएफ	3	30
11	आईसीएआर-एनआरसीई लुम्पी-प्रोवैक इंड (मवेशियों के लिए गांठदार त्वचा रोग वैक्सीन)	1	75
12	आईसीएआर-सीआईएसएच आईसीएआर बायो-इम्यूनाइजर (केले के टीसी पौधों का इन विट्रो जैव-टीकाकरण)	1	18
13	आईसीएआर-एनआईबीपी बीटी बैंगन इवेंट 142 withcry1Fa1 जीन का पता लगाने के लिए पीसीआर और रियल-टाइम पीसीआर	1	30
14	मछली के लिए आईसीएआर-सीआईएफए का स्टार्टर, ग्रोअर और ब्रूडर फीड	1	18

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 87 टेक्नो कमर्शियल असेसमेंट बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें से 17 बैठकें निम्नलिखित संस्थानों के साथ भौतिक रूप से आयोजित की गईं:

क्र. सं.	संस्थान का नाम	बैठक की तारीख
1.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र	30.04.2024
2.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार	04.05.2024
3.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम	23.06.2024
4.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	12.08.2024
5.	भाकृअनुप - केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	05.09.2024
6.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, रांची	29-30 अक्टूबर 2024
7.	भाकृअनुप - केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	18.11.2024
8.	भाकृअनुप - भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	28.11.2024
9.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धरवाड़	26-30 दिसम्बर 2024
10.	भाकृअनुप - केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	02.01.2025
11.	भाकृअनुप - केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर	04.02.2025
12.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	10.02.2025
13.	महाराष्ट्र पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर	18.02.2025
14.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार	07.03.2025
15.	भाकृअनुप - काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तूर	11.03.2025
16.	भाकृअनुप - केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	21.03.2025
17.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	26.03.2025

एग्रीनोवेट की प्रचार गतिविधियाँ

एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनके टीम के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: -

1. क्षेत्रीय हितधारक परामर्श बैठकें:

- दिनांक 18 मार्च 2025 को कोच्चि, केरल में क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन-कृषि व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्र (जेडटीएम-एबीआई), आईसीएआर-सीआईएफटी, आईपी एंड टीएम यूनिट, आईसीएआर, नई दिल्ली के सहयोग से 'मत्स्य पालन और जलीय कृषि नवाचारों पर एक्वाबिज 2.0 - बिजनेस मीट' का आयोजन किया गया।

2. कई बड़ी संस्थाओं ने भी एग्रीनोवेट को पॉलिसी पर चर्चा, सहयोग और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित किया। इनमें शामिल हैं: -

- फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में IP लीग 3.0 (इन्वेंटर-इन्वेस्टर मीट) में भाग लिया (20.04.2024)
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिनांक 30.04.2024 को भाकृअनुप - राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर द्वारा आयोजित विश्व IP दिवस के मौके पर "प्रौद्योगिकियों के नवाचार और वाणिज्यिकरण में एग्रीनोवेट की भूमिका" पर विशेषज्ञ के तौर पर व्याख्यान दिया। (30 अप्रैल - 02 मई 2024)

- OUAT, भुवनेश्वर, ओडिशा में ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की राज्य स्तरीय अनुसंधान एवं विस्तार परिषद (SLREC) की बैठक के तकनीकी सत्र के दौरान "कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण" विषय पर विशेषज्ञ वार्ता प्रस्तुत किया (27.05.2024)।
- भाकृअनुप, नई दिल्ली की बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट द्वारा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भाकृअनुप का क्षेत्रीय केन्द्र, उमियम - मेघालय के सहयोग से आयोजित IP सप्ताह में 'कृषि में प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण' विषय पर रिसोर्स पर्सन के तौर पर व्याख्यान दिया। (11.06.2024)
- भाकृअनुप, नई दिल्ली की बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट द्वारा भाकृअनुप - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में कृषि में प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण विषय पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया (19.06.2024)।
- भाकृअनुप, नई दिल्ली की बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन यूनिट और आईसीएआर-राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान, बारामती, पुणे द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित बौदिधिक सम्पदा जागरूकता कार्यक्रम में "कृषि में प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण" पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया (26.06.2024)।
- भाकृअनुप के बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन यूनिट ने NRM इंस्टिट्यूट के लिए वर्चुअल मोड में IPR पर आयोजित एक पांच दिवसीय ऑनलाइन जागरुकता प्रोग्राम के पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम बौदिधिक सम्पदा और उससे जुड़े पहलुओं जैसे कॉपीराइट, डिजाइन, पेटेंट, प्लांट वैरायटी, ट्रेडमार्क और टेक्नोलॉजी-लाइसेंसिंग एक्टिविटी के बारे में गहराई से जागरुकता फैलाने के लिए आयोजित किया था। (27.06.2024)।
- UAS रायचूर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए रिसोर्स पर्सन के तौर पर कार्य किया, ताकि पेटेंटिंग और उसके कमर्शियलाइजेशन के प्रोसेस को बेहतर बनाने हेतु साइंटिफिक स्टाफ के साथ शेयर और चर्चा की जा सके। (01-03 अगस्त 2024)।
- बागवानी विज्ञान संस्थानों के लिए बौदिधिक सम्पदा सप्ताह कार्यक्रम में वर्चुअल मोड के जरिए 'कृषि में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन' विषय पर अतिथि व्याख्यान दिया (14.08.2024)।
- नागालैंड के भाकृअनुप - राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र में इंडस्ट्री मीट और टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव के दौरान विशेष अतिथि के तौर पर भाग लिया और मिथुन सेक्टर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के तरीकों पर अपने विचार शेयर किए (30 अगस्त 2024)।
- ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में हुए दूसरे मिथुन दिवस और "भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड मिथुन खेती" विषय पर नेशनल सेमिनार में व्याख्यान दिया (01-02 सितंबर 2024)।
- भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में भाकृअनुप के बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन यूनिट द्वारा वर्चुअली आयोजित बौदिधिक सम्पदा जागरुकता कार्यक्रम के दौरान "एग्रीकल्चरल इनोवेशन की टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग" पर चर्चा की। (06.09.2024)।
- हॉर्टिकल्चर साइंसेज में टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग पर पैनलिस्ट के तौर पर वर्चुअल मोड से लीड टॉक दी (13.09.2024)।
- ISPGR ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर, भाकृअनुप - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो और दूसरे इंटरनेशनल और नेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर, उमियम, मेघालय में मैनेजिंग एग्रो-बायोडायवर्सिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया (NCMBN-2024) विषय पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के 'तकनीकी सत्र IV: एक्सेस, एक्सचेंज, बेनिफिट शेयरिंग और IPR सिस्टम्स - पॉलिसी कंसीडरेशन्स (प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज) पर इंटरैक्टिव

सेशन' के दौरान 'पब्लिक रिसर्च सिस्टम्स के तहत प्लांट वैरायटीज का कमर्शियलाइजेशन' पर व्याख्यान दिया। (23.10.2024)।

- ISPGR ने उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर, ICAR-NBPGR, और दूसरे इंटरनेशनल और नेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर, उमियम, मेघालय में मैनेजिंग एग्रो-बायोडायवर्सिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया (NCMBN-2024) विषय पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंसके तकनीकी सत्र-IV: एक्सेस, एक्सचेंज, बेनिफिट शेयरिंग और IPR सिस्टम्स - पॉलिसी कंसीडरेशन्स (प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज) पर इंटरैक्टिव सेशन' के दौरान 'पब्लिक रिसर्च सिस्टम्स के तहत पौधों की किस्मों का कमर्शियलाइजेशन' पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया (22-25 अक्टूबर 2024)।
- भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद में "भारत में सतत कृषि स्टार्टअप बनाना" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के पैनल चर्चा में एक विशेषज्ञ (को-चेयर) के तौर पर शामिल हुए। गाइडेंस और मोरल सपोर्ट के लिए प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस की एडवाइजरी कमेटी मेंबर के तौर पर भी कार्य किया। (13.11.2024)।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप अनुसंधान परिसर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ हिल फार्मिंग (IAHF) द्वारा "हिल एग्रो-इकोसिस्टम: सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने के लिए चुनौतियाँ और अवसर" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में "NEH रीजन के हिल एग्रो-इकोसिस्टम में इनोवेशन पोटेंशियल और टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन" विषय पर एक कीनोट व्याख्यान दिया (29.11.2024)।
- आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (ANGRAU), आंध्र प्रदेश द्वारा "NARS टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइजेशन के अवसर" विषय पर आयोजित वेबिनार में विशेषज्ञ वक्ता के तौर पर भाग लिया (20.12.2024)।
- दिनांक 27 दिसंबर 2024 को UAS, धारवाड़ में आयोजित नेशनल एग्री-स्टार्टअप एक्सपो-ए मेगा इवेंट (NASE-2024) में स्टार्टअप्स द्वारा NARS टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग के अवसरों पर स्टार्टअप फाउंडर्स को संबोधित किया। (26-30 दिसंबर 2024)
- भाकृअनुप-केंद्रीय पटसन और संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), बैरकपुर में आयोजित "जूट उद्योग हितधारक बैठक" में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया (02.01.2025)।
- भाकृअनुप-राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा अपने 87वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा महोत्सव (एनएनएफएफ)-2025 के दौरान उद्यमियों की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया (03.01.2025)।
- दिनांक 16-23 जनवरी 2025 के दौरान भाकृअनुप के सभी फसल विज्ञान संस्थानों की प्रतिभागिता वाले ऑनलाइन बौदिधिक सम्पदा जागरुकता सप्ताह में ICAR-IIAB, रांची के डायरेक्टर डॉ. सुजय रक्षित की अध्यक्षता में टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग पर सत्र में ऑनलाइन जागरुकता कार्यक्रम में स्पीकर के तौर पर भाग लिया (22.01.2025)।
- बायोनेस्ट एग्री इनोवेशन सेंटर, UAS, GKVK बेंगलुरु द्वारा "एग्री-टेक कनेक्ट: एकेडेमिया, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर के बीच टेक्नोलॉजी का क्यूरेशन और ट्रांसफर" विषय पर आयोजित एक ऑनलाइन वेबिनार में स्पीकर के तौर पर भाग लिया। इसका विषय था: "इनोवेशन और सहयोग को जोड़ना: एग्रीकल्चर में सफल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और असरदार पार्टनरशिप बनाने की स्ट्रैटेजी" (28.01.2025)।
- बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, भाकृअनुप, नई दिल्ली, और जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट - एग्रीबिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर, आईसीएआर-सीआईएफटी, कोच्चि, केरल द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित एक ऑनलाइन जागरुकता कार्यक्रम 'AquaIP' में रिसोर्स पर्सन के तौर पर भाग लिया और 'एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन' टॉपिक पर 1 घंटे का लेक्चर दिया। (29.01.2025)

- ZTM-ABI सेंटर, आईसीएआर-सीआईएफटी, कोच्चि और बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, भाकृअनुप, नई दिल्ली द्वारा आयोजित Aqua IP: ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम की पैनल चर्चा में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया (30.01.2025)।
- बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, भाकृअनुप, नई दिल्ली, भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून और ICAR-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर विमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस वीक के अवसर पर आयोजित व्याख्यान श्रंखला में "एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन" पर एक एक्सपर्ट लेक्चर दिया (31.01.2025)।
- भाकृअनुप के बौदिधिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IPTM) यूनिट, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन, देहरादून और ICAR-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर विमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस वीक के अवसर पर आयोजित व्याख्यान श्रंखला में "एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन" पर एक एक्सपर्ट लेक्चर दिया (31.01.2025)।
- भाकृअनुप - केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर में 'टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कमर्शियलाइजेशन और एग्री-इनोवेट इंडिया इनिशिएटिव के लिए स्ट्रैटेजी' विषय पर सिंपोजियम-कम-वर्कशॉप में विशेषज्ञ वार्ता और चर्चा में भाग लिया और एग्रीनोवेट की TCAC बैठक में शामिल हुए। (03-05 फरवरी 2025)
- दिनांक 22.02.2025 को इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरफेस के दौरान टेक्निकल सेशन में सेशन कोऑर्डिनेटर के तौर पर भाग लिया और 20-22 फरवरी, 2025 के दौरान GBPUAT, पंतनगर में XVII एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस, 2025 द्वारा आयोजित स्टार्टअप ट्रैक में 21.02.2025 को भाग लिया। इसे XVII एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस ने मिलकर आयोजित किया था। (21-22 फरवरी 2025)
- नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NSAI) द्वारा आयोजित 13वें इंडियन सीड कांग्रेस 2025 में स्पेशल इनवाइटी के तौर पर भाग लिया (24.02.2025)।
- भाकृअनुप-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु में आयोजित नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2025 में विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया, जिसका थीम था "विकसित भारत के लिए बागवानी: पोषण, सशक्तिकरण और आजीविका"। प्रौद्योगिकी वाणिज्यिकरण के लिए आईसीएआर-एनबीएआईआर और आईसीएआर-एनआईवीईडीआई के साथ मीटिंग में भी शामिल हुए। (28 Feb-1st March 2025)।
- इंडियन फेडरेशन ऑफ एनिमल हेल्थ कंपनीज (INFAH) द्वारा आयोजित नेशनल सेमिनार में एनिमल हेल्थ ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पैनल चर्चा में अध्यक्ष के तौर पर भाग लिया। इस सेमिनार का विषय था: "विकसित भारत के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एनिमल हेल्थ और इकोनॉमिक्स को मजबूत करना" (20.03.2025)।
- IGFRI, सदर्न रीजनल रिसर्च स्टेशन, धारवाड़ द्वारा आयोजित इनोवेटर्स/इंडस्ट्री मीट में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया और 'ICAR टेक्नोलॉजीज की लाइसेंसिंग' पर चर्चा की। (25.03.2025)।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर तीसरी जागरूकता बैठक

दिनांक 6 मार्च 2025 को एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों और कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर तीसरी जागरुकता बैठक आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित मुद्दों पर था -

1. POSH अधिनियम के प्रति जागरुकता
2. यौन उत्पीड़न को नियंत्रित करने वाले कानून
3. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न माने जा सकते हैं
4. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न नहीं माने जाते हैं
5. कार्यस्थल पर और बाहर कर्मचारियों का व्यवहार
6. कर्मचारियों की जिम्मेदारी
7. नियोक्ता की जिम्मेदारियाँ
8. इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को उपलब्ध अधिकार।
9. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
10. जांच की प्रक्रिया
11. यौन उत्पीड़न के लिए सजा
12. झूठी शिकायतों के नतीजे
13. IC कमेटी वगैरह के बारे में जागरूकता।

वित्तीय उपलब्धियां

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.41 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 10.51 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व हासिल किया है। पिछले वर्ष 2023-24 के 0.02 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान मूल्यह्रास 0.04 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 5.56 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.71 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति व्यवसाय प्रबंधक राजस्व Rs. 250.49 लाख से बढ़ाकर Rs. 350.40 लाख कर दिया गया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट

सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 के अनुपालन में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर कंपनी की रिपोर्ट तैयार की जाती है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाती है।

आभार

मैं कंपनी के पूर्व अध्यक्ष, सभी स्तरों पर कार्यरत कार्मिकों, ग्राहकों, विक्रेताओं और अकादमिक भागीदारों के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कंपनी के विकास और प्रदर्शन में योगदान और निरंतर समर्थन दिए हैं।

मैं भारत सरकार, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों, एग्रीनोवेट की गतिविधियों से जुड़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के संगठनों को भी उनके लगातार समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं इस अवसर पर एग्रीनोवेट बोर्ड के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों से समय-समय पर प्राप्त बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग भाकृअनुप, कंपनी के सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकारियों और कंपनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद
आपका

(डॉ. मांगी लाल जाट)
अध्यक्ष एवं निदेशक
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 15, 2025

एग्रीनोवट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012
सीआईएन: U01400DL2011GOI226486, वेबसाइट : www.agrinnovate.co.in
दूरभाष: 011-25842122, 25842124 ईमेल: info@agrinnovate.co.in

31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि सौ ₹ में)

विवरण		टिप्पण सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
(1)	**शेरधारकों की निधियां**			
(क)	शेयर पूंजी	2	5,000,000	5,000,000
(ख)	आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	3,499,340	3,085,735
(2)	**वर्तमान देयताएं**			
(क)	व्यापार देय			
	(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; और	4	5,169	-
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		1,222,105	795,312
(ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	5	79,838	67,200
(ग)	अल्पकालिक प्रावधान	6	13,827	19,166
	कुल		9,820,279	8,967,413
II.	**आस्तियां**			
(1)	**गैर-मौजूदा आस्तियां**			
(क)	संपत्ति, संयत्र और उपकरण			
	(i) संपत्ति, संयत्र और उपकरण	7	15,421	15,075
	(ii) अमूर्त आस्तियां	7	-	-
(ख)	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	17	4,166	4,443
(2)	**मौजूदा आस्तियां**			
(क)	व्यापार प्राप्य राशियां	8	1,998	13,673
(ख)	नकद और नकद समतुल्य	9	9,743,195	8,823,887
(ग)	अन्य मौजूदा आस्तियां	10	55,500	110,334
	कुल		9,820,279	8,967,413
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		1		

संलग्न नोट फार्म वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

सम-तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 318016E

सीए रवि कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 303138
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.07.2025

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के निदेशक मंडल की ओर से

डॉ. मांगी लाल जाट
निदेशक
डीआईएन :11121544

संजय गर्ग
निदेशक
डीआईएन:03401035

डॉ. प्रवीण मलिक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन: ADUPM5768N

धृति मदान
कंपनी सचिवमुख्य
सदस्यता सं. A-27642

आवेश यादव
वित्त अधिकारी
पैन : AAPPY2129R

एग्रीनोवट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012
सीआईएन: U01400DL2011GOI226486, वेबसाइट: www.agrinnovate.co.in
दूरभाष: 011-25842122, 25842124 ईमेल: info@agrinnovate.co.in

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(ईपीएस को छोड़कर राशि सौ ₹ में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
	आय :			
I.	परिचालनों से राजस्व	11	1,051,211	740,457
II.	अन्य आय	12	711,460	640,220
III.	**कुल आय** (l+ll)		1,762,671	1,380,677
IV.	**व्यय :**			
	प्रत्यक्ष व्यय	13	840,969	593,266
	कर्मचारी हितलाभों पर व्यय	14	96,031	96,703
	(पूर्व अवधि के व्यय)		-	-
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	15	3,632	2,620
	अन्य व्यय	16	79,254	52,298
	कुल व्यय		1,019,886	744,887
V.	**विशिष्ट और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ** (III-IV)		742,785	635,790
VI.	विशिष्ट मदें (पूर्व अवधि व्यय)		-	1,768
VII.	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ** (V-VI)		742,785	634,022
VIII.	असाधारण मदें		-	-
lX.	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)		742,785	634,022
X.	कर व्यय :			
	(1) वर्तमान वर्ष		186,667	158,680
	(2)आस्थगित कर	16	277	1,670
XI.	**चालू परिचालनों से इस अवधि के लिए लाभ (हानि)**(IX-X)		555,841	473,672
XII.	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XIII.	बंद परिचनों का कर व्यय		-	-
XIV.	**बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)** (XII-XIII)		-	-
XV.	इस अवधि के लिए लाभ और हानि (Xl-XlV)		555,841	473,672
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर आय :			
	(1) मूल		1.11	0.95
	(2) Diluted		1.11	0.95
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न नोट फार्म वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

सम-तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 318016E

सीए रवि कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 303138

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.07.2025

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के निदेशक मंडल की ओर से

	डॉ. मांगी लाल जाट निदेशक डीआईएन :11121544	**संजय गर्ग** निदेशक डीआईएन:03401035
डॉ. प्रवीण मलिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी पैन: ADUPM5768N	**धृति मदान** कंपनी सचिवमुख्य सदस्यता सं. A-27642	**आवेश यादव** वित्त अधिकारी पैन : AAPPY2129R

एग्रीनोवट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012
सीआईएन: U01400DL2011GOI226486, वेबसाइट : www.agrinnovate.co.in
दूरभाष: 011-25842122, 25842124 ईमेल: info@agrinnovate.co.in

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि सौ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
A. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ	742,785	634,022
समायोजन :		
मूल्यह्रास	3,632	2,620
मूल्यह्रास समायोजन	-	4,921
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	746,417	631,722
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन :		
कार्यशील पूंजी समायोजन :		
व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	11,676	-13,665
अन्य मौजूदा आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	54,834	57,095
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	431,963	-847
अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)	12,638	-277,602
अल्पकालिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	-5,340	-122,459
परिचालन कार्यकलापों से अर्जित/(में प्रयुक्त) नकदी	1,252,187	274,244
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर	-186,667	-158,680
विशिष्ट मद से पूर्व परिचाल कार्यकलापों से अर्जित/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	1,065,520	115,564
विशिष्ट मद	-	-
परिचालन कार्यकलापों से अर्जित/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी (क)	1,065,520	115,564
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों का क्रय	-3,978	-86
निवेश कार्यकलापों से अर्जित/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी (ख)	-3,978	-86
ग. वित्तपोण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
एग्रीनोवेट के शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान	-142,235	-
वित्तपोण कार्यकलापों से अर्जित/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी (ग)	-142,235	-
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)	919,307	115,478
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समतुल्य	8,823,888	8,708,409
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	9,743,196	8,823,888
नोट:1) नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं		
नकद नकदी	23	-
बैंक खातों में	80,121	126,428
बैंकों में सावधि जमा के रूप में	9,663,051	8,697,459
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	9,743,195	8,823,887

सम-तारीख की हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

सम-तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 318016E

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

सीए रवि कुमार **भागीदार** **सदस्यता सं.** 303138		**डॉ. मांगी लाल जाट** निदेशक डीआईएन : 11121544	**संजय गर्ग** निदेशक डीआईएन : 03401035
स्थान : नई दिल्ली **तारीख :** 15.07.2025	**डॉ. प्रवीण मलिक** मुख्य कार्यपालक अधिकारी पैन: ADUPM5768N	**धृति मदान** कंपनी सचिवमुख्य सदस्यता सं. A-27642	**आवेश यादव** वित्त अधिकारी पैन : AAPPY2129R

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली - 110012
दूरभाष 011-25842122, 011-25842124 (टेलीफैक्स), www.agrinnovate.co.in
CIN:-U01400DL2011GOI226486
GSTIN:- 07AAKCA0156A1Z9 **PAN NO. AAKCA0156A**

नोट 1: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 कार्पोरेट सूचना

(क) कंपनी की स्थापना 19 अक्टूबर, 2011 को हुई थी। कंपनी कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत 100% भारत सरकार की कंपनी है।

(ख) डॉ. प्रवीण मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के एक कर्मचारी हैं जो कंपनी का कामकाज देखते हैं। इस संबंध में उन्हें या आईसीएआर को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) श्री आवेश यादव, मुख्य वित्त अधिकारी, आईसीएआर के एक कर्मचारी हैं जो कंपनी का कामकाज देखते हैं। इस संबंध में उन्हें या आईसीएआर को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु.100 करोड़ है जबकि कंपनी की निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 50 करोड़ है।

लेखांकन का आधार और वित्तीय विवरण की तैयारी

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जो कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाते हैं, के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक मूल्य प्रथा के तहत संचय के आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

1.2 आकलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के दौरान संपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशियों और रिपोर्ट की गई आय और व्यय में आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात / भौतिक रूप से प्राप्त होते हैं।

1.3 नकद और बैंक बैलेंस

नकदी में हाथ में नकदी और विदेशी मुद्रा की नकदी शामिल है। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

1.4 मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों और पद्धतियों के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है।

1.5 पट्टे

पट्टे, जहां पट्टादाता पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है।

1.6 राजस्व मान्यता

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) का उद्देश्य आईपीआर संरक्षण के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास परिणामों के विकास और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र उद्देश्य के रूप में डेयर के आईसीएआर के बल पर काम करना है। सार्वजनिक लाभ के लिए देश और देश से बाहर दोनों जगह व्यावसायीकरण एक पूर्वगामी साझेदारी है।

ब्याज आय के लिए नीति
सावधिक जमा और फ्लेक्सी जमा खाते पर ब्याज से प्राप्त राजस्व को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी गयी है।

रॉयल्टी आय के लिए नीति
रॉयल्टी को लाइसेंसिंग समझौते के अनुसार प्राप्य आधार पर मान्य और अर्जित किया गया है।

लाइसेंस शुल्क के लिए नीति
लाइसेंस शुल्क को तब मान्यता दी जाती है जब लाइसेंस समझौते के अनुसार लाइसेंसी को संपूर्ण तकनीकी जानकारी, निरूपण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। लाइसेंस आवंटित करने के लिए संबंधित व्यय को लाइसेंस की लागत (व्यय) के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की नीति
प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन से होने वाले राजस्व को संबंधित प्रशिक्षण पूरा होने पर मान्यता दी गई है।

1.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण

ए) विदेशी मुद्रा लेनदेन, प्रारंभिक मान्यता पर, लेनदेन की तारीख पर विदेशी मुद्रा राशि पर विनिमय दर लागू करके दर्ज किया गया है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को समापन दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है और विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर-मौद्रिक वस्तुओं को लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है।

बी) मौद्रिक मदों के निपटान पर या मौद्रिक मदों को उन दरों से भिन्न दरों पर रिपोर्ट करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिस पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, को उस वर्ष में जिस वर्ष में वे उत्पन्न होते हैं, आय या व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

1.8 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और ईएसआईसी के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

चूँकि कंपनी का कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है, अतः 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

1.9 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

अचल संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर लिया गया है। अचल संपत्तियों की लागत में उस तारीख तक अर्हता प्राप्त अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के कारण ऋण पर ब्याज और उस तिथि तक, जब तक इसका प्रस्तावित उपयोग प्रारम्भ नहीं होता है, इस पर किए गए अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं। अचल संपत्तियों से संबंधित बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, यदि ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाले लाभ में निष्पादन के पहले से निर्धारित मानक से अधिक वृद्धि होती है।

1.10 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण वस्तुओं के कर पश्चात प्रभाव, यदि कोई हो) को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर सुस्त आय की गणना कर पश्चात लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के कर पश्चात प्रभाव सहित, यदि कोई हो) को, तनु संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित व्यय या आय पर लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए समायोजित करके, प्रति शेयर मूल आय निकालने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

1.11 लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश भुगतान से छुट का प्रस्ताव रखा है। यह अनुरोध पत्र अनुमोदन हेतु कंपनी के प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात डेयर (DARE) के माध्यम से वित्त मंत्रालय के (DIPAM) डीआईपीएएम को भेजा जाएगा।

1.12 आय पर कर

वर्तमान कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है।

आस्थगित कर को समय के अंतर पर पहचाना जाता है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच अंतर होता है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। आस्थगित कर को कर के दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके गणना की जाती है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। अवशोषित मूल्यह्रास और घाटे को आगे बढ़ाने के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता हो कि ऐसी परिसंपत्तियों का एहसास करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अन्य मदों के समय

के अंतर के लिए केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जब उचित निश्चितता मौजूद हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है यदि ऐसी वस्तुएं समान कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और कंपनी के पास इस तरह के सेट ऑफ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की उनकी वसूली के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है।

1.13 परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों/नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के मूल्य की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। यदि हानि का कोई संकेत मौजूद है, तो ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि की पहचान की जाती है, यदि इन परिसंपत्तियों की वहन राशि उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक है। वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उनके मूल्य से अधिक है। उपयोग में आने वाला मूल्य उचित छूट कारक के आधार पर भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर निकाला जाता है। जब कोई संकेत मिलता है कि पहले लेखांकन अवधि में किसी परिसंपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, तो पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामले को छोड़कर, हानि के ऐसे उलट को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.14 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के आउटफ्लो की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य से छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

1.15 भाकृअनुप के संस्थानों, एग्रीनोवेट तथा भाकृअनुप-मुख्यालय के बीच राजस्व बंटवारे की विधि

भाकृअनुप के साथ किए गए समझौते के अनुसार राजस्व साझा किया जा रहा है तथा कंपनी की स्थापना से ही इसका अनुपालन किया जा रहा है। भाकृअनुप द्वारा हाल ही में आदेश संख्या **F. No. FIN/10/1/2002/-CDN (A&A)/e-357760 दिनांक** 10.03.2025 जारी किया गया है।

मौजूदा शेयर (09.03.2025 तक) 70 : 20 : 10 है (भाकृअनुप संस्थान, एग्रीनोवेट तथा भाकृअनुप-मुख्यालय)।

संशोधित शेयर (10.03.2025 से) 50 : 20 : 30 है (भाकृअनुप संस्थान, एग्रीनोवेट तथा भाकृअनुप-मुख्यालय)।

1.16 सीएसआर प्रयोज्यता

कंपनी के वित्तिय वर्ष 2024-25 मे कंपनी का शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ से अधिक हो गया, परिणामस्वरूप वित्तिय वर्ष 2025-26 से कंपनी पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 लागू हो गई है। अत: कंपनी को CSR प्रावधानों का पालन करते हुए, जिसमें (CSR) सीएसआर समिति का गठन व अधिनियम के तहत मान्य सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करना को सम्मिलित करना है।

एग्रीनोवट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

सीआईएन : U01400DL2011GOI226486

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पण, 31 मार्च, 2025

टिप्पणः 2 शेयर पूंजी

(राशि सौ ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	**अधिकृत**		
	प्रति 10 रुपये राशि के 10,00,00,000 (10,00,00,000) इक्विटी शेयर	10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
2	**जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पूर्ण रूप से भुगतान किए गए**		
	प्रति 10 रुपये राशि के 5,00,00,000 (5,00,00,000) इक्विटी शेयर	5,000,000	5,000,000
	कुल	**5,000,000**	**5,000,000**

(क) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकारः

कंपनी के पास 10/- प्रति शेयर के सममूल्य पर जारी इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशि के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में वितरण होगा।

(ख) कंपनी के समग्र शेयरों का 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का ब्यौरा

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
		शेयरों की संख्या	**शेयरों की संख्या**
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	49,999,940	49,999,940
	(धारित प्रतिशत)	99.9988 %	99.9988 %

(ग) रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआतऔर अंत में अधिशेष शेयरों का मिलान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
		शेयरों की संख्या	**शेयरों की संख्या**
	वर्ष के आरंभ में	50,000,000	50,000,000
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
	वर्ष के अंत में	**50,000,000**	**50,000,000**

(घ) वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	49,999,940	99.9988 %	शून्य
2	श्री बलराज, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
3	श्री एस.के. उपाध्याय, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
4	श्री सुनील कुमार मीना, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
5	श्री राजेश गुप्ता, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
6	श्री के. के. गविति, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
7	श्री सुरजीत साहा, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
	कुल	**50,000,000**	**100%**	

टिप्पण : 3 आरक्षित निधियां और अधिशेष

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	**लाभ और हानि विवरण के अनुसार अधिशेष :**		
	पिछले वित्तीय विवरणों से अग्रेषित शेष राशि	3,085,735	2,612,062
	जमा : वर्ष के लिए लाभ	555,841	473,673
	घटा: वर्ष (2023-24) के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	142,235	-
	कुल	**3,499,340**	**3,085,735**

टिप्पण : 4 व्यापार देय

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	एमएसएमई को कुल बकाया देय राशि		5,169	-
2	एमएसएमई के अलावा कुल बकाया देय राशि	(a+b+c+d)	1,222,105	795,312
	क)-लाइसेंस फीस का साझाकरण - भाकृअनुप का हिस्सा		411,272	287,575
	ख)-लाइसेंस फीस का साझाकरण - संस्थानों का हिस्सा		772,479	507,737
	ग)-गैर-भाकृअनुप संस्थान और अन्य राज्य कृषि विश्वविद्यालय		22,410	-
	घ)-अन्य का		15,944	-
	कुल		**1,227,274**	**795,312**

टिप्पण : 4.1 31 मार्च, 2025 के अनुसार व्यापार देयताओं की एजिंग शेड्यूल

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
		01 वर्ष से कम	01 से 02 वर्ष	02 से 03 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई		5,169	-	-	-	5,169
(ii) अन्य		632,293	271,679	238,108	80,025	1,222,105
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई		-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य		-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य		-	-	-	-	-
कुल		637,463	271,679	238,108	80,025	1,227,274

टिप्पण : 4.2 31 मार्च, 2025 के अनुसार व्यापार देयताओं की एजिंग शेड्यूल

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
		01 वर्ष से कम	01 से 02 वर्ष	02 से 03 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई		-	-	-	-	-
(ii) अन्य		372,262.42	102,760	219,614	100,675	795,312
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई		-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य		-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य		-	-	-	-	-
कुल		**372,262**	**102,760**	**219,614**	**100,675**	**795,312**

नोट : व्यापार देयताएं पुष्टिकरण के अधीन हैं।

टिप्पण : 5 अन्य वर्तमान देयताएं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	सांविधिक बकाया देय	62,640	53,879
2	प्रतिभूति जमा	1,491	550
3	अन्य देय	415	415
4	संविदा वेतन देय	4,231	4,073
5	व्यय देय	677	1,179
6	ग्राहकों से अग्रिम	10,383	7,105
	कुल	**79,838**	**67,200**

टिप्पण : 6 अल्पकालिक प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	व्यय के लिए प्रावधान	5,089	9,931
2	एनबीए/एसबीए शेयर के लिए प्रावधान	8,738	9,236
	कुल	**13,827**	**19,166**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

सीआईएन: U01400DL2011GOI226486

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पण

टिप्पण: 7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (राशि सौ ₹ में)

क्र. सं.	आस्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04. 2024 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोपन/ समायोजन	31.03.2025 के अनुसार	01.04. 2024 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन, यदि कोई हो	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
(क)	**संपत्ति, संयत्र और उपकरण**										
1	भवन सुधार	17,149	-	-	17,149	5,953	1,064	-	7,017	10,132	11,196
2	फर्नीचर और फिक्सचर	44,691		-	44,691	41,966	706	-	42,672	2,020	2,726
3	कार्यालय उपकरण	29,746	2,020	-	31,766	29,451	359	-	29,810	1,956	295
4	विद्युत संस्थापन और उपकरण	13,976	-	-	13,976	13,122	221	-	13,343	632	853
5	कम्प्यूटर और सहायक सामग्री	11,606	1,958	-	13,563	11,600	1,282	-	12,882	681	6
6	पट्टायुक्त भवन	0.01			0.01	-	-	-	-	0.01	0.01
	उप-योग	**117,167**	**3,978**	-	**121,145**	**102,092**	**3,632**	-	**105,724**	**15,421**	**15,075**
(ठ)	**अमूर्त आस्तियां**										
1	सॉफ्टवेयर	1,658	-	-	1,658	1,658	-	-	1,658	-	-
	उप-योग	1,658	-	-	1,658	1,658	-	-	1,658	-	-
	सकल योग (वर्तमान वर्ष)	**118,826**	**3,978**	-	**122,803**	**103,751**	**3,632**	-	**107,383**	**15,421**	**15,075**
	सकल योग (विगत वर्ष)	**118,740**	**86**	-	**118,826**	**106,051**	**2,620**	**4,921**	**103,751**	**15,075**	**12,689**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

सीआईएन : U01400DL2011GOI226486

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पण

टिप्पण : 8 व्यापार प्राप्य

(राशि सौ ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
	अच्छी मानी गई असुरक्षित व्यापार प्राप्य राशि		
1	छह माह से अधिक अवधि से बकाया देनदारियाँ	688	688
2	अन्य देनदारियाँ	1,309	12,985
	कुल	**1,998**	**13,673**

टिप्पण : 8.1 31 मार्च, 2025 के अनुसार व्यापार प्राप्य राशियों की एजिंग शेड्यूल

क्र. सं.	विवरण	06 माह से कम	06 माह से 01 वर्ष	01 से 02 वर्ष	02 से 03 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	कुल
1	(i) निर्विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
2	(ii) निर्विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	1,309	-	680	-	8	1,998
3	(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
4	(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
	कुल	**1,309**	**-**	**680**	**-**	**8**	**1,998**

टिप्पण : 8.2 31 मार्च, 2025 के अनुसार व्यापार प्राप्य राशियों की एजिंग शेड्यूल

क्र. सं.	विवरण	06 माह से कम	06 माह से 01 वर्ष	01 से 02 वर्ष	02 से 03 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	कुल
1	(i) निर्विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	12,985	680	-	8	-	13,673
2	(ii) निर्विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
3	(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
4	(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
	कुल	**12,985**	**680**	**-**	**8**	**-**	**13,673**

नोट : व्यापार प्राप्य पुष्टिकरण के अधीन हैं।

टिप्पण : 9 नकद और नकद समतुल्य

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	**नकद और नकद समतुल्य**		
	नकद नकदी	23	-
	बैंकों में जमा राशि		
	- चालू खातों में	80,121	126,428
	- 03 माह से कम परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में	-	314,405
	- एफडीआर पर अर्जित ब्याज	4,974	514
	कुल (क)	85,094	441,347
	ख) अन्य बैंक शेष राशि		
	- 03 माह से अधिक परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में	9,244,145	8,000,000
	- 03 माह से अधिक परिपक्वता वाले एफडीआर पर अर्जित ब्याज	413,933	382,541
	कुल (ख)	9,658,078	8,382,541
	कुल (क+ख)	**9,743,195**	**8,823,887**

टिप्पण : 10 अन्य मौजूदा आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	आयकर प्रावधानों के लिए अग्रिम कर और टीडीएस	25,659	84,947
2	पूर्व भुगतान किए गए व्यय	118	375
3	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	489	14
4	कर्मचारियों को अग्रिम	24	-
5	राजस्व प्राधिकरणों के पास शेष	29,211	24,997
	कुल	**55,500**	**110,334**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

सीआइएन : U01400DL2011GOI226486

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पण

टिप्पण : 11 परिचालनों से राजस्व

(राशि सौ ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर लाइसेंस शुल्क	958,488	668,375
2	प्राप्त रॉयल्टी	92,723	72,082
	कुल	**1,051,211**	**740,457**

टिप्पण : 12 अन्य आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	सावधि जमा पर ब्याज	710,490	635,299
2	आयकर वापसी पर ब्याज	970	0.42
3	मूल्यह्रास समायोजन	-	4,921
	कुल	**711,460**	**640,220**

टिप्पण : 13 प्रत्यक्ष व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	लाइसेंस शुल्क की लागत (80% भाकृअनुप + भाकृअनुप संस्थान)	766,790	521,184
2	रॉयल्टी भुगतान की लागत(80% भाकृअनुप + भाकृअनुप संस्थान)	74,179	72,082
	कुल	**840,969**	**593,266**

टिप्पण : 14 कर्मचारी हितलाभों के लिए व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	**वेतन :-**		
	स्थायी कर्मचारियों के लिए	-	-
	संविदा कर्मचारियों के लिए	50,432	50,117
	एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के लिए	44,405	45,208
2	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	1,194	1,378
	कुल	**96,031**	**96,703**

टिप्पण : 15 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	मूल्यह्रास	3,632	2,620
	कुल	**3,632**	**2,620**

टिप्पण : 16 अन्य व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
	अन्य अप्रत्यक्ष लागतें		
1	प्रशासनिक व्यय	2,320	3,391
2	बिजली और पानी	3,495	2,916
3	किराया, दरें और कर	1,748	1,748
4	सामान्य सेवा प्रभार	10,001	8,426
5	मुद्रण और स्टेशनरी	6,256	2,479
6	संचार	1,796	1,218
7	वाहन किराए पर लेने का किराया	8,514	8,591
8	अंतर्देशीय यात्रा	10,202	5,483
9	प्रचार/ प्रदर्शनी/ विज्ञापन	6,067	967
10	शुल्क और सब्सक्रिप्शन	1,666	306
11	मरम्मत और रखरखाव		
	- मरम्मत और रखरखाव (कम्प्यूटर और प्रिंटर)	6,256	687
	- अन्य	304	252
12	कानूनी और पेशेवर प्रभार	1,803	3,096
13	आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	345	250
14	सचिवीय लेखापरीक्षा शुल्क	65	77
15	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	-	-
	- सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	460	460
16	जीएसटी/आरसीएम पर ब्याज	-	81
17	टीडीएस पर ब्याज	1	27
18	प्रावधान (पी/वाई)	-	1,301
19	विविध	5,391	1,495
20	वेबसाइट निर्माण/डिजाइन	2,100	-
21	हाउसकीपिंग सेवाएं	6,265	4,645
22	बैठकों के लिए व्यय	2,564	2,934
23	वार्षिक रखरखाव व्यय	1,524	1,093
24	आरओसी व्यय	47	300
25	बैंक प्रभार	64	74
	कुल	**79,254**	**52,298**

एग्रीनोवट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

सीआईएन : U01400DL2011GOI226486

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पण

टिप्पण: 17 आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं

(राशि सौ ₹ में)

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	**डब्ल्यू. डी. वी. के कारण**			
		कंपनी अधिनियम के अनुसार	15,421	15,075
		आयकर के अनुसार	31,972	32,730
		कंपनी अधिनियम पर आयकर के रूप में अधिक डब्ल्यूडीवी	-16,552	-17,655
		आस्थगित कर आस्तियां / 25.168%	4,166	4,443
		लाभ और हानि विवरणों में पहचाने गए	**277**	**1,670**

टिप्पण: 18 प्रति इक्विटी शेयर आय

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
लाभ और हानि के विवरणों के अनुसार इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्त निवल लाभ	555,841	473,672
इक्विटी शेरधारक	50,000,000	50,000,000
इक्विटी शेयरों की भारित कुल संख्या	50,000,000	50,000,000
क. प्रति 10/- रुपये के प्रत्येक शेयर पर मूल आय	**1.11**	**0.95**
ख. प्रति 10/- रुपये के प्रत्येक शेयर पर डाइल्यूटेड आय	**1.11**	**0.95**

टिप्पण: 19 आकस्मिक देयताएं

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताएं मौजूद हैं :-			
क) ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए कंपनी के खिलाफ दावे			
	- माल और सेवा कर मामले	शून्य	शून्य
	-आय कर मामले (10IC देरी से फाइल करना)	2,775,044	Nil
	-अन्य मामले	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
ख) पूंजीगत खातों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि		शून्य	शून्य
ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		शून्य	शून्य

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : U01400DL2011GOI226486

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पण

टिप्पण : 20 संबंधित पक्ष लेनदेन प्रकटीकरण

(i) संबंधित पक्षों के नाम जहां नियंत्रण मौजूद है और संबंधित पक्ष जिनके साथ लेनदेन हुआ है और उनसे संबंध:

क) कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/व्यक्तिः

- -डॉ. हिमांशु पाठक, अध्यक्ष एवं निदेशक (03 मार्च 2025 तक)
- -डॉ. मांगी लाल जाट, अध्यक्ष एवं निदेशक (27 मई 2025 से नियुक्त)
- -श्री संजय गर्ग, निदेशक
- -डॉ. अशोक महादेव राव दलवई, निदेशक (11.08.2024 तक)
- -श्री सैमुअल प्रवीन कुमार, निदेशक (10.10.2024 से नियुक्त)
- -डॉ. अलका नांगिया अरोड़ा, निदेशक (30 अप्रैल 2025 तक)
- -डॉ. नीरू भूषण, निदेशक
- -श्री आनंद मोहन अवस्थी, निदेशक
- -श्री गौंडर करुपाना नागराज, निदेशक
- -डॉ. प्रवीण मलिक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- -श्री राहुल कुमार, मुख्य वित्त अधिकारी (31.12.2024 तक)
- -श्री आवेश यादव, मुख्य वित्तीय अधिकारी (07.01.2025 से)
- -सुश्री धृति मदान, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में प्रकटीकरण

(राशि सौ ₹ में)

	विवरण	संबंध	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**प्रबंधकीय पारिश्रमिक**			
	- डॉ. प्रवीण मलिक	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	-	-
	- सुश्री धृति मदान	कंपनी सचिव	8,105	8,719
2	**व्यय की प्रतिपूर्ति**			
	-डॉ. प्रवीण मलिक	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	2,042	1,122
	-श्री राहुल कुमार	मुख्य वित्त अधिकारी	109	217
	-श्री आवेश यादव	मुख्य वित्त अधिकारी	-	-
	-सुश्री धृति मदान	कंपनी सचिव	453	254
3	**निदेशक बैठक शुल्क**			
	-श्री आनंद मोहन अवस्थी	निदेशक	601	594
	-श्री गौंडर करुपाना नागराज	निदेशक	306	342

टिप्पण : 21 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का विवरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 1022 (ई) जारी की है, जिसमें सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को देय राशि के संबंध में कुछ प्रकटीकरण किए गए हैं। तदनुसार, विक्रेताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर वित्तीय विवरणों में ऐसे उद्यमों को देय राशि के संबंध में प्रकटीकरण किया गया है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है:

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज;		
– मूल राशि	-	-
– ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार क्रेता द्वारा अदा की गई ब्याज राशि	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि	-	-
आगामी वर्षों में भी बकाया और देय शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

टिप्पण 22 आस्थगित कर देयताएं/आस्तियां

कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस-22 का पालन कर रही है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है और आगे बढ़ाया जाता है, जब तक कि यह निश्चित हो कि आस्तियां भविष्य में संपादित की जाएंगी।

टिप्पण 23 प्रमुख अनुपातों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	अंश	भाजक	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार	अंतर का प्रतिशत	यदि 25 प्रतिशत से अधिक अंतर है तो इसका कारण
1	वर्तमान अनुपात (गुना)	कुल वर्तमान आस्तियां	कुल वर्तमान देयताएं	7.42	10.15	-27%	चालू आस्तियों में वृद्धि का कारण – सावधि जमा से प्राप्त ब्याज को सावधि जमा में समायोजित किया गया है; तथा चालू देयताओं में वृद्धि – संस्थान तथा भाकृअनुप के हिस्से के संबंध में देयता में वृद्धि के कारण है, जिसका भुगतान अभी किया जाना शेष है।
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (गुना)	कुल ऋण	कुल इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुना)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (1)	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (%)	वर्ष का लाभ	शेयरधारक इक्विटी	7%	6%	16.66%	महत्वपूर्ण नहीं
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (गुना)	ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुना)	शुद्ध ऋण खरीद	माल के लिए औसत व्यापार देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	निवल पूंजी टर्नओवरअनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	0.13	0.18	27.77%	पिछले वर्ष की तुलना में टर्नओवर में वृद्धि के कारण
9	परिचालन अंतर (%)	ब्याज, कर एवं असाधारण मदों से पूर्व आय, अन्य आय घटाकर	बिक्री और सेवाओं का मूल्य	2.98%	0.85%	2%	महत्वपूर्ण नहीं
10	लगाई गई पूंजी पर रिटर्न (%)	कर से पहले का लाभ वित्त लागत जोड़ें	लगाई गई पूंजी	9%	8%	12.5%	महत्वपूर्ण नहीं
11	निवेश पर रिटर्न	शुद्ध लाभ/ पीएटी	निवेश की लागत	11%	9%	22.22%	महत्वपूर्ण नहीं

Note 24 अन्य वैधानिक सूचना

क) कंपनी के पास ऐसी कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

ख) कंपनी ने निर्दिष्ट व्यक्तियों जैसे प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, संबंधित पक्षों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है; जो मांग पर चुकाने योग्य हैं या जहां समझौते में कोई शर्तें या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट नहीं है।

ग) कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है, जिसके पास वित्तीय वर्ष के दौरान या रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बाद, लेकिन वित्तीय विवरणों को मंजूरी दिए जाने की तारीख से पहले, किसी भी समय कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने की शक्ति है।

घ) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ: (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा (अंतिम लाभार्थी) या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करेगा।

ङ) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (निधि देने वाला पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से,इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई निधि प्राप्त नहीं की है, कि कंपनी: (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधि देने वाले पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन और / या शेष राशि बकाया नहीं है।

छ) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो बही खातों में दर्ज नहीं है, लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किया गया है (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान)।

ज) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

झ) कंपनी ने कंपनी (स्तरोंकी संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन किया है।

ञ) कंपनी के पास कोई प्रभार या आश्वासन नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ पंजीकृत किया जाना शेष है।

ट) विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25
बहिर्गमन	शून्य
आय	शून्य

टिप्पण : 25 पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

सम-तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

कृते सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 318016E

सीए रवि कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 303138

डॉ. मांगी लाल जाट
निदेशक
डीआईएन : 11121544

संजय गर्ग
निदेशक
डीआईएन : 03401035

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.07.2025

डॉ. प्रवीण मलिक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन : ADUPM5768N

धृति मदान
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A-27642

आवेश यादव
पैन: DIHPK6798B

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

देय सांविधिक बकाया

(राशि सैकड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	
1	स्रोत पर कर कटौती		2,102,601.00
2	जीएसटी पर टीडीएस		91,068.00
3	देय ब्याज		4,067,827.00
4	सीजीएसटी आरसीएम के लिए प्रावधान		1,260.00
5	एसजीएसटी आरसीएम के लिए प्रावधान	–	1,260.00
	कुल	–	**6,264,016.00**

चालू खातों में बैंक में शेष राशि

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार
1	कैनरा बैंक	7,990,706.48
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	21,362.34
		–
	कुल	**8,012,068.82**

अन्य देय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	
1	बीज शीतल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड		4,500.00
2	सेंसरटिक्स प्राइवेट लिमिटेड		10,000.00
3	सूरजश्री केमिकल्स लिमिटेड		25,000.00
4	डब्लू एस टेलीमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड		2,000.00
	कुल		**41,500.00**

ग्राहकों से अग्रमि

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार
1	एबीसी एग्रोबायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	20,000.00
2	ऐमिल फार्मास्युटिकल्स इंडिया लिमिटेड	25,000.00
3	बागवानी विभाग - हुलिमावु	10,000.00
4	एनवोजाइम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	15,000.00
5	एवरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	369,700.00
6	हिल इंडिया लिमिटेड	30,000.00
7	हाइफन एग्रीलिंक प्राइवेट लिमिटेड	8,824.00
8	इनेरा क्रॉपसाइंस प्राइवेट लिमिटेड	215,000.00
9	इनोवेट फार्मा	60,000.00
10	मानसून सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	10,000.00
11	मीनावती कृषि एग्रोवेंचर प्रोड्यूसर कंपनी	15,000.00
12	नेक्स्ट-जेन एग्रो	1,62,296.00
13	नीलंचल एग्रीसाइंस एलएलपी	10,000.00
14	पेनेट्रॉन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड/रामराज एसोसिएट्स	50,000.00
15	यूनियाग्री बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड	37,500.00
		10,38,320.00

आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार
1	श्री डी जी कॉर्पोरेशन	13,935.24
2	प्रौद्योगिकी अनुसंधान निदेशक (डीपीआर)	18,900.00
3	गर्ग पेंट्स एंड हार्डवेयर	297.00
4	हाई-कलर इंटरनेशनल	722.58
5	मेघराज रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग	10,748.22
6	पार्श्व एंटरप्राइजेज	4,257.00
		48,860.04

राजस्व प्राधिकरणों के पास शेष राशि

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार
1	टीडीएस प्राप्य सी/एफ	8,824.00
2	टीडीएस प्राप्य	10,028,101.00
3	टीडीएस प्राप्य (धारा 26एएस में शामिल नहीं)	914,680.00
4	गोडैडी से वसूल की जा सकने वाली टीडीएस	24,680.00
5	आयकर वापसी योग्य (वित्तीय वर्ष 2020-21)	1,505,056.00
	कुल	**12,481,341.00**

व्यापार प्राप्य परिपक्वन समयावधि

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि					
		6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
1	सीओई - बागवानी विभाग					14,000.00	14,000.00
2	जिला बागवानी कार्यालय					33,040.00	33,040.00
3	फ्लोरेसर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड					2,471.00	2,471.00
4	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड					399.50	399.50
5	पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान					100,000.00	100,000.00
6	आलू अनुसंधान केंद्र					33,040.00	33,040.00
7	टेरेस्ट्रियल फूड्स लिमिटेड					16,800.00	16,800.00
							-
	कुल	-	-	-	-	**199,750.50**	**199,750.50**

नोट: उपर्युक्त व्यापार प्राप्य राशियाँ टीडीएस के विरुद्ध पारित रिवर्स एंट्री के कारण वसूली योग्य हैं और संबंधित विक्रेताओं द्वारा पिछले वर्षों में जीएसटी टीडीएस जमा नहीं किया गया था।

एग्रीनोवट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार मूल्यह्रास का विवरण

राशि सौ रुपये में

विवरण	मूल्यह्रास की दर	01 अप्रैल, 2024 तक डब्ल्यूडीवी	वर्ष के दौरान परिवर्धन			बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2025 तक कुल	वर्ष में मूल्यह्रास	31 मार्च, 2025 तक डब्ल्यूडीवी
			01 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024	01 अक्तूबर, 2024 से 31 मार्च, 2025	कुल परिवर्धन				
भवन	10%	6,312			-	-	6,312	631	5,681
बिजली फिटिंग सहित फर्नीचर और फिक्सचर	10%	16,352			-		16,352	1,635	14,717
कार्यालय उपकरण	15%	9,969	-	2,020	2,020	-	11,989	1,647	10,342
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	40%	97	1,958	-	1,958	-	2,054	822	1,233
	0%	0.01			0.01		0.01	-	0.01
कुल		**32,730**	**1,958**	**2,020**	**3,978**	-	**36,707**	**4,735**	**31,972**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2024-25

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों की सेवा में

यह रिपोर्ट दिनांक 15 जुलाई, 2025 को जारी हमारी पूर्ववर्ती रिपोर्ट का स्थान लेती है।

हमारी राय

हमने **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली** ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों पर नोट्स शामिल है जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (बाद में इन्हें "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत आवश्यक जानकारी देते हैं जो आवश्यक तरीके से और 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उसके लाभ, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्ची और निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण (Sas) मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया। उन मानकों के तहत *हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों* में आगे वर्णित हैं। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए जरूरी एथिकल जरूरतें भी हैं, और हमने इन जरूरतों और कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार अपनी दूसरी एथिकल जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

विषयों पर विशेष बल

1. हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों के अनुसार स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर का समुचित रखरखाव नहीं किया है। फलस्वरूप, हम वित्तीय विवरणों में दर्शित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की पूर्णता तथा शुद्धता का सत्यापन करने में असमर्थ रहे। हमारी राय में, यह लागू लेखांकन मानकों एवं वैधानिक आवश्यकताओं से विचलन का द्योतक है।
2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत दाखिल रिटर्न के माध्यम से दावा किए गए जीएसटी इनपुट के साथ जीएसटी इनपुट क्रेडिट का मिलान करने में विफल रही। कंपनी ने 01 अप्रैल, 2023 या उससे पूर्व की अवधि से संबंधित ₹24,99,698/- की जीएसटी इनपुट क्रेडिट की असमायोजित शेष राशि प्रदर्शित की है। जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार

कंपनी इस इनपुट क्रेडिट का दावा कर सकती है या नहीं, इसकी जानकारी के अभाव में जीएसटी इनपुट क्रेडिट का प्रतिपादन निश्चित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2025 तक तैयार बैलेंस शीट में चालू परिसंपत्तियों का मूल्य ₹24,99,698/- की सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।

3. कंपनी की व्यापार देय राशियों में ₹11,83,75,051/- की राशि सम्मिलित है (जिसमें ₹7,72,47,851/- संस्थानों का अंश तथा ₹4,11,27,199/- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अंश है), जो एक उल्लेखनीय अवधि से बकाया है। उक्त राशि के संबंध में कंपनी शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ रही है। अत: संबंधित पक्षों के बकाया शेष का अंतिम निर्धारण लेखों के मिलान/समायोजन अथवा निपटान के पश्चात, यदि कोई हो, समायोजन के अधीन रहेगा।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में दी गई जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक भी शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान मिली जानकारी से बेमेल है या किसी और तरह से बहुत ज्यादा गलत लगती है।

यदि हमारे द्वारा संपादित कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उक्त अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि विद्यमान है, तो उस तथ्य की रिपोर्ट करना हमारे लिए अपेक्षित है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कोई विषय नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामले के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो

उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामले का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के वर्तमान चिंताओं के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के पर्यवेक्षण हेतु निदेशक मंडल भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो।

उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा जब ऐसा मौजूद हो। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, एकल रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

SAs के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यों के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थिति अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों से

संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियां कंपनी को एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखना बंद कर सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और तथ्यों का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और लेखा परीक्षा का समय और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, गवर्नेंस से जुड़े लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह विवरण भी उपलब्ध करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संप्रेषित विषयों में से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं तथा इस प्रकार प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में करते हैं, सिवाय उन परिस्थितियों के जब विधि या विनियम के अंतर्गत किसी मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर प्रतिबंध हो, अथवा अत्यंत विरल परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले का हमारी रिपोर्ट प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संभावित प्रतिकूल परिणाम उस प्रकटीकरण से प्राप्त होने वाले सार्वजनिक हित के लाभों से युक्तिसंगत रूप से अधिक होने की अपेक्षा हो।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी **कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020** ('आदेश') के अनुसार, हम **अनुलग्नक 'ए'** में आदेश के अनुच्छेद 3 तथा 4 में निर्दिष्ट मामलों का, जहाँ तक लागू हो, विवरण प्रस्तुत करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

बी) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों का रखाव किया है।

सी) इस रिपोर्ट में मौजूद बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े

गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ई) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05-06-2015 को जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसरण में, निदेशक की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।

एफ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05-06-2015 को जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसरण में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।

जी) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **"अनुलग्नक बी"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक संशोधित राय व्यक्त करती है।

एच) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों तथा अतिरिक्त निर्देशों के संबंध में हमारी टिप्पणियाँ अनुलग्नक "सी एवं डी" में दी गई हैं।

आई) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी के पास कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।

iii. कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (क) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) किसी अन्य व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं ("मध्यस्थ"), को अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में अभिलिखित हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार से चिन्हित अन्य व्यक्तियों या इकाइयों ("अंतिम लाभार्थी") को ऋण देगा या निवेश करेगा अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा।

v. (ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं ("वित्तपोषण पक्ष"), से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) इस समझ के साथ प्राप्त नहीं की गई है, चाहे वह लिखित रूप में अभिलिखित हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से चिन्हित अन्य व्यक्तियों या इकाइयों ("अंतिम लाभार्थी") को ऋण देगी या निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई

गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही चीज प्रदान करेगी; तथा

(ग) परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत, उपर्युक्त (क) और (ख) के तहत प्रस्तुति में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान सम्मिलित है।

vi. लाभांश

(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान तथा रिपोर्ट की तिथि तक कोई अंतरिम लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

(ख) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, जहाँ तक लागू हो, अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

तथापि, निदेशक मंडल की दिनांक 15 जुलाई 2025 को आयोजित 62वीं बैठक की कार्यवृत्त के मद सं. 62/09 के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि पूंजीगत व्यय/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताओं तथा विद्यमान देनदारियों के निपटान के आधार पर, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश के भुगतान से छूट प्रदान की जाए। निदेशक मंडल ने यह भी निर्णय लिया कि छूट का प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) को आर्थिक कार्य विभाग तथा डीआईपीएएम को अनुशंसा हेतु अग्रेषित किया जाए।

vii. हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए यह सुविधा पूरे साल काम करती रही है। इसके अलावा हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला है।

कंपनी द्वारा अभिलेख संरक्षण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल संरक्षित रखा गया है।

अत:, हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दिनांक 01 अप्रैल 2022 को या उसके पश्चात प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के संबंध में नियम 11(जी) की उपर्युक्त आवश्यकता का अनुपालन किया है।

कृते सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीकरण सं.: 318016ई

सी.ए. रवि कुमार (साझेदार)
सदस्यता सं.: 303138
यूडीआईएन:- 25303138BMGYAX2800

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19-09-2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को दी गई हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित यह अनुलग्नक, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए है।

हमारे द्वारा उपयुक्त माने गए परीक्षणों के आधार पर तथा लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. **कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में :**

ए. • कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं कर रही है।

• कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दर्शाने वाला उचित रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया है।

बी. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

सी. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास लीजहोल्ड कार्यालय परिसर के अतिरिक्त कोई अन्य अचल संपत्ति नहीं है।

डी. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। अतः आदेश की धारा 3(i)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ई. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति के संबंध में कंपनी के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है तथा दिनांक 31 मार्च 2025 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ii. **इसकी माल सूची (इनवेन्टरी) के संबंध में:**

ए. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के व्यवसाय में कोई माल सूची नहीं है, अतः कंपनियाँ (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 की धारा 3(ii)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

बी. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की जमानत पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं कराई है। अतः आदेश की धारा 3(ii)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iii. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है और न ही कोई ऋण

या ऋण के स्वरूप में अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान किया है। अत: आदेश की धारा 3(iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iv. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 में निर्दिष्ट कोई ऋण नहीं दिया है, न ही कोई निवेश किया है और न ही कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है। अत: आदेश की धारा 3(iv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

v. हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और अत: अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधान और कंपनियाँ (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 लागू नहीं होते हैं।

vi. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के संधारण का कोई प्रावधान निर्धारित नहीं किया है। अत: उक्त आदेश की धारा 3(vi) के अंतर्गत कंपनी पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

vii. ए. हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयों सहित निर्विवाद वैधानिक देयों का सामान्यत: कंपनी द्वारा नियमित रूप से संबंधित प्राधिकरणों के पास जमा किया गया है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त देयों के संबंध में कोई भी निर्विवाद देय राशि 31 मार्च 2025 को देय होने की तिथि से छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

बी. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क या उपकर अथवा अन्य वैधानिक देयों से संबंधित कोई भी देय राशि विवाद के कारण जमा नहीं की गई है, सिवाय उन वैधानिक देयों के जो वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट 2 (2ए एवं 2बी) में उल्लिखित हैं।

viii. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान पुस्तकों में पूर्व में अभिलिखित न की गई किसी भी आय के रूप में किसी भी लेनदेन को समर्पित या प्रकट नहीं किया है। अत: आदेश की धारा 3(viii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ix.

(ए) हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण या अन्य उधारी प्राप्त नहीं की है। अत: आदेश की धारा 3(ix) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x.

(ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे के सार्वजनिक निर्गम (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है, अत: आदेश की धारा 3(x)(a) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(बी) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्णत:, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई वरीयता

आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है, अतः आदेश की धारा 3(x)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xi.

(ए) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई और हमारे द्वारा बहियों एवं अभिलेखों की जाँच के आधार पर तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी न तो पाई गई है और न ही रिपोर्ट की गई है।

(बी) हमने वर्ष के दौरान तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनियाँ (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार, केंद्रीय सरकार को फॉर्म एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(सी) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xiii. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेनदेन, जहाँ तक लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

xiv. ए. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है।

बी. मार्च 2025 तक की आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई और हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय उस पर विचार किया गया।

xv. हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। अतः आदेश की धारा 3(xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xvi.

(ए) हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(xvi)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(बी) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधि नहीं की है, अतः कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(xvi)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(सी) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार मुख्यतः निवेश करने वाली कंपनी नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(xvi)(सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(डी) हमारी राय में कंपनी किसी भी समूह का भाग नहीं है (मुख्यत: निवेश करने वाली कंपनियाँ (भारतीय रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार)। अत: आदेश की धारा 3(xvi)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने न तो चालू वित्तीय वर्ष में और न ही उसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि वहन की है।

xviii. वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं हुआ है। अत: आदेश की धारा 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xix. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु एवं अपेक्षित वसूली तिथियाँ, वित्तीय दायित्वों के भुगतान की अपेक्षित तिथियाँ, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के संबंध में हमारे ज्ञान तथा मान्यताओं के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों का, उनके देय होने पर, एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है तथा हम कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देते कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा समय पर भुगतान कर दिया जाएगा।

xx. कंपनी पर निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कोई व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। अत: आदेश की धारा 3(xx)(ए) तथा 3(xx)(बी) के अंतर्गत प्रतिवेदित वर्ष के लिए लागू नहीं होती है।

कृते सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीकरण सं.: 318016ई

सी.ए. रवि कुमार (साझेदार)
सदस्यता सं.: 303138
यूडीआईएन:- 25303138BMGYAX2800

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19-09-2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'बी'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2025 तक के एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी *वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट* में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माना गया है, जहाँ तक वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं। उपर्युक्त लेखापरीक्षा मानक तथा मार्गदर्शक नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाएँ और उसका निष्पादन करें ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनके परिचालन की प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएँ शामिल है। वित्तीय विवरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के अस्तित्व के जोखिम का आकलन करना, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिम का आकलन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुमोदन के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या अनुपालन के स्तर के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।

राय

हमारे राय में, कंपनी के पास, सभी भौतिक पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा वित्तीय विवरणों पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थिर परिसंपत्तियों और माल सूची को छोड़कर, 31 मार्च 2025 की स्थिति में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर है।

कृते सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीकरण सं.: 318016ई

सी.ए. रवि कुमार (साझेदार)
सदस्यता सं.: 303138
यूडीआईएन:- 25303138BMGYAX2800

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19-09-2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'सी'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सामान्य निर्देश

क्र. सं.	प्रश्न	लेखापरीक्षक का उत्तर
1	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों के लिए कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, चाहे वे सूचीबद्ध हों या असूचिबद्ध, के उचित मूल्यांकन का आकलन किया जाए। इसमें मूल्यांकन कार्यप्रणालियों का सत्यापन, भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) की अनुरूपता सुनिश्चित करना तथा सहायक अभिलेखों की समीक्षा करना शामिल है। लेखापरीक्षक द्वारा मूल्यांकन पद्धति, उसकी युक्तिसंगतता तथा लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान की जाएगी तथा किसी भी भौतिक विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट की जाएगी।	निर्देश के अनुसार, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों के लिए कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों के उचित मूल्यांकन का आकलन किया जाना आवश्यक है। सत्यापन पर यह पाया गया कि कंपनी के पेरोल पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। तदनुसार, कंपनी की बहियों में इस प्रकार की कोई भी सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ योजनाएँ, कोष अथवा संबंधित निवेश विद्यमान नहीं हैं। अतः ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के आकलन की आवश्यकता कंपनी पर **लागू नहीं** होती है।
2	क्या कंपनी के पास सभी लेखा लेनदेन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखा लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	कंपनी के पास सभी अकाउंटिंग लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए आईटी सिस्टम है। सभी अकाउंटिंग प्रविष्टियाँ कम्प्यूटरीकृत सिस्टम में कैप्चर की जाती हैं और सभी प्रविष्टियों के प्राधिकरण और समापन के बाद खाता तैयार किया जाता है। इसलिए, आईटी सिस्टम के बाहर अकाउंटिंग लेनदेन को प्रोसेस करने का कोई निहितार्थ नहीं है।
3	क्या केंद्र सरकार/राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियाँ (अनुदान/सब्सिडी आदि) लागू लेखांकन मानकों अथवा मानदंडों के अनुसार समुचित रूप से लेखांकित की गई हैं तथा क्या प्राप्त निधियों का उपयोग उनके नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत की जाए।	लेखापरीक्षा के दौरान यह सत्यापित किया गया कि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में कंपनी को **केंद्र सरकार/ राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से कोई भी अनुदान, सब्सिडी अथवा निधि प्राप्त नहीं हुई है।** तदनुसार, लेखांकन उपचार, निधियों के उपयोग अथवा ऐसे अनुदानों पर अर्जित ब्याज की मान्यता के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अतः इस निर्देश के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर **लागू नहीं** होती है।
4	क्या कंपनी द्वारा प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की गई है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने हेतु कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है तथा क्या उनका उपयुक्त रूप से मूल्यांकन किया गया है?	सत्यापन पर यह पाया गया कि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा **औपचारिक रूप से प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है तथा कोई प्रलेखित जोखिम प्रबंधन नीति भी तैयार नहीं की गई है।** परिणामस्वरूप, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, डेटा परिसंपत्तियों की पहचान एवं मूल्यांकन तथा जोखिम निवारण उपायों से संबंधित पहलू उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः इस निर्देश के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

क्र. सं.	प्रश्न	लेखापरीक्षक का उत्तर
5	क्या कंपनी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत, सीईआरटी-इन, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अन्य सभी लागू नियमों एवं विनियमों का, जहाँ लागू हो, अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जाए।	कंपनी **किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है,** अत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधान कंपनी पर **लागू नहीं** होते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि कंपनी की ऐसी कोई गतिविधियाँ अथवा परिचालन नहीं हैं जिनके लिए इस निर्देश में उल्लिखित सेबी या अन्य क्षेत्र-विशिष्ट नियामक प्राधिकरणों (जैसे निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत, सीईआरटी-इन, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के अनुपालन की आवश्यकता हो। अत: इस निर्देश के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीकरण सं.: 318016ई

सी.ए. रवि कुमार (साझेदार)
सदस्यता सं.: 303138
यूडीआईएन:- 25303138BMGYAX2800

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19-09-2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'डी'

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ-3 में संदर्भित)

1	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट शीर्षक/लीज डीड उपलब्ध है? यदि नहीं, तो कृपया बताएं कि फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का वह क्षेत्र जिसके लिए शीर्षक/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	दिनांक 31.03.2025 तक कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि नहीं है, तथापि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने आईसीएआर, नई दिल्ली के दिनांक 22.01.2014 के आवंटन पत्र के आधार पर लीजहोल्ड कार्यालय परिसर को मान्यता दी है, जिसके लिए कंपनी के पक्ष में कोई लीजहोल्ड समझौता निष्पादित नहीं किया गया है।
2	क्या बाध्यता/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने की कोई मामलें हैं? यदि हां, तो इसके कारण और इनमें शामिल राशि।	ऐसे कोई मामले नहीं हैं।
3	क्या तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री तथा सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित रिकार्ड रखे जाते हैं।	कम्पनी में कोई इन्वेंट्री नहीं है और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यह प्रावधान लागू नहीं है।

कृते सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीकरण सं.: 318016ई

सी.ए. रवि कुमार (साझेदार)
सदस्यता सं.: 303138
यूडीआईएन:- 25303138BMGYAX2800

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19-09-2025

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर,
डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली - 110012

हमने एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (CIN U01400DL2011GOI226486) (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहारों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरह से किया गया था कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

(ए) कंपनी की खातों, कागजात, कार्यवृत्त विवरणिकाओं, दाखिल किए गए फॉर्म एवं रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, **हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि** हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष ("ऑडिट अवधि") को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और विषय के अनुरूप अनुपालन-तंत्र इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, तरीके से मौजूद हैं:

(बी) हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए खातों, कागजातों, कार्यवृत्त विवरणिकाओं, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि कंपनी में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं था और कंपनी द्वारा कोई बाह्य वाणिज्यिक उधारी नहीं ली गई थी)**;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश - (**लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**);

(vi) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, इसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच करने पर, नमूना जांच के आधार पर,

कंपनी ने आम तौर पर प्रबंधन द्वारा पहचाने गए कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू कानूनों का अनुपालन किया है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961, कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश आदि शामिल हैं, जो कंपनी के लिए उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक हैं।

(सी) हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानक।

(ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए समझौतों का सूचीकरण (**ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**)।

(डी) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और उससे जुड़े नियमों के नियम 4 के अनुसार, बोर्ड में कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। इसके अलावा, DPE दिशानिर्देशों के अनुसार कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होना जरूरी है। हालाँकि, उस अवधि के दौरान बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

(ii) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पेंडिंग होने की वजह से, ऑडिट कमिटी और नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमिटी की संरचना इस अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की 177 और 178 तथा DPE दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी। इसकी वजह से कोरम की जरूरतों और स्वतंत्र निदेशकों की अलग मीटिंग जैसे जुड़े हुए नियमों का भी पालन नहीं हुआ है।

(iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) के अनुसार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लगातार दो बैठकों के बीच का गैप 120 दिन से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, DPE के अनुसार, किसी भी दो बोर्ड बैठकों के बीच का गैप तीन महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालाँकि, रिकॉर्ड की जाँच करने पर, यह देखा गया कि 29.05.2024 और 10.10.2024 को हुई बोर्ड बैठकों के बीच का गैप दोनों कानूनी तय सीमा से अधिक था।

ई) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

(i) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है, *सिवाय इसके कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में ऊपर पैरा डी में बताया गया है।* समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन अनुसार किए गए।

(ii) आम तौर पर बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे, हालांकि, कभी-कभी नोटिस और एजेंडा कागजात बोर्ड की सहमति से अल्प सूचना से भेजे जाते थे। बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बोर्ड में एक प्रणाली मौजूद है।

(iii) बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, जैसा भी मामला हो।

एफ) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के

आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

जी) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के कामकाज पर असर डालने वाली कोई बड़ी गतिविधि नहीं हुई है।

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083/2021

पारूल जैन
मैनेजिंग पार्टनर
एम. नम्बर F8323
C.P. No. 13901
UDIN : F008323G000844543

दिनांकः 15-07-2025
स्थानः गाजियाबाद

अनुलग्नक – 'ए'

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,
सदस्यगण,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर
डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली – 110012

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन कार्य परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथाएं हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
4. हमारी लेखापरीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने उससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता के साथ-साथ विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया है, जैसा कि कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, हालांकि हमने ऐसे रिटर्न में दी गई जानकारी पर एक निश्चित सीमा तक भरोसा किया है।
6. इस लेखापरीक्षा में कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि वे संविधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं और इस रिपोर्ट की सामग्री को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखा परीक्षक/एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ पढ़ा जाना चाहिए, न कि अलग से।
7. आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत बयानों या भौतिक गैर-अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा को उचित रूप से योजनाबद्ध किया गया हो और लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार निष्पादित किया गया हो।
8. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
9. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083@2021

पारूल जैन
मैनेजिंग पार्टनर

एम. नम्बर F8323
C.P. No. 13901

दिनांक : 15.07.2025
स्थान : गाजियाबाद
UDIN: F008323G000844543

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन),
पांचवें एवं सातवें तल सी.ए.जी. एनेक्स भवन,
10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
CENTRAL EXPENDITURE
(AGRICULTURE, FOOD & WATER RESOURCES),
5TH & 7TH FLOOR, CAG ANNEXE BUILDING,
10 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI-110002

[illegible]

Dated: 25.09.2025

सं. [illegible] 2025-26/ 3565

सेवा में,

अध्यक्ष,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (Agrinnovate)
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लेक्स,
डी.पी.एस. मार्ग,
नई दिल्ली - 110 012

विषय: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणियाँ भेजी जा रही है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि

(तान्या सिंह)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

Phone: [illegible] Fax: [illegible] Email: [illegible]

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF AGRINNOVATE INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of **Agrinnovate India Limited** for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their **Revised Audit Report 19th September 2025** which supersedes their earlier Audit Report dated 15th July 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **Agrinnovate India Limited** for the year ended 31 March 2025 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 25.09.2025

(Tanya Singh)
Principal Director of Audit Central Expenditure
(Agriculture, Food & Water Resources)

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

ANNUAL REPORT

(INCLUDING ANNUAL ACCOUNTS)

2024-25

Corporate Information

Board of Directors

Dr. Himanshu Pathak
(till 03.03.2025)

Shri Sanjay Garg

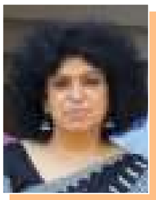

Smt. Alka Nangia Arora

Shri Sagar Mehra

Shri Samuel Praveen Kumar

Dr. Neeru Bhooshan

Dr. Ashok Dalwai
(till 11.08.2024)

Shri G.K. Nagaraj

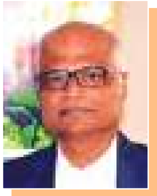

Shri Anand Mohan Awasthy

Chief Executive Officer
Dr. Praveen Malik

Chief Financial Officer
Mr. Rahul Kumar (till 31.12.2024)
Mr. Avesh Yadav (from 07.01.2025)

Company Secretary
Ms. Dhriti Madaan

Business Department
Mr. Krishan Gopal, Business Manager
Mr. Dhruva VC, Business Manager
Mr. Ashaveer Singh Pannu, Business Manager
Dr. Bharti, Assistant Business Manager
Ms. Latha, Assistant Business Manager

Finance Department
Mr. Deepak Kumar, Senior Executive

Administation and HR Department
Ms. Swati Bisht, Senior Executive
Ms. Pooja Kathuria, Junior Executive

IT Department
Mr. Dinesh Kumar, Senior Executive

Bankers:
Central Bank of India
Udyog Bhawan, New Delhi

Canara Bank
(Formerly known as Syndicate Bank)
N.A.S.C Complex, D.P.S Marg, New Delhi

Statutory Auditors
M/s Sudhir Kumar Jain
& Associates Chartered Accountant
Barakhamba Road, New Delhi- 110001

Registered Office:
G-2, A Block, N.A.S.C. Complex,
DPS Marg, New Delhi -110012
Ph:-011-25842122

Published by the Chief Executive Officer, Agrinnovate India Limited (AgIn), G-2, A Block, NASC Complex, DPS Marg, New Delhi 110012.
Lasertypeset & printed at M/s Royal Offset Printers, A-89/1, Naraina Industrial Area, Phase I, New Delhi 110028.

CONTENTS

Particulars	Page No.
Company's performance at glance	1-8
Director's Report	9-33
Balance Sheet and Statement of Profit and Loss	34-60
Independent Auditor's Report	61-75
Secretarial Auditor's Report	76-80
Comptroller & Audit General of India's Comments (CAG)	81-82

डॉ मांगी लाल जाट
Dr M.L Jat

सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
Secretary, Department of Agricultural Research
and Education (DARE)
and Director General, Indian Council of
Agricultural Research (ICAR)
Krishi Bhawan, New Delhi 110 001

MESSAGE

Indian Council of Agricultural Research (ICAR)works at the forefront of developing new varieties, bioformulation, disease control and prevention methods, farming techniques as well as adding value to agricultural commodities.Agrinnovate India Limited assesses innovations generated by ICAR and partner institutions, evaluates their commercial viability, and facilitates licensing and technology transfer agreements. It also assists in intellectual property management, regulatory compliance (for bio-inputs, animal/vet technologies), valuation of technologies, and market linkages. Thus, by acting as an interface between research institutes and industry (domestic and international) to scale up agricultural innovations, it offers a platform where industry can access multiple technologies via streamlined agreements instead of multiple MoUs across institutes.

Agrinnovate is well-positioned to play an increasingly important role as India embarks on initiatives like modernizing agriculture, incorporating digital/precision agri-technologies, bioeconomy, and value-added agri-processing. Leveraging its strong institutional linkage with ICAR/NARES, it can facilitate both domestic and international technology transfers and partnerships, thereby supporting agri-innovation ecosystems. The first dividend payout in FY 2023-24 suggests institutional maturity; the next steps would involve scaling the shelf of licensed technologies, increasing industry uptake, and demonstrating measurable farmer/entrepreneur impact.

My compliments to all the present and past Directors, Members, Chief Executive Officer and the entire team of Agrinnovate for making AgIn more vibrant and visible.

(M.L Jat)
CHAIRMAN

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

"AquaBiz 2.0, an impactful event organized jointly by Agrinnovate India Limited & ICAR-CIFT in association with ICAR-IPM&T & National Fish Development Board of India at Kochi."

Agrinnovate India Limited (AgIn), a Government of India enterprise, is steadily moving towards meeting its objective of stimulating and fostering innovations in agriculture and building 'A world of Innovative Partnerships'. It works as an important interface between the research institutes and the Agri-industry and promotes technology commercialisation through licensing for domestic and international clients. The Company has significantly increased its gross revenue during the period under report. With standardized protocols, AgIn has helped several ICAR institution, Industry and farmers as end stakeholders by transferring around transfer 155 technologies to various private Companies, Public sector organizations and individual entrepreneurs including farmers at a gross Revenue of Rs. 10.51 crores (including royalty).

The Guidelines for commercialization of technologies developed under ICAR and Institutions under the National Agricultural Research System (NARS) have been harmonized with AgIn thereby widening the scope for commercialization cutting across displines /sectors. Agrinnovate India Limited is now in a certain position to take advantage of the new opportunities for enhancing and catalysing innovation and capacity driven agricultural development through partnerships.

Progress report of Agrinnovate India Ltd.:

Of the total 98 research institutes of ICAR, 69 institutes are onboarded with AgIn. These 69 institutes have assigned a total of 741 technologies out of which 155 technologies have been successfully commercialized to local, national and multinational industries. Besides, 6 technologies from 2 SAUs onboarded with AgIn have also been licensed to the industry clients. A summary of number of institutes, technologies assigned and commercialized since inception, SMD wise is given hereunder. (Table I).

Name of the Division/ SMD	Institutes on-boarded	Technologies assigned till 31.03.24	Technologies assigned during 2024-25	Technologies licensed during 2024-25 (techs assigned in 2024-25)
Agricultural Engineering	5	89	10	6(3)
Animal Science	17	196	35	16(2)
Crop Science	20	259	66	34 (12)
Fisheries Science	6	70	15	16 (12)
Horticulture Science	15	102	30	76 (8)
Natural Resource Management	6	19	3	1(1)
Sub Total	69	735	159	149 (38)
State Agricultural Universities (SAU's)	9	6	2	6 (4)
Grand Total	78	741	161	155 (42)

During 2024-25 a total 131 TLAs for 155 technologies have been executed fetching total revenue of Rs. 10.51 crores Plus GST. These technologies emerged from crop science (30.3%), dairy and veterinary sciences (10.3%), horticulture (49%) and fisheries (10.3%).(Fig I)

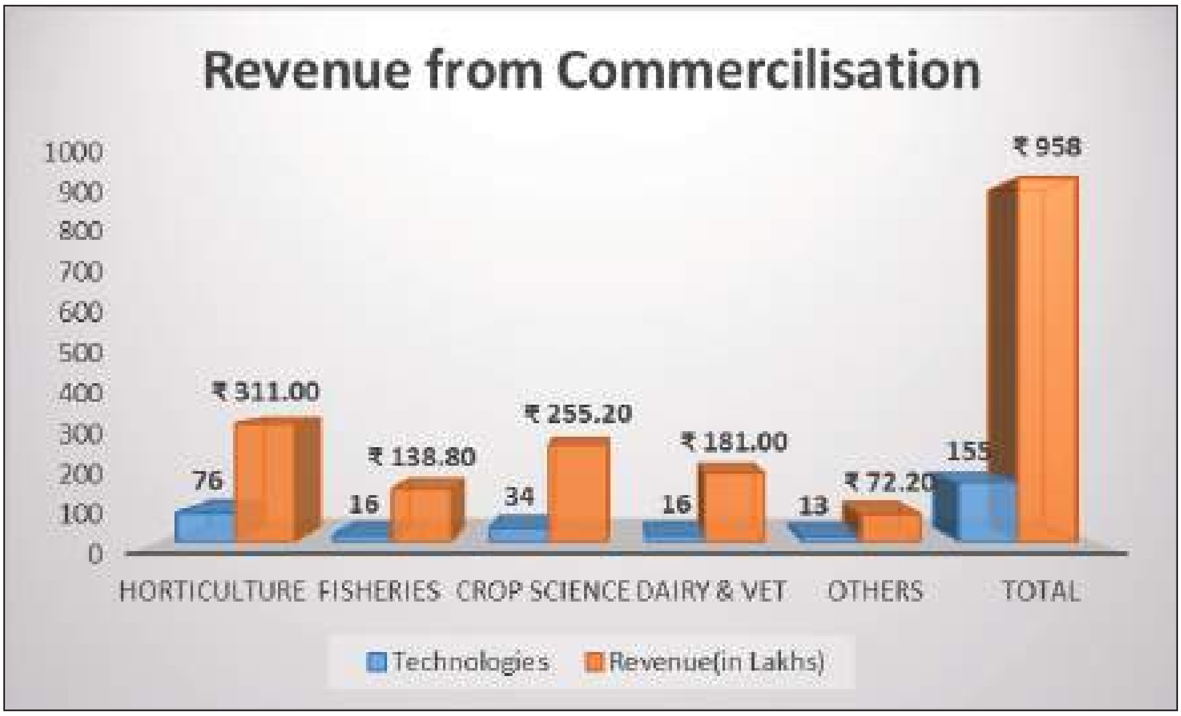

SECTOR-WISE COMMERCILISATION AND REVENUE
GENERATED FROM LICENSING OF TECHNOLOGIES (IN LAKHS)

Business Development Activities

Constant and continuous efforts by AgIn team resulted in widely expanding the business opportunities for the Company. The major highlights for the financial year 2024-25 are as follows: -

1. REGIONAL STAKEHOLDER CONSULTATION MEETINGS:

AquaBiz 2.0: Challenges and Opportunities for the Indian Fisheries Industry

The AquaBiz 2.0 was successfully held on 18th March 2025 in Kochi, Kerala, bringing together key stakeholders from the fisheries and aquaculture sectors. Organized by the Zonal Technology Management & Agribusiness Incubation Centre of ICAR-CIFT in collaboration with AgrInnovate India Ltd, and supported by NFDB and ICAR, the event served as a dynamic platform to bridge research, industry, and policy for sustainable fisheries development.

Highlights:

- Exhibition & Technology Showcase: The exhibition featured innovations from 8 ICAR fisheries institutes and five incubatees of ICAR-CIFT, highlighting cutting-edge technologies ready for commercialization.
- Industry & Entrepreneurship Insights: Panel discussions addressed challenges in the seafood industry, financial support mechanisms, and startup initiatives. Representatives from Kerala Startup Mission, NABARD, SBI, NFDB, and SEAI shared insights on funding, incubation, and market trends.
- Entrepreneur Success Stories: Founders from Zewa Ecosystems, FishEye, and Zarin Gourmet shared their journeys, emphasizing the role of incubation support in scaling sustainable aquaculture ventures.
- Policy & Collaboration Emphasis: Distinguished speakers, including Dr. Tarun Shridhar and Shri. Alex Ninan, stressed the need for policy alignment, quality assurance, and export readiness to enhance India's global competitiveness.

Key Recommendations:

- Strengthen research-industry linkages through a Fisheries Innovation Task Force.
- Accelerate technology commercialization via AgrInnovate India in partnership with ICAR institutes.
- Develop a consolidated database of ICAR fisheries technologies.
- Enhance financial support for startups and women-led enterprises.
- Promote climate-smart practices and revamp export policies.

The summit reinforced the importance of collaboration, innovation, and entrepreneurship in driving the future of India's fisheries sector. Agrinnovate India remains committed to facilitating technology transfer and supporting agri-business growth.

2. Several august bodies also invited AgIn expertise for policy deliberations, collaborations and capacity building activities. Some of these events where AgIn participated in various capacities are summarized as under : -

- Participated in the IP League 3.0 (Inventor-Investor Meet) at FORE School of Management, Qutub Institutional Area, New Delhi (20.04.2024)
- CEO, AgIn has delivered a lecture as an Expert on "Role of Agrinnovate in innovation and commercialization of technologies" by ICAR-NRC on Seed Spices, Ajmer on the occasion of World IP Day (30.04.2024).
- Delivered a expert talk on "Commercialization of Technologies in Agriculture and Allied Sectors" during the Technical Session of State Level Research and Extension Council (SLREC) Meeting of the Odisha University of Agriculture & Technology at OUAT, Bhubaneswar, Odisha (27.05.2024)
- Delivered a lecture as a resource person on 'Technology Commercialization in Agriculture' in the IP Week organized by Intellectual Property & Technology Management (IPTM) Unit of ICAR, New Delhi, in collaboration with ICAR RC for NEH Region, Umiam – Meghalaya. (11.06.2024)
- Deliver an Expert lecture on Technology Commercialization in Agriculture through virtual mode by ICAR- IP&TM and ICAR Indian Institute of Soil and Water Conservation, Dehradun (19.06.2024)
- Delivered an Expert lecture on "Technology Commercialization in Agriculture" in the IP Awareness programme through virtual mode, organized by ICAR- IP&TM and ICAR-National Institute of Abiotic Stress Management, Baramati, Pune (26.06.2024)
- Participated in the Panel discussion on IPR in agriculture in the IP Weeks- A Five Days Online Awareness Programmes on IPRs through virtual mode, which have been organized by IP&TM Unit for NRM Institutes to create an in-depth awareness about IP and its related aspects viz. Copyrights, Design, Patent, Plant Variety, Trademarks and technology-licensing activities. (27.06.2024)
- Acted as a Resource person for the programs arranged by UAS Raichur to share and interact with the Scientific Staff in fine tuning the process of patenting and its commercialization. (01-03 Aug 2024)
- Delivered a guest lecture on the topic 'Technology Commercialization in Agriculture' through virtual mode in the IP week programme for Horticulture Science Institutes (14.08.2024)
- Participated as a Special Guest during the Industry meet and Technology Conclave at ICAR-NRC on Mithun, Nagaland and shared thoughts on ways to promote entrepreneurship in Mithun sector (30.08.2024).
- Delivered a lecture in the Second Mithun Day and National Seminar on "Integrated Mithun Farming for Enhancing Farmers Income in the Northeastern Region of India" held at Itanagar, Arunachal Pradesh (01-02 September 2024.)
- Delivered a talk on "Technology Licensing of Agricultural Innovations" during the IP awareness programme organized by IP & TM unit ICAR virtually at ICAR-IIVR, Varanasi. (06.09.2024)
- Delivered a lead talk through virtual mode as a panelist on Technology Licensing in Horticulture Sciences (13.09.2024)
- Delivered a Lecture on 'Commercialization of plant varieties under public research systems' during 'Technical Session IV: Interactive Session on Access, Exchange, Benefit Sharing and IPR Systems – Policy Considerations (Plant Genetic Resources)' in the National Conference on Managing Agro-Biodiversity in North Eastern India (NCMBN-2024), organized by ISPGR

in collaboration with ICAR Research Complex for North Eastern Hill Region, ICAR-NBPGR, and other international and national partners at ICAR Research Complex for North Eastern Hill Region, Umiam, Meghalaya. (23.10.2024).

- As an Eminent Expert (Co-Chair), joined the Panel Discussion in the National Conference on "Building Sustainable Agricultural Startups in India" at ICAR-NAARM, Hyderabad. Also acted as an Advisory Committee Member in the proposed conference for guidance and moral support. (13.11.2024)
- Delivered a keynote lecture in the National Conference of the Indian Association of Hill Farming (IAHF) on "Hill agro-ecosystem: Challenges and Opportunities for achieving sustainable Development Goals" on the topic "Innovation Potential and Technology Commercialization in Hill Agro-Ecosystem of NEH Region". at ICAR Research Complex for NEH region at Umiam, Meghalaya (29.11.2024)
- Participated as an Expert Speaker for Webinar on "Opportunities for Commercialization of NARS Technologies" organized by Acharya N.G. Ranga Agricultural University (ANGRAU), Andhra Pradesh (20.12.2024)
- Addressed the startup founders on opportunities for marketing of NARS technologies by startups in the National Agri-Startup Expo-A Mega Event (NASE-2024) on27th December 2024 at UAS, Dharwad. (26-30 Dec 2024)
- Participated as Guest of Honour in the "Jute Industry Stakeholder Meet" at ICAR-Central Research Institute for Jute and Allied Fibres (CRIJAF), Barrackpore (02.01.2025).
- Participated as Special Guest for Entrepreneurs' Meet during National Natural Fibre Festival (NNFF)-2025 organized by ICAR-National Institute of Natural Fibre Engineering and Technology, Kolkata on the occasion of its 87th Foundation Day on (03.01.2025).
- Participated as speaker in Online Awareness program on the Session on Technology licensing chaired by Dr. Sujay Rakshit, Director, ICAR-IIAB, Ranchi and participated by all the ICAR Crop Science Institutes in the Online Intellectual Property (IP) Awareness week during 16-23 January 2025. (22.01.2025)
- Participated as a speaker in an online webinar on "Agri-tech connect: Curation and transfer technologies between academia, Startup and entrepreneur" organized by BioNEST Agri Innovation Centre, UAS, GKVK Bengaluru to address the topic: "Bridging Innovation and Collaboration: Strategies for Successful Technology Transfer and Effective Partnership Building in Agriculture " (28.01.2025).
- Participated as a Resource Person in an online IP Awareness Program titled AquaIP organized jointly by the Intellectual Property & Technology Management (IPTM) Unit, ICAR, New Delhi, and the Zonal Technology Management - Agribusiness Incubation Centre, ICAR-CIFT, Kochi, Kerala and delivered a 1-hour lecture on the topic 'Technology Commercialization in Agriculture'. (29.01.2025)
- Participated as an Expert to the Panel Discussion_AquaIP: Online Awareness Program organized by the ZTM-ABI Centre, ICAR-CIFT, Kochi, and the IP&TM Unit, ICAR, New Delhi (30.01.2025).
- Delivered an expert lecture on "Technology Commercialization in Agriculture" On behalf of ICAR- IP&TM, ICAR Indian Institute of Soil and Water Conservation, Dehradun and ICAR-Central Institute for Women in Agriculture Bhubaneswar.
- Expert talk and interaction at the symposium-cum-workshop on 'Strategies for Technology Transfer and Commercialization and Agri-Innovate India Initiative' at ICAR-CSWRI, Avikanagar and attended a TCAC meeting of AgIn. (03-05 Feb 2025)

- Participated as Session Coordinator of the Technical Session during the Industry Academia Interface on 22.02.2025 and also attended Startup Track on 21.02.2025 during XVII Agricultural Science Congress, 2025 organized by XVII Agricultural Science Congress jointly with GBPUAT, Pantnagar at GBPUAT, Pantnagar. (21-22 Feb 2025)
- Participated as Special Invitee in the 13th Indian Seed Congress 2025 organized by the National Seed Association of India (NSAI) (24.02.2025)
- Participated as Special Guest in the National Horticulture Fair 2025 with the theme of the event as "Horticulture for Viksit Bharat: Nutrition, Empowerment and Livelihood" being organized at ICAR-IIHR, Bengaluru. Also attended meetings with ICAR-NBAIR and ICAR-NIVEDI for technology commercialization. (28 Feb-1st March 2025)
- Participated as a Chairperson in Panel Discussion for Regulatory Framework for Animal Health Drugs & Biologicals in the National Seminar on the theme: "Strengthening Animal Health and Economics through Public-Private Partnership for Viksit Bharat" organized by Indian Federation of Animal Health Companies (INFAH) (20.03.2025)
- Acted as a Chief Guest in Innovators/Industry Meet organized by IGFRI, Southern Regional Research Station, Dharwad and delivered a talk on 'Licensing of ICAR Technologies'. (25.03.2025).

3rd AWARENESS MEETING ON SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

3rd Awareness programme on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition and Redressal) Act, 2013 was organized for the Internal Complaints Committee Members and the employees of Agrinnovate India Limited on 6th March 2025.

The programme aimed on the following issues: -

1. An awareness of the POSH Act.
2. Laws governing the Sexual Harassment
3. Awareness on the acts which may constitute sexual harassment
4. Awareness on the acts which does not constitute sexual harassment
5. Behavior of employees while in workplace and outside
6. Responsibility of employees
7. Responsibilities of the employer
8. Rights available to women under this Act.
9. Procedure for filing complaints
10. Procedure for Enquiry
11. Punishment for Sexual Harassment
12. Consequences for false complaints
13. Awareness about the IC Committee etc.

The programme had an active participation from Internal Complaints Committee members and the staff of Agrinnovate India Limited. The session was interactive one wherein all the queries raised by the staff was duly clarified by the Internal Complaints Committee members.

Selected success stories of Agritech transfers through Agrinnovate India Limited:

1. ICAR -CIFA technology "CIFAX"

Aquaculture is a vital sector in India, but disease outbreaks, particularly ulcerative infections, have severely impacted freshwater fish farming. To address this challenge,ICAR-Central Institute of Freshwater Aquaculture (ICAR-CIFA) developed CIFAX, the first commercialized technology from ICAR-CIFA. This chemical formulation effectively prevents and cures ulcerative diseases in freshwater fish, ensuring better survival rates and productivity.

Before CIFAX, fish farmers struggled with high mortality rates due to bacterial and fungal infections, leading to economic losses. Traditional treatments were costly and often ineffective. CIFAX emerged as a scientifically proven, easy-to-use, and affordable solution that significantly reduced disease outbreaks.

Since its commercialization, CIFAX has been widely adopted by fish farmers and aquaculture enterprises across India. The results have been remarkable: farmers report lower fish mortality, improved yields, and higher profits. Its impact extends beyond economic gains, as healthier fish stocks contribute to the sustainability of the aquaculture industry.

As the first successful commercial technology of ICAR-CIFA, CIFAX has set a benchmark for future innovations in aquaculture health management.

2. ICAR–NDRI Milk Adulteration Detection Technologies

ICAR–NDRI's rapid paper strip–based milk adulteration detection technologies achieved remarkable commercial success after being licensed to multiple companies across India. Designed to instantly detect key adulterants—such as urea, neutralizers, hydrogen peroxide, glucose, sucrose, maltodextrin, salt, sorbitol, and even mastitis—the strips quickly drew interest from both established dairy solution providers and emerging agri-tech firms

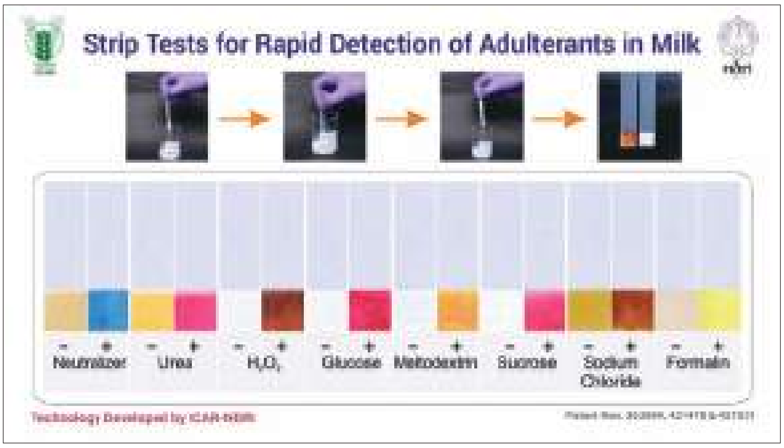

3. Indigenous BtG4 Liquid Formulation for Effective Lepidopteran Management

The technology for preparing the liquid formulation of indigenous toxic strains of Bacillus thuringiensis (Bt), developed by ICAR–NBAIR, was designed using a medium that ensures maximum sporulation, crystal formation, and a stable water-based flowable formulation. This innovation offers farmers a reliable foliar spray solution for managing major lepidopteran pests in an environmentally safe manner.

Microbial constituent: *Bacillus thuringiensis var. kurstakistrain* NBAIR-BtG4

Field evaluations demonstrated its strong efficacy, with NBAIR BtG4 @ 2% achieving only 4.04% pod damage in pigeon pea, while also delivering the highest grain yield among tested treatments. Its performance highlights the potential of indigenous Bt strains as an effective alternative to chemical pesticides, contributing to residue-free cultivation and healthier ecosystems.

The technology has been commercialized to three companies, enabling wider availability to farmers and strengthening the adoption of sustainable biocontrol solutions across diverse cropping systems.

4. Kufri Chipsona-5

The share of Indian potato varieties suitable for chips and flake processing is limited, and processors had no other option than to opt for exotic processing varieties. To address the gap, ICAR-CPRI has developed an indigenous, high-yielding, medium-maturing potato variety suited for chips and flake making. It is a medium maturing (90-100 days), main season, high-yielding processing potato variety suitable for cultivation in Haryana, Uttarakhand, UP, MP, Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh or similar agro-ecologies.

It possesses very good keeping quality and moderate tuber dry matter (20%) and low reducing sugar 80% processing grade tubers.

So far, the technology has been licensed to eight public and private industry partners non-exclusively and is anticipated to create profitable business opportunities for other enthusiastic stakeholders across the globe.

(Praveen Malik)
Chief Executive officer

DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2024-2025

To,
The Members,
Agrinnovate India Limited

Your directors have pleasure in presenting their Fourteenth Annual Report on the business and operations of the Company together with the Audited Statement of Accounts for the year ended 31st March 2025.

Financial Highlights (Standalone and Consolidated)

During the year under review, performance of your Company as under:

(Rs in Hundreds)

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1	Revenue from Operation	10,51,210	7,40,457
2.	Other Income	7,11,459	6,40,220
3.	Total Expenses*	10,19,885	7,44,887
4	Gross Profit	7,42,785	6,35,790
5.	Provision for Tax	1,86,724	1,58,235
6.	Net Profit After Tax	5,55,784	4,74,117

**Including remmitance of the institute share for commercialized technologies.*

The balance sheet as at 31st March 2025 and Statement of Profit and Loss for the year ending 31st March 2025 of the Company has been prepared and the same is placed for approval.

Summary of Operations

The Company has achieved Revenue from operations of Rs. 10.51 crores as against Rs. 7.41 crores in the previous Financial Year 2023-24. The Depreciation as registered during the Current Year is Rs 0.04 crores as against 0.02 crores for the previous year 2023-24. In the financial year 2024-25, the Company has earned Net Profit of Rs. 5.56 crores as against Net Profit of Rs. 4.71 crores in Financial Year 2023-24. The revenue per business manager is revised from Rs. 250.49 lacs to Rs. 350.40 lacs in the financial year 2024-25.

State of Company's Affairs

1. The company has been actively involved in transferring/licensing technologies from across different ICAR research institutes and State Agricultural Universities;
2. Fostering collaboration for partnership either for development of new technologies or for improvement of the existing IPs of ICAR.
3. Actively promoting technologies, followed by assessing them form techno commercial angle, for their valuation using the market analysis as the basis for this exercise.
4. creating awareness about technology available, IPs & PPP mechanism with the organization to different stakeholders.

Revenue contribution through technology commercialization

During the year 2024-25, AgIn effectively handheld several ICAR institutions and helped transfer a total of 155 technologies earning a gross revenue of Rs 10.51 crores (including royalty). These technologies emerged form crop science (30.3%), dairy and veterinary sciences (10.3%), horticulture (49%) and fisheries (10.3%).

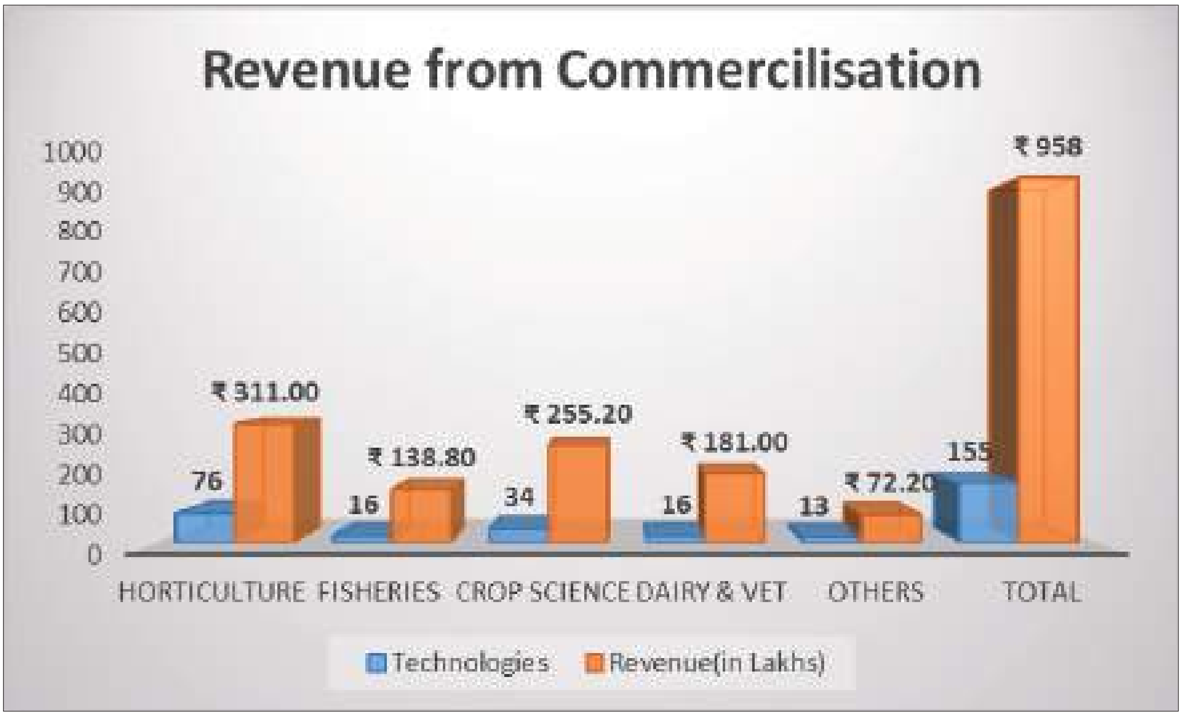

Effort is being made by AgIn to include more ICAR institutes and thus expand the technology base for commercialization, as a result AgIn has been assigned with around 600+ technologies available for licensing from 66 institutes and 9 SAUs.

Important Technologies Transferred

During the year under review, the Company has transferred 155 technologies to various private Companies, Public sector organizations and individual entrepreneurs including farmers at a gross Revenue of Rs. 10.51 crores (excluding taxes).

Out of the 155 technologies Commercialized, the high value technologies with significant market influence and demand include,

Sr. No.	Name of Technology & Institute	No. of Clients	Amount excluding taxes (in Lacs)
1.	ICAR-IARI HT Trait Donor Rice Genotype	2	60
2.	ICAR-CPRI Aeroponics Technology for potato minituber production	12	97.75
3.	ICAR-CIFA CIFAX, Chemical formulation against ulcerative diseases of freshwater fishes	2	75
4.	ICAR-CTCRI Electronic Crop IoT device for Smart farming	1	15

Sr. No.	Name of Technology & Institute	No. of Clients	Amount excluding taxes (in Lacs)
5.	ICAR-IIOR A polymer composition and a process for its preparationas drug delivery carriers for crop	2	37.5
6.	ICAR-IARI PUSA STFR Meter soil testing kit to analyzes 14 important soil parameters	3	30
7.	ICAR-NBPGR DESIGN AND DEVELOPMENT OF GENOME WIDE 64K SNP CHIP OF GRAIN Amaranth (*Amaranthus Hypochondriacus*)	1	10
8	ICAR-IVRI Goat Pox Vaccine for protection against Goat pox	1	25
9	ICAR-NDRI 9 technology Kits for detection of adulterants in Milk such as Urea, Neutralizer, Sucrose, Sorbitol, Glucose, Hydrogen peroxide, Sodium chloride, Maltodextrin, Sub-clinical & Clinical Mastitis	1	36.97
10	ICAR-IIMR & GBPUAT Sorghum Fodder Hybrid - CSH 43 MF	3	30
11	ICAR-NRCE Lumpi-Provac Ind (Lumpy Skin Disease Vaccine for cattle	1	75
12	ICAR-CISH ICAR BIO-IMMUNIZER (In vitro bio-immunization of banana TC plants)	1	18
13	ICAR-NIBP PCR- and Real-time PCR for detection of Bt brinjal Event 142 withcry1Fa1 gene	1	30
14	ICAR-CIFA Strater, Grower and brooder feeds for Fish	1	18

2. In the financial year 2024-25, 87 Techno Commercial Assessment Meetings were held out of which 17 meetings were held in physical with the following institutes:

Sr. No.	Name of the Institute	Date of the meeting
1.	ICAR-NRC-Seed Spices, Ajmer	30.04.2024
2.	ICAR-NRC Equines, Hisar	04.05.2024
3.	ICAR-NRC for Orchids, Gangtok, Sikkim	23.06.2024
4.	ICAR-NBPGR, New Delhi	12.08.2024
5.	ICAR-CIRB, Hisar	05.09.2024
6.	ICAR-NISA, Ranchi	29-30 Oct 2024
7.	ICAR-CPRI, Shimla	18.11.2024
8.	ICAR-IIOR, Hyderabad	28.11.2024
9.	UAS, Dharwad	26-30 Dec 2024
10.	ICAR-CRIJAF	02.01.2025
11.	ICAR-CSWRI, Avikanagar	04.02.2025
12.	University of Jammu, Jammu	10.02.2025
13.	MAFSU	18.02.2025
14.	ICAR-NRCE, Hisar	07.03.2025
15.	ICAR-DCR, Puttur	11.03.2025
16.	ICAR-CIRB, Hisar	21.03.2025
17.	ICAR-NDRI, Karnal	26.03.2025

AgIn's promotional activities

Constant and continuous efforts by AgIn CEO and team resulted in expanding business opportunities for the company. The major highlights for the financial year 2024-25 are as follows: -

1. REGIONAL STAKEHOLDER CONSULTATION MEETINGS:

- Organized '**AquaBiz 2.0- Business meet on Fisheries & Aquaculture Innovations**' in collaboration with the Zonal Technology Management- Agribusiness Incubation Centre (ZTM-ABI), ICAR-CIFT, IP&TM unit, ICAR, New Delhi on 18th March 2025 at Kochi, Kerala.

2. Several august bodies also invited AgIn as an expert for policy deliberations, collaborations and capacity building activities. These include: -

- Participated in the IP League 3.0 (Inventor-Investor Meet) at FORE School of Management, Qutub Institutional Area, New Delhi (20.04.2024)
- CEO, AgIn was invited as an Expert to deliver a lecture on "Role of Agri-innovate in innovation and commercialization of technologies" by NRC on Seed Spices, Ajmer on the occasion of World IP Day on 30.04.2024. (30 Apr – 02 May 2024)
- Invited to deliver a talk on "Commercialization of Technologies in Agriculture and Allied Sectors" during the Technical Session of State Level Research and Extension Council (SLREC) Meeting of the Odisha University of Agriculture & Technology at OUAT, Bhubaneswar, Odisha (27.05.2024)
- Invited as a Resource Person to deliver a lecture on 'Technology Commercialization in Agriculture' in the IP Week organized by Intellectual Property & Technology Management (IPTM) Unit of ICAR, New Delhi, in collaboration with ICAR RC for NEH Region, Umiam – Meghalaya. (11.06.2024)
- Invited to deliver an Expert lecture on Technology Commercialization in Agriculture through virtual mode by ICAR- IP&TM and ICAR Indian Institute of Soil and Water Conservation, Dehradun (19.06.2024)
- Delivered an Expert lecture on "Technology Commercialization in Agriculture" in the IP Awareness programme through virtual mode, organized by ICAR- IP&TM and ICAR-National Institute of Abiotic Stress Management, Baramati, Pune (26.06.2024)
- Participated in the Panel discussion on IPR in agriculture in the IP Weeks- A Five Days Online Awareness Programmes on IPRs, which have been organized by IP&TM Unit for NRM Institutes to create an in-depth awareness about IP and its related aspects viz. Copyrights, Design, Patent, Plant Variety, Trademarks and technology-licensing activities. (27.06.2024)
- Invited to serve as a Resource person for the programs arranged by UAS Raichur to share and interact with the Scientific Staff in fine tuning the process of patenting and its commercialization. (01-03 Aug 2024)
- Delivered a guest lecture on the topic 'Technology Commercialization in Agriculture' through virtual mode in the IP week programme for Horticulture Science Institutes(14.08.2024)
- Invited as Special Guest by ICAR-NRC on Mithun, Nagaland for the Industry meet and Technology Conclave to share thoughts on ways to promote entrepreneurship in Mithun sector. (30th August 2024)
- Delivered a lecture in the Second Mithun Day and National Seminar on "Integrated Mithun Farming for Enhancing Farmers Income in the Northeastern Region of India" held at Itanagar, Arunachal Pradesh (01-02 September 2024.)

- Delivered a talk on "Technology Licensing of Agricultural Innovations" during the IP awareness programme organized by IP & TM unit ICAR virtually at IIVR, Varanasi. (06.09.2024)
- Delivered a lead talk through virtual mode as a panelist on Technology Licensing in Horticulture Sciences (13.09.2024)
- Invited to deliver a lecture on 'Commercialization of plant varieties under public research systems' in the National Conference on Managing Agro-Biodiversity in North Eastern India (NCMBN-2024) being organized by Indian Society of Plant Genetic Resources (ISPGR) from 23-25 October, 2024 at ICAR Research Complex for North Eastern Hill Region, Umiam, Meghalaya. (23.10.2024)
- Invited to deliver aLecture on 'Commercialization of plant varieties under public research systems' during 'Technical Session IV: Interactive Session on Access, Exchange, Benefit Sharing and IPR Systems – Policy Considerations (Plant Genetic Resources)' in the National Conference on Managing Agro-Biodiversity in North Eastern India (NCMBN-2024), organized by ISPGR in collaboration with ICAR Research Complex for North Eastern Hill Region, ICAR-NBPGR, and other international and national partners at ICAR Research Complex for North Eastern Hill Region, Umiam, Meghalaya. (22-25 Oct 2024)
- Invited as an Eminent Expert (Co-Chair) to join in the Panel Discussion in the National Conference on "Building Sustainable Agricultural Startups in India" at NAARM, Hyderabad, also acted as an Advisory Committee Member in the proposed conference for guidance and moral support. (13.11.2024)
- Invited for keynote lecture in the National Conference of the Indian Association of Hill Farming (IAHF) on "Hill agro-ecosystem: Challenges and Opportunities for achieving sustainable Development Goals"on the topic "Innovation Potential and Technology Commercialization in Hill Agro-Ecosystem of NEH Region". at ICAR Research Complex for NEH region at Umiam, Meghalaya (29.11.2024)
- Invited as Expert Speaker for Webinar on "Opportunities for Commercialization of NARS Technologies" organized by Acharya N.G. Ranga Agricultural University (ANGRAU), Andhra Pradesh (20.12.2024)
- Invited to address the startup founders on opportunities for marketing of NARS technologies by startups in the National Agri-Startup Expo-A Mega Event (NASE-2024) on 27th December 2024 at UAS, Dharwad. (26-30 Dec 2024)
- Invited as Guest of Honour in the "Jute Industry Stakeholder Meet" at ICAR-Central Research Institute for Jute and Allied Fibres (CRIJAF), Barrackpore (02.01.2025).
- Invited as Special Guest for Entrepreneurs' Meet during National Natural Fibre Festival (NNFF)-2025 organized by ICAR-National Institute of Natural Fibre Engineering and Technology, Kolkata on the occasion of its 87th Foundation Day on (03.01.2025).
- Speaker for Online Awareness program on the Session on Technology licensing chaired by Dr. Sujay Rakshit, Director, ICAR-IIAB, Ranchi and participated by all the ICAR Crop Science Institutes in the Online Intellectual Property (IP) Awareness week during 16-23 January 2025. (22.01.2025)
- Invited as a speaker to address the topic: "Bridging Innovation and Collaboration: Strategies for Successful Technology Transfer and Effective Partnership Building in Agriculture " in an online webinar on "Agri-tech connect: Curation and transfer technologies between academia, Startup and entrepreneur" organized by BioNEST Agri Innovation Centre, UAS, GKVK Bengaluru (28.01.2025)

- Participated as a Resource Person in an online IP Awareness Program titled AquaIP organized jointly by the Intellectual Property & Technology Management (IPTM) Unit, ICAR, New Delhi, and the Zonal Technology Management - Agribusiness Incubation Centre, ICAR-CIFT, Kochi, Kerala and delivered a 1-hour lecture on the topic 'Technology Commercialization in Agriculture'. (29.01.2025)
- Participated as an Expert to the Panel Discussion_AquaIP: Online Awareness Program organized by the ZTM-ABI Centre, ICAR-CIFT, Kochi, and the IP&TM Unit, ICAR, New Delhi (30.01.2025).
- Delivered an expert lecture on "Technology Commercialization in Agriculture" On behalf of ICAR-IP&TM, ICAR Indian Institute of Soil and Water Conservation, Dehradun and ICAR-Central Institute for Women in Agriculture Bhubaneswar, I am pleased to extend this invitation to you. We are organizing a lecture series as part of Intellectual Property Awareness Week (31.01.2025)
- Expert talk and interaction at the symposium-cum-workshop on 'Strategies for Technology Transfer and Commercialization and Agri-Innovate India Initiative' at ICAR-CSWRI, Avikanagar and attended a TCAC meeting of AgIn. (03-05 Feb 2025)
- Invited as Session Coordinator of the Technical Session during the Industry Academia Interface on 22.02.2025 and also attended Startup Track on 21.02.2025 during XVII Agricultural Science Congress, 2025 organized by XVII Agricultural Science Congress jointly with GBPUAT, Pantnagar from 20-22 February, 2025 at GBPUAT, Pantnagar. (21-22 Feb 2025)
- Invited as Special Invitee in the 13th Indian Seed Congress 2025 organized by the National Seed Association of India (NSAI) (24.02.2025)
- Invited as Special Guest in the National Horticulture Fair 2025 with the theme of the event as "Horticulture for Viksit Bharat: Nutrition, Empowerment and Livelihood" being organized at ICAR-IIHR, Bengaluru. Also attended meetings with ICAR-NBAIR and ICAR-NIVEDI for technology commercialization. (28 Feb-1st March 2025)
- Chairperson of Panel Discussion for Regulatory Framework for Animal Health Drugs & Biologicals in the National Seminar on the theme: "Strengthening Animal Health and Economics through Public-Private Partnership for Viksit Bharat" organized by Indian Federation of Animal Health Companies (INFAH) (20.03.2025)
- Chief Guest in Innovators/Industry Meet organized by IGFRI, Southern Regional Research Station, Dharwad and delivered a talk on 'Licensing of ICAR Technologies'. (25.03.2025)

3RD AWARENESS MEETING ON SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

3rd Awareness programme on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition and redressal) Act, 2013 was organized for the IC Committee Members and the employees of Agrinnovate India Limited on 6th March 2025.

The programme aimed on the following issues: -

1. An awareness of the POSH Act.
2. Laws governing the Sexual Harassment
3. Awareness on the acts which may constitute sexual harassment
4. Awareness on the acts which does not constitute sexual harassment
5. Behavior of employees while in workplace and outside
6. Responsibility of employees

7. Responsibilities of the employer
8. Rights available to women under this Act.
9. Procedure for filing complaints
10. Procedure for Enquiry
11. Punishment for Sexual Harassment
12. Consequences for false complaints
13. Awareness about the IC Committee etc.

Web address of the Company

The Annual Return of the Company referred to in the sub section (3) of section 92 will be placed at www.agrinnovateindia.com

Dividend

The Board of Directors of the company have proposed for exemption from payment of Dividend for the fy 2024-25. The request letter will be sent to DIPAM, Ministry of Finance through Administration Ministry i.e. DARE for Approval.

Amounts Transferred to Reserves

The Board of the Company proposes to carry Rs.34.99 crores to its reserves.

Details of Directors and Key Managerial Personnel

The details of Directors/Key Managerial Personnel (KMP) appointed or ceased during the financial year 2024-25 and appointed or ceased after the end of the year and upto the date of the report is given below: -

Sr. No.	Name of Director/KMPs	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1.	Dr. Himanshu Pathak, Secretary, DARE & DG, ICAR	Chairman	04.08.2022	03.03.2025
2.	Shri Sanjay Garg, Additional Secretary, DARE and Secretary, ICAR	Vice-Chairman	02.09.2021	-
3.	Smt. Alka Arora Additional Secretary, DARE and Financial Advisor, ICAR	Director	21.11.2022	30.04.2025*
4.	Dr. Ashok Dalwai, Nominee from the Department of Agriculture & Cooperation	Director	21.12.2016	11.08.2024
5.	Shri Samuel Praveen Kumar, Joint Secretary, Agriculture & Farmer's Welfare	Director	17.01.2025	-
6.	Shri Sagar Mehra, Joint Secretary (Inland Fisheries)	Director	29.05.2024	29.05.2025**
7.	Dr. Neeru Bhooshan, ADG (IP & TM)	Director	9.03.2023	-
8.	Shri Anand Mohan Awasthy, Non-Government Director	Director	25.02.2022	-
9.	Shri G.K Nagaraj, Non-Government Director	Director	25.02.2022	-
10.	Dr. Praveen Malik	Chief Executive Officer	22.09.2022	-

Sr. No.	Name of Director/KMPs	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
11.	Mr. Rahul Kumar	Chief Financial Officer	21.07.2022	31.12.2024
12.	Mr. Avesh Yadav	Chief Financial Officer	07.01.2025	-
13.	Ms. Dhriti Madaan	Company Secretary	18.09.2018	-

**Resigned in the Financial year2025-26 on 30thApril 2025*

***Office vacated in the Financial year 2025-26 on 29th May 2025.*

Number of Board Meetings

During the Financial Year 2024-25, following five meetings of the Board of Directors of the company were held, details of which are given below:

Date of the meeting	No. of Directors attended the meeting
29.05.2024	4
10.10.2024	4
10.12.2024	7
10.01.2025	6
27.03.2025	5

Report of Compliance with the Guidelines on CorporateGovernance

In compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by Department of Public Enterprises (DPE), the Company's Report on compliance with the Corporate Governance is prepared and annexed with the Board's Report for the Financial year 2024-25.

Déclaration by Independent Directors

Declaration from Independent Directors shall be taken as and when they are appointed and the same shall be disclosed in the Director's Report.

Extract of Annual Return

Pursuant to section 92(3) read with section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 ('the Act'), the annual return as on March 31, 2025 will be placed on the website of the Company after due approval of shareholders in the Annual General Meeting.(www.agrinnovateindia.com).

Statutory Auditors, their Report and Notes to Financial Statements

M/s. Sudhir Kumar Jain & Associates., Chartered Accountants had been appointed as Statutory Auditors of the Company for the F.Y. 2024-25. M/s. K Kumar Gupta & Associates, Chartered Accountantswas appointed as Internal Auditors of the Company for the year 2024-25.

The report of the Statutory Auditors along with notes to Schedules is enclosed to this report.

The opinion of M/s. Sudhir Kumar Jain & Associates., Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Company for the financial year 2024-25 is as under: -

1. We draw attention to the fact that the company has not maintained a proper Fixed Assets Register as required under the Companies Act, 2013. Consequently, we were unable to verify the completeness and accuracy of Property, Plant and Equipment recorded in the financial statements. In our opinion, this constitutes a departure from the applicable accounting and statutory requirements.
2. The Board of Directors did not propose a final dividend for the financial year ended 31-03-2024. However, the final dividend for that year amounting to ₹ 1,42,23,513 was declared and paid in the current year after the approval of shareholders in the Annual General Meeting. The amount has been appropriated from the accumulated profits. It is not in accordance with Section 123 of the Companies Act'2013.
3. During the year under review, the Company failed to reconcile GST Input credit with GST input claimed through returns filed under Goods and Service Tax Act, 2017. The company has shown un-reconciled balance of GST Input credit of ₹ 24,99,698/- relating to on or before 01 April,2023, the treatment of GST input credit is not definite due to lack of information whether company can claim this input credit or not as per provisions of GST Act. This has resulted in over-statement of current assets to the extent of ₹ 24,99,698/- in Balance Sheet as at 31 March,2025.
4. The Company's trade payables include an amount of ₹ 11,83,75,051 (₹ 7,72,47,851 as Institutes' Share and ₹ 4,11,27,199 as ICAR's Share) which has been outstanding for a significant period. The Company has not been able to obtain balance confirmation for the said amount, and accordingly the outstanding balance of the Parties are subject to adjustment, if any, on reconciliation/ settlement of accounts.

The comments/ clarifications on the above-mentioned Audit observations have been provided by the Company and further the notes to accounts are self- explanatory and there is no need to give any further remarks.

Further, Pursuant to Section 394(1) read with Section 143 (5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company shall be appointed or reappointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India and their remuneration has to be fixed by the Company in the Annual General Meeting.

Details in respect of Fraud reported by Auditors under sub section (12) of Section 143

M/s. Sudhir Kumar Jain & Associates., Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Company have reported that no fraud has taken place in the Company during the Financial Year 2024-25.

Secretarial Audit Report

In terms of Section 204 of the Act and Rules made there under, M/s VAP &Associates, Company Secretaries, Ghaziabad, have been appointed Secretarial Auditors of the Company. The report of the Secretarial Auditors is enclosed with this report.

The Secretarial Auditor has given few observations in their report such as appointment of Independent Director and compliances related to DPE.

With reference to Secretarial Auditor's remarks, directors would like to state that it has been commented that Pursuant to section 149 and Rule 4 of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the company has not yet appointed any Independent Director. In this regard, the Directors would like to state that the Company is in the process of appointment of Independent Directors with Department of Public Enterprises (DPE).

Apart from the above, the management is working on and implementing the guidelines issued by DPE. The other observations are noted for future compliance

Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties

The Company has not entered into any contracts or arrangements with related parties referred to in Section 188(1) of the Companies Act 2013 for the Financial Year 2024-25.

Material Changes Affecting the Financial Position of the Company

There have been no material changes and commitments affecting the financial position of the Company between the end of the financial year and the date of the report.

Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

There have been no significant or material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operation between the end of the financial year and date of the report.

Audit Committee

The Audit Committee comprises of the following members:

(a) Smt. Alka Nangia Arora- Chairperson

(b) Shri Sagar Mehra- Member

(c) Dr. Neeru Bhooshan – Member

(d) Shri Anand Mohan Awasthy- Member

The Audit Committee shall have an oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible; review with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval; review the adequacy of internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit; have discussion with Internal Auditors, any significant findings and follow up thereon, etc.

Nomination & Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee comprising of

1. Shri Samuel Praveen Kumar-Chairman
2. Dr. Neeru Bhooshan-Member
3. Shri G.K Nagaraj-Member

The Nomination and Remuneration Committee has been entrusted with the responsibility to formulate criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the board a policy, relating to the remuneration for the directors, key managerial personnel, and other employees; to ensure that level and composition of remuneration is reasonable and sufficient, relationship of remuneration to performance is clear and meets performance benchmarks, and involves a balance between fixed and incentive pay; To carry out evaluation of every director's performance and recommend to the board his/her appointment and removal based on the performance, etc.

Particulars of Loan, Guarantees and Investments under Section 186:

Details of Loans:

SL No	Date of making loan	Details of Borrower	Amount	Purpose for which the loan is to be utilized by the recipient	Time period for which it is given	Date of BR	Date of SR (if reqd)	Rate of Interest	Security
				NIL					

Details of Investments:

SL No	Date of investment	Details of Investee	Amount	Purpose for which the proceeds from investment is proposed to be utilized by the recipient	Date of BR	Date of SR (if reqd)	Expected rate of return
			NIL				

Details of Guarantee / Security Provided:

SL No	Date of providing security/ guarantee	Details of recipient	Amount	Purpose for which the security/guarantee is proposed to be utilized by the recipient	Date of BR	Date of SR (if any)	Commission
			NIL				

Conservation of Energy, Technology, Absorption, Foreign Exchange Earnings and Outgo. The details of Energy, Technology, Absorption, Foreign Exchange Earnings and Outgo are as under:

a) Conservation of Energy:

Steps taken for conservation	NA
Steps taken for utilizing alternate sources of energy	NA
Capital investment on energy conservation equipments	NA

b) Technology Absorption:

Efforts made for technology absorption	**NA**
Benefits derived	NA
Expenditure on Research &Development, if any	NA
Details of technology imported, if any	NA
Year of import	NA
Whether imported technology fully absorbed	NA
Areas where absorption of imported technology has not taken place, if any	NA

c) Foreign Exchange Earnings/ Outgo:

(Rs. In hundreds)

Earnings	NIL
Outgo	NIL

Internal financial controls

The internal financial controls with reference to the Financial Statements are commensurate with the size and nature of business of the Company.

Deposits

Your Company has not accepted any fixed deposits and, as such, no amount of principal or interest was outstanding as of the Balance Sheet date.

Corporate Social Responsibility (CSR)

For the Financial year 2024-25 the Company's allocated budget for CSR Activities as per Schedule VII of the Companies Act, 2013 is Rs. 12.32 lacs.

Prevention of Sexual Harassment Policy

The Company is committed to provide a safe and conducive work environment to its employees. Further, the Company has zero tolerance towards sexual harassment at the workplace and has adopted a policy on prevention, prohibition and redressal of sexual harassment at workplace in the line with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules made thereunder. The Constitution of the Committee is as under :-

1. Dr. Nidhi Verma, Principal Scientist, Agricultural Education Division, ICAR KAB-II, Presiding Officer;
2. Mrs. Dhriti Madaan, Company Secretary, Agrinnovate India Limited, Member;
3. Mrs. Swati Bisht, Senior Executive (Admin), Agrinnovate India Limited, Member
4. Shri S.P Singh, Additional Session Judge (Retired)

During the year under review, the Committee has not received any complaint in this regard.

The following is a summary of sexual harassment complaints received and disposed off during the Financial Year 2024-25.

No. of Complaints Received: NIL

No of Complaints disposed off: NIL

During the year under review, the Company organized anAwareness Meeting on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 on 26th March 2025 for its employees. The event was a huge success in terms of active participation from all the employees and in depth understanding of the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Directors Responsibility Statement

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act 2013, your directors confirm that:

a) in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31stMarch 2025, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at 31stMarch 2025 and of the profit /loss of the Company for that period;

c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e) There is no application made or any proceeding pending under the Insolvency and bankruptcy Code 2016 during the year along with their status as at the end of the financial year.

f) There is no case of difference between amount of the valuation done at the time of one-time settlement and the valuation done while taking loan from the Banks or Financial Institutions.

g) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Presidential Directives

The Company is committed to comply with the presidential Directives issued by the Central Government from time to time. No presidential Directives are issued to the Company till date.

Right to Information (RTI)

The management has notified CPIO the first Appellate Authority in compliance with the requirement of the RTI Act.

The status of RTI applications/ appeals received during the financial year 2024-25 is as follows: -

RTI Applications/ Appeals	RTI Applications			
	Received	Rejected	Information provided	Pending as on 31.03.2025
Applications	7	0	7	NIL
Appeals	0	0	0	NIL

Secretarial Standards

The applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India from time to time have been complied by the Company for the financial year 2024-25.

Acknowledgment

Your directors place on records their appreciation for the former Chairman, employees, customers, vendors and academic partners at all levels, who have contributed to the growth and performance of the Company and for their continuous support.

We also wish to thank the Government of India, various Government departments and agencies, private and public sector organizations involved with the activities of AgIn for their continued support and cooperation.

Your directors take this opportunity to express their deep appreciation for the valuable support and guidance given by the present and past Members of the Board from time to time. We also wish to place on record our sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Department of Agricultural Research and Education, Government of India, ICAR, Statutory as well as Internal auditors of the Company, Secretarial Auditors, Officials of the C&AG and bankers of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: July15, 2025

(Sanjay Garg)
DIN No.03401035
Address: C-1/37, Bapanagar, Subramanian Bharti Marg Central Delhi-110003

(M.L Jat)
DIN No.11121544
Address: C/o Chittar Mai Jat, IRSH 15, ICRISAT, Patancheru Mandal, Dist. Sangareddy, Telangana- 502324

Company's Report on Corporate Governance

A. Corporate Governance

The Company's philosophy on Corporate Governance reflects the ethos of the Company and its continuous commitment to ethical business principles across its operations. Sustaining a culture of integrity along with high performance orientation and an adaptive management style in today's dynamic business environment needs a robust governance structure.

Corporate Governance is more than set of processes and compliances at Agrinnovate India Limited is having a well defined corporate structure that establishes checks and balances and delegates decision making to appropriate levels in the organization, though the board remains in effective control of the affairs of the company. Agrinnovate India Limited believes that good Corporate Governance practices are essential for generating long term value and maintaining a sustainable business model.

The Corporate Governance structure of the Company is multi-tiered, comprising of Board of Directors at the apex level and various committees, which collectively ensure highest standards of Corporate Governance and transparency in the Company's functioning. Board is committed to ensuring there is a strong and effective system of corporate governance in place to support the successful execution of Company's strategy. The Board exercises independent judgment in overseeing management performance and plays a vital role in the oversight and management of the Company.

B. Board of Directors

During the year 2024-25, five meetings of Board of Directors were held.

The details regarding attendance of the Directors in the Board Meetings and the last AGM held on 10.12.2024 and number of other directorships & committee memberships, Chairmanships are as follows:-

Name of the Director	Category	Number of Board meetings attended during 2024-25	Attendance in last AGM	Number of Directorship in Other Companies	Number of Membership in Committees (including Audit Committee and NRC Committee)	
					Member	Chairman
Dr. Himanshu Pathak #	Chairman	3	Yes	NIL	NIL	NIL
Shri Sanjay Garg	Vice Chairman	4	Yes	NIL	NIL	NIL
Smt. Alka Nangia Arora	Director	5	Yes	NIL	NIL	1
Dr. Ashok Dalwai*	Director	NIL	NA	NIL	NA	NA
Shri Samuel Praveen Kumar**	Director	3	Yes	NIL	NIL	1
Shri Sagar Mehra**	Director	NIL	No	NIL	1	NIL
Dr. Neeru Bhooshan	Director	3	Yes	NIL	2	-
Shri Anand Mohan Awasthy	Director	5	Yes	NIL	1	NIL
Shri G.K Nagaraj	Director	3	Yes	NIL	1	NIL

#Dr. Himanshu Pathak ceased to be the Chairman & Director of the Company with effect from 3rd March 2025.

**Dr. Ashok Dalwai ceased to be the Director of the Company with effect from 11th August 2024.*

***Shri Samuel Praveen Kumar was appointed in the 57th Board meeting of the Company held on 10.10.2024.*

****Shri Sagar Mehra was appointed in the 56th Board Meeting of the Company held on 29.05.2024.*

@Dr. M.L.Jat has been appointed as the new Chairman & Additional Director of the Company in the 61st Board meeting of the Company held on 29th May 2025.

C. Audit Committee

Agrinnovate India Limited has in place an Audit Committee in terms of Section 177 of the Companies Act, 2013 and also as per DPE guidelines. The Audit Committee inter-alia reviews the financial statements, internal control system, internal auditors report, statutory auditors report, comments of C&AG. The Committee also oversees Company's Financial Report Process and disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. Reviewing the adequacy of the internal audit function is also undertaken by the Audit Committee. The Terms of Reference of Audit Committee are as per provisions of section 177 of the Companies Act, 2013 as well as DPE guidelines.

During the financial year 2024-25, the Audit Committee held 4 meetings on 29thMay 2024, 10thOctober 2024, 10thDecember 2024 and 26th March 2025 .

The composition of Audit Committee and attendance in Audit Committee meetings held during the year 2024-25 is given below:-

S.No.	Name of the Director	Designation	Category	Attendance	Remarks
1	Smt. Alka Nangia Arora	Chairperson	Non- Executive Director	4	-
2.	Shri Sagar Mehra	Member	Non- Executive Director	0	
3.	Dr. Neeru Bhooshan	Member	Non- Executive Director	1	-
4.	Shri Anand Mohan Awasthy	Member	Non- Government Director	4	-

D. Nomination & Remuneration Committee

Your Company has a duly constituted Nomination & Remuneration Committee pursuant to the provisions of section 178 of the Companies Act, 2013 as well as DPE guidelines on Corporate Governance. The functions of the Nomination& Remuneration Committee are as specified in the above mentioned provisions except those exempted for Government companies.

The Nomination& Remuneration Committee comprised of Shri Samuel Praveen Kumar, Dr. Neeru Bhooshan and Shri G.K Nagaraj as Members.

During the financial year 2024-25, one meeting of the Nomination & Remuneration Committee were held on 10thDecember 2024.

E. Annual General Meetings

Details of last three (3) Annual General Meetings are given as follows:

No. of AGM	Financial year	Date	Time	Venue	Special Resolution
13	2023-24	10.10.2024	3.00 PM	Board Room, International Guest House, NASC Complex, DPS Marg New Delhi	2

No. of AGM	Financial year	Date	Time	Venue	Special Resolution
12	2022-23	22.11.2023	12.30 PM	Board Room, International Guest House, NASC Complex, DPS Marg New Delhi	2
11	2021-22	23.09.2022	12.00 noon	Board Room, International Guest House, NASC Complex, DPS Marg New Delhi	3

F. Risk ManagementCommittee

The Board of Directors in their 55th Board meeting held on 7th March 2024 constituted the Risk Management Committee of Agrinnovate India Limited and the members of the Committee were as under: -

1. Smt. Alka Nangia Arora, Director- Chairperson of the Committee
2. Dr. Neeru Bhoosan, Director- Member
3. Shri Anand Mohan Awasthy, Non Government Director- Member
4. Dr. Praveen Malik, CEO- Chief Risk officer
5. Mrs. Dhriti Madaan, CS- Member Secretary

During the financial year 2024-25, one meeting of the Risk Management Committee were held on 28thMay 2024.

G. Disclosures

i) Disclosure on materially significant Related Party Transactions.

Details of the Related Party Transactions as per Indian Accounting Standard-24 forms part of the Notes to the Accounts.

ii) There is no significant non-compliance by the Company and no penalties, strictures have been imposed on the Company by any Statutory Authority on any matter related to any guidelines issued by Government during the last three years.

iii) **Certificate from Practicing Company Secretary regarding compliance of Corporate Governance Guidelines**

Certificate from practicing Company Secretary regarding compliance of Corporate Governance Guidelines has been received and the same is included in the Board's Report.

v) **Presidential Directives**

No Presidential directive was issued by the Central Government during the last three years.

H. Internal Audit / Internal Control System / Delegation of Powers

During the financial year 2024-25 the Internal Audit has been carried out by M/S K Kumar Gupta & Associates, Internal Auditors of the Company. Observations of Internal Audit are reviewed by the Audit Committee of the Board and necessary directions are issued whenever required. The Company has established adequate Internal Financial Control System & Procedures. The Company has a well-defined Delegation of Financial Powers to its various executives through the Delegation of Powers Manual.

I. Training of Board Members

The new Directors are given orientation and induction regarding company's vision, core value including ethics, financial matters, business operations, risk matters. The normal practice is to furnish booklets, brochures, Annual report, Memorandum & Article of Association of the company, guidelines on Corporate Governance etc.

Apart from above, Directors are also nominated for training on Corporate Governance and other subjects conducted by DPE and other Institutions.

J. Means of Communication

Annual results to the shareholders are sent by way of Annual report and the Annual Report is also posted on website of the Company i.e.www.agrinnovateindia.com on the website, tenders and career opportunities are also posted.

CHAIRMAN'S REPORT

Dear Members

I am pleased to present our Annual Report for the year ended 31st March 2025 and welcome you to the 14th Annual General Meeting of our Company Agrinnovate India Limited (AgIn). Auditors' Report has already been circulated and with your permission, I consider them as read.

It gives me immense satisfaction to see that the ideas we conceived during the various board meetings are being effectively executed by the team and I am hopeful of even better performance in the upcoming year. I would like to place on record, my sincere appreciation to the team, AgIn for their performance during the year.

I am delighted to see that the Guidelines for commercialization of technologies developed under ICAR and Institutions under the National Agricultural Research System (NARS) have finally been harmonized with AgIn thereby widening the scope for commercialization cutting across displines / sectors. We are now in a certain position to take advantage of the new opportunities for enhancing and catalysing innovation and capacity driven agricultural development through partnerships.

Revenue contribution through technology commercialization

During the year 2024-25, AgIn effectively handheld several ICAR institutions and helped transfer a total of 155 technologies earning a gross revenue of Rs 10.51 crores (including royalty). These technologies emerged form crop science (30.3%), dairy and veterinary sciences (10.3%), horticulture (49%) and fisheries (10.3%).

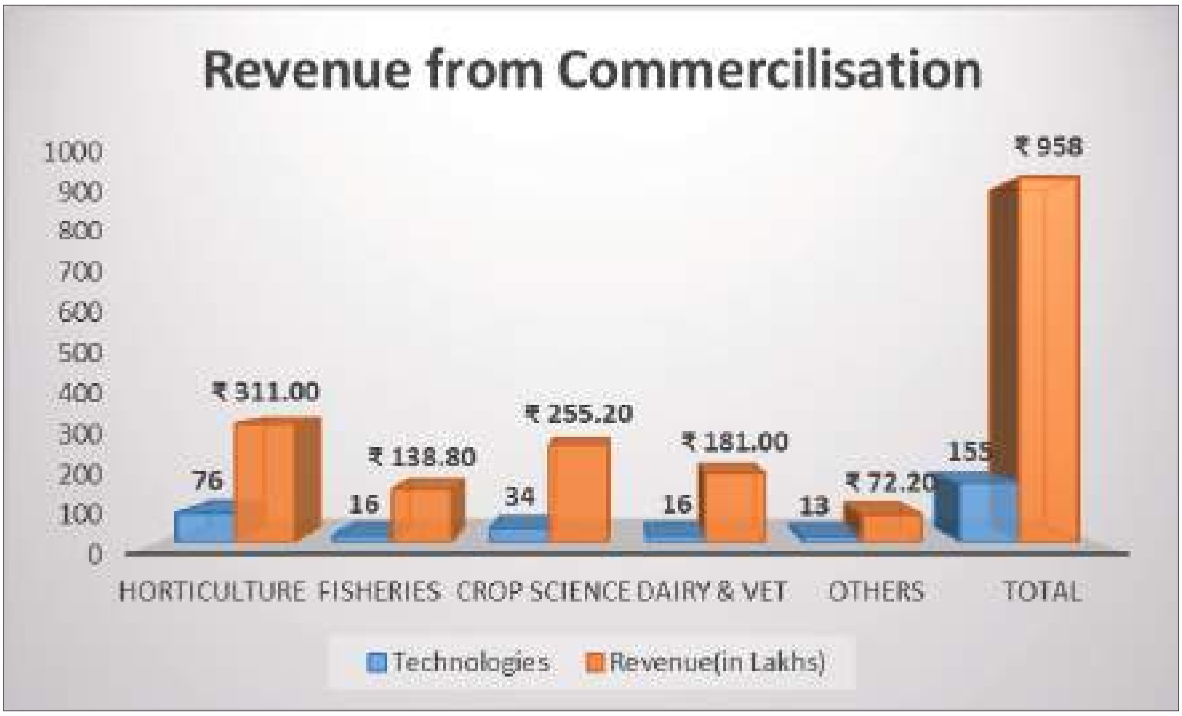

Effort is being made by AgIn to include more ICAR institutes and thus expand the technology base for commercialization, as a result AgIn has been assigned with around 600+ technologies available for licensing from 66 institutes and 9 SAUs.

Important Technologies Transferred

During the year under review, the Company has transferred 155 technologies to various private Companies, Public sector organizations and individual entrepreneurs including farmers at a gross Revenue of Rs. 10.51 crores (excluding taxes).

Out of the 155 technologies Commercialized, the high value technologies with significant market influence and demand include,

Sr. No.	Name of Technology & Institute	No. of Clients	Amount excluding taxes (in Lacs)
1.	ICAR-IARI HT Trait Donor Rice Genotype	2	60
2.	ICAR-CPRI Aeroponics Technology for potato minituber production	12	97.75
3.	ICAR-CIFA CIFAX, Chemical formulation against ulcerative diseases of freshwater fishes	2	75
4.	ICAR-CTCRI Electronic Crop IoT device for Smart farming	1	15
5.	ICAR-IIOR A polymer composition and a process for its preparation as drug delivery carriers for crop	2	37.5
6.	ICAR-IARI PUSA STFR Meter soil testing kit to analyzes 14 important soil parameters	3	30
7.	ICAR-NBPGR DESIGN AND DEVELOPMENT OF GENOME WIDE 64K SNP CHIP OF GRAIN Amaranth (*Amaranthus Hypochondriacus*)	1	10
8	ICAR-IVRI Goat Pox Vaccine for protection against Goat pox	1	25
9	ICAR-NDRI 9 technology Kits for detection of adulterants in Milk such as Urea, Neutralizer, Sucrose, Sorbitol, Glucose, Hydrogen peroxide, Sodium chloride, Maltodextrin, Sub-clinical & Clinical Mastitis	1	36.97
10	ICAR-IIMR & GBPUAT Sorghum Fodder Hybrid - CSH 43 MF	3	30
11	ICAR-NRCE Lumpi-Provac Ind (Lumpy Skin Disease Vaccine for cattle)	1	75
12	ICAR-CISH ICAR BIO-IMMUNIZER (In vitro bio-immunization of banana TC plants)	1	18
13	ICAR-NIBP PCR- and Real-time PCR for detection of Bt brinjal Event 142 with cry1Fa1 gene	1	30
14	ICAR-CIFA Strater, Grower and brooder feeds for Fish	1	18

In the financial year 2024-25, 87 Techno Commercial Assessment Meetings were held out of which 17 meetings were held in physical with the following institutes:

Sr. No.	Name of the Institute	Date of the meeting
1.	ICAR-NRC-Seed Spices, Ajmer	30.04.2024
2.	ICAR-NRC Equines, Hisar	04.05.2024
3.	ICAR-NRC for Orchids, Gangtok, Sikkim	23.06.2024
4.	ICAR-NBPGR, New Delhi	12.08.2024
5.	ICAR-CIRB, Hisar	05.09.2024
6.	ICAR-NISA, Ranchi	29-30 Oct 2024
7.	ICAR-CPRI, Shimla	18.11.2024

Sr. No.	Name of the Institute	Date of the meeting
8.	ICAR-IIOR, Hyderabad	28.11.2024
9.	UAS, Dharwad	26-30 Dec 2024
10.	ICAR-CRIJAF	02.01.2025
11.	ICAR-CSWRI, Avikanagar	04.02.2025
12.	University of Jammu, Jammu	10.02.2025
13.	MAFSU	18.02.2025
14.	ICAR-NRCE, Hisar	07.03.2025
15.	ICAR-DCR, Puttur	11.03.2025
16.	ICAR-CIRB, Hisar	21.03.2025
17.	ICAR-NDRI, Karnal	26.03.2025

AgIn's promotional activities

Constant and continuous efforts by AgIn CEO and team resulted in expanding business opportunities for the company. The major highlights for the financial year 2024-25 are as follows: -

1. REGIONAL STAKEHOLDER CONSULTATION MEETINGS:

- Organized '**AquaBiz 2.0- Business meet on Fisheries & Aquaculture Innovations**' in collaboration with the Zonal Technology Management- Agribusiness Incubation Centre (ZTM-ABI), ICAR-CIFT, IP&TM unit, ICAR, New Delhi on 18th March 2025 at Kochi, Kerala.

2. Several august bodies also invited AgIn as an expert for policy deliberations, collaborations and capacity building activities. These include: -

- Participated in the IP League 3.0 (Inventor-Investor Meet) at FORE School of Management, Qutub Institutional Area, New Delhi (20.04.2024)
- CEO, AgIn was invited as an Expert to deliver a lecture on "Role of Agri-innovate in innovation and commercialization of technologies" by NRC on Seed Spices, Ajmer on the occasion of World IP Day on 30.04.2024. (30 Apr – 02 May 2024)
- Invited to deliver a talk on "Commercialization of Technologies in Agriculture and Allied Sectors" during the Technical Session of State Level Research and Extension Council (SLREC) Meeting of the Odisha University of Agriculture & Technology at OUAT, Bhubaneswar, Odisha (27.05.2024)
- Invited as a Resource Person to deliver a lecture on 'Technology Commercialization in Agriculture' in the IP Week organized by Intellectual Property & Technology Management (IPTM) Unit of ICAR, New Delhi, in collaboration with ICAR RC for NEH Region, Umiam – Meghalaya. (11.06.2024)
- Invited to deliver an Expert lecture on Technology Commercialization in Agriculture through virtual mode by ICAR- IP&TM and ICAR Indian Institute of Soil and Water Conservation, Dehradun (19.06.2024)
- Delivered an Expert lecture on "Technology Commercialization in Agriculture" in the IP Awareness programme through virtual mode, organized by ICAR- IP&TM and ICAR-National Institute of Abiotic Stress Management, Baramati, Pune (26.06.2024)
- Participated in the Panel discussion on IPR in agriculture in the IP Weeks- A Five Days Online Awareness Programmes on IPRs, which have been organized by IP&TM Unit for NRM Institutes

to create an in-depth awareness about IP and its related aspects viz. Copyrights, Design, Patent, Plant Variety, Trademarks and technology-licensing activities. (27.06.2024)

- Invited to serve as a Resource person for the programs arranged by UAS Raichur to share and interact with the Scientific Staff in fine tuning the process of patenting and its commercialization. (01-03 Aug 2024)
- Delivered a guest lecture on the topic 'Technology Commercialization in Agriculture' through virtual mode in the IP week programme for Horticulture Science Institutes(14.08.2024)
- Invited as Special Guest by ICAR-NRC on Mithun, Nagaland for the Industry meet and Technology Conclave to share thoughts on ways to promote entrepreneurship in Mithun sector. (30th August 2024)
- Delivered a lecture in the Second Mithun Day and National Seminar on "Integrated Mithun Farming for Enhancing Farmers Income in the Northeastern Region of India" held at Itanagar, Arunachal Pradesh (01-02 September 2024.)
- Delivered a talk on "Technology Licensing of Agricultural Innovations" during the IP awareness programme organized by IP & TM unit ICAR virtually at IIVR, Varanasi. (06.09.2024)
- Delivered a lead talk through virtual mode as a panelist on Technology Licensing in Horticulture Sciences (13.09.2024)
- Invited to deliver a lecture on 'Commercialization of plant varieties under public research systems' in the National Conference on Managing Agro-Biodiversity in North Eastern India (NCMBN-2024) being organized by Indian Society of Plant Genetic Resources (ISPGR) from 23-25 October, 2024 at ICAR Research Complex for North Eastern Hill Region, Umiam, Meghalaya. (23.10.2024)
- Invited to deliver a Lecture on 'Commercialization of plant varieties under public research systems' during 'Technical Session IV: Interactive Session on Access, Exchange, Benefit Sharing and IPR Systems – Policy Considerations (Plant Genetic Resources)' in the National Conference on Managing Agro-Biodiversity in North Eastern India (NCMBN-2024), organized by ISPGR in collaboration with ICAR Research Complex for North Eastern Hill Region, ICAR-NBPGR, and other international and national partners at ICAR Research Complex for North Eastern Hill Region, Umiam, Meghalaya. (22-25 Oct 2024)
- Invited as an Eminent Expert (Co-Chair) to join in the Panel Discussion in the National Conference on "Building Sustainable Agricultural Startups in India" at NAARM, Hyderabad, also acted as an Advisory Committee Member in the proposed conference for guidance and moral support. (13.11.2024)
- Invited for keynote lecture in the National Conference of the Indian Association of Hill Farming (IAHF) on "Hill agro-ecosystem: Challenges and Opportunities for achieving sustainable Development Goals" on the topic "Innovation Potential and Technology Commercialization in Hill Agro-Ecosystem of NEH Region". at ICAR Research Complex for NEH region at Umiam, Meghalaya (29.11.2024)
- Invited as Expert Speaker for Webinar on "Opportunities for Commercialization of NARS Technologies" organized by Acharya N.G. Ranga Agricultural University (ANGRAU), Andhra Pradesh (20.12.2024)
- Invited to address the startup founders on opportunities for marketing of NARS technologies by startups in the National Agri-Startup Expo-A Mega Event (NASE-2024) on27th December 2024 at UAS, Dharwad. (26-30 Dec 2024)

- Invited as Guest of Honour in the "Jute Industry Stakeholder Meet" at ICAR-Central Research Institute for Jute and Allied Fibres (CRIJAF), Barrackpore (02.01.2025).
- Invited as Special Guest for Entrepreneurs' Meet during National Natural Fibre Festival (NNFF)-2025 organized by ICAR-National Institute of Natural Fibre Engineering and Technology, Kolkata on the occasion of its 87th Foundation Day on (03.01.2025).
- Speaker for Online Awareness program on the Session on Technology licensing chaired by Dr. Sujay Rakshit, Director, ICAR-IIAB, Ranchi and participated by all the ICAR Crop Science Institutes in the Online Intellectual Property (IP) Awareness week during 16-23 January 2025. (22.01.2025)
- Invited as a speaker to address the topic: "Bridging Innovation and Collaboration: Strategies for Successful Technology Transfer and Effective Partnership Building in Agriculture " in an online webinar on "Agri-tech connect: Curation and transfer technologies between academia, Startup and entrepreneur" organized by BioNEST Agri Innovation Centre, UAS, GKVK Bengaluru (28.01.2025)
- Participated as a Resource Person in an online IP Awareness Program titled AquaIP organized jointly by the Intellectual Property & Technology Management (IPTM) Unit, ICAR, New Delhi, and the Zonal Technology Management - Agribusiness Incubation Centre, ICAR-CIFT, Kochi, Kerala and delivered a 1-hour lecture on the topic 'Technology Commercialization in Agriculture'. (29.01.2025)
- Participated as an Expert to the Panel Discussion_AquaIP: Online Awareness Program organized by the ZTM-ABI Centre, ICAR-CIFT, Kochi, and the IP&TM Unit, ICAR, New Delhi (30.01.2025).
- Delivered an expert lecture on "Technology Commercialization in Agriculture" On behalf of ICAR-IP&TM, ICAR Indian Institute of Soil and Water Conservation, Dehradun and ICAR-Central Institute for Women in Agriculture Bhubaneswar, I am pleased to extend this invitation to you. We are organizing a lecture series as part of Intellectual Property Awareness Week (31.01.2025)
- Expert talk and interaction at the symposium-cum-workshop on 'Strategies for Technology Transfer and Commercialization and Agri-Innovate India Initiative' at ICAR-CSWRI, Avikanagar and attended a TCAC meeting of AgIn. (03-05 Feb 2025)
- Invited as Session Coordinator of the Technical Session during the Industry Academia Interface on 22.02.2025 and also attended Startup Track on 21.02.2025 during XVII Agricultural Science Congress, 2025 organized by XVII Agricultural Science Congress jointly with GBPUAT, Pantnagar from 20-22 February, 2025 at GBPUAT, Pantnagar. (21-22 Feb 2025)
- Invited as Special Invitee in the 13th Indian Seed Congress 2025 organized by the National Seed Association of India (NSAI) (24.02.2025)
- Invited as Special Guest in the National Horticulture Fair 2025 with the theme of the event as "Horticulture for Viksit Bharat: Nutrition, Empowerment and Livelihood" being organized at ICAR-IIHR, Bengaluru. Also attended meetings with ICAR-NBAIR and ICAR-NIVEDI for technology commercialization. (28 Feb-1st March 2025)
- Chairperson of Panel Discussion for Regulatory Framework for Animal Health Drugs & Biologicals in the National Seminar on the theme: "Strengthening Animal Health and Economics through Public-Private Partnership for Viksit Bharat" organized by Indian Federation of Animal Health Companies (INFAH) (20.03.2025)
- Chief Guest in Innovators/Industry Meet organized by IGFRI, Southern Regional Research Station, Dharwad and delivered a talk on 'Licensing of ICAR Technologies'. (25.03.2025)

3RD AWARENESS MEETING ON SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

3rd Awareness programme on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition and redressal) Act, 2013 was organized for the IC Committee Members and the employees of Agrinnovate India Limited on 6th March 2025.

The programme aimed on the following issues: -

1. An awareness of the POSH Act.
2. Laws governing the Sexual Harassment
3. Awareness on the acts which may constitute sexual harassment
4. Awareness on the acts which does not constitute sexual harassment
5. Behavior of employees while in workplace and outside
6. Responsibility of employees
7. Responsibilities of the employer
8. Rights available to women under this Act.
9. Procedure for filing complaints
10. Procedure for Enquiry
11. Punishment for Sexual Harassment
12. Consequences for false complaints
13. Awareness about the IC Committee etc.

Financial Highlights

The Company has achieved Revenue from operations of Rs. 10.51 crores as against Rs. 7.41 crores in the previous Financial Year 2023-24. The Depreciation as registered during the Current Year is Rs 0.04 crores as against 0.02 crores for the previous year 2023-24. In the financial year 2024-25, the Company has earned Net Profit of Rs. 5.56 crores as against Net Profit of Rs. 4.71 crores in Financial Year 2023-24. The revenue per business manager is revised from Rs. 250.49 lacs to Rs. 350.40 lacs in the financial year 2024-25.

Report of Compliance with the Guidelines on CorporateGovernance

In compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by Department of Public Enterprises (DPE), the Company's Report on compliance with the Corporate Governance is prepared and annexed with the Board's Report for the Financial year 2024-25.

Acknowledgment

I place on record my appreciation for former Chairman, employees, customers, vendors and academic partners at all levels, who have contributed to the growth and performance of the Company and for their continuous support.

I also wish to thank the Government of India, various Government departments and agencies, private and public sector organizations involved with the activities of AgIn for their continued support and cooperation.

I take this opportunity to express my deep appreciation for the valuable support and guidance given by the present and past Members of AgIn Board from time to time. I also wish to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Department of Agricultural Research and Education, Government of India, ICAR, Statutory as well as Internal auditors of the Company, Secretarial Auditors, Officials of the C&AG and bankers of the Company.

Thanking you
Yours truly,

(Dr. Mangi Lal Jat)
Chairman & Director
Agrinnovate India Limited

Place: New Delhi
Date: -July 15, 2025

Agrinnovate India Limited

Balance Sheet as at 31st March, 2025

(₹ in Hundreds)

Particulars		Note No.	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
I.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
(1)	**Shareholders' Funds**			
(a)	Share Capital	2	5,000,000	5,000,000
(b)	Reserves and Surplus	3	3,499,340	3,085,735
(2)	**Current Liabilities**			
(a)	Trade Payables			
	(A) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and	4	5,169	-
	(B) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises.]		1,222,105	795,312
(b)	Other Current Liabilities	5	79,838	67,200
(c)	Short Term Provisions	6	13,827	19,166
	Total		**9,820,279**	**8,967,413**
II.	**ASSETS**			
(1)	**Non-Current Assets**			
(a)	Property, Plant and Equipment			
	(i) Property,Plant and Equipment	7	15,421	15,075
	(ii) Intangible Assets	7	-	-
(b)	Deferred Tax Assets (Net)	17	4,166	4,443
(2)	**Current Assets**			
(a)	Trade Receivables	8	1,998	13,673
(b)	Cash and Cash Equivalents	9	9,743,195	8,823,887
(c)	Other Current Assets	10	55,500	110,334
	Total		**9,820,279**	**8,967,413**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES		1		

The accompanying notes form an integral part of the financial statements.
As per our report of even date attached.

For SUDHIR KUMAR JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm's Regn. No. 318016E

For and on behalf of Board of Directors of
AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

CA Ravi Kumar
Partner
M. No. 303138

Dr. Mangi Lal Jat
Director
DIN: 11121544

Sanjay Garg
Director
DIN: 03401035

Place : New Delhi
Date: 15.07.2025

Dr. Praveen Malik
Chief Executive Officer
PAN: ADUPM5768N

Dhriti Madaan
Company Secretary
M. No. A-27642

Avesh Yadav
Chief Financial Officer
PAN: AAPPY2129R

Agrinnovate India Limited

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2025

(₹ in Hundreds)

	Particular	Note No.	Year ended 31st March 2025	Year ended 31st March 2024
	INCOME :			
l.	Revenue from Operations	11	1,051,211	740,457
ll.	Other Income	12	711,460	6,40,220
lll.	**Total Income(l+ll)**		**1,762,671**	**1,380,677**
lV.	**EXPENSES :**			
	Direct Expenses	13	840,969	593,266
	Employee Benefits Expense	14	96,031	96,703
	(Prior Period expenses)w		-	-
	Depreciation and Amortization Expense	15	3,632	2,620
	Other Expenses	16	79,254	52,298
	Total Expenses		**1,019,886**	**744,887**
V.	**Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)**		**742,785**	**634,022**
VI.	**Exceptional items (Prior Period expenses)**		-	**1,768**
VII.	**Profit before extraordinary items and tax (V-VI)**		**742,785**	**634,022**
VIII.	**Extraordinary Items**		-	-
lX.	**Profit BeforeTax(VII- VIII)**		**742,785**	**634,022**
X.	**Tax Expenses:**			
	(1) Current Year		186,667	158,680
	(2) Deferred Tax	16	277	1,670
XI.	**Profit (Loss) for the period from continuing operations (IX-X)**		**555,841**	**473,672**
XII.	**Profit/(loss) from discontinuing operations**		-	-
XIII.	**Tax expense of discontinuing operations**		-	-
XIV.	**Profit/(loss) from Discontinuing operations (after tax) (XII-XIII)**		-	-
XV	**Profit and Loss for the Period (Xl+XlV)**		**555,841**	**473,672**
XVI.	**Earnings per equity share:**			
	(1) Basic		1.11	0.95
	(2) Diluted		1.11	0.95
	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	1		

The accompanying notes form an integral part of the financial statements.
As per our report of even date attached.

For SUDHIR KUMAR JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm's Regn. No. 318016E

For and on behalf of Board of Directors of
AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

CA Ajay Khandelwal.
Partner
M. No. 519516

Alka Nangia Arora
Director
DIN: 03165567

Sanjay Garg
Director
DIN: 03401035

Place : New Delhi
Date: 15.07.2025

Dr. Praveen Malik
Chief Executive Officer
PAN: ADUPM5768N

Dhriti Madaan
Company Secretary
M. No. A-27642

Avesh Yadav
Chief Financial Officer
PAN: AAPPY2129R

Agrinnovate India Limited

Cash Flow Statement for the year ended on March 31, 2025

(₹ in Hundreds)

Particulars	Year ended 31st March 2025	Year ended 31st March 2024
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax for the Year	742,785	634,022
Adjustments for:		
Depreciation	3,632	2,620
Depreciation Adjustment	-	4,92,065
Operating profit before working capital changes	**746,417**	**631,722**
Changes in working capital:		
Working Capital Adjustments:		
(Increase) / decrease in trade Receivables	11,676	-13,665
(Increase) / decrease in other Current Assets	54,834	57,095
Increase / (decrease) in trade Payable	431,963	-847
Increase / (decrease) in other current liabilities	12,638	-2,77,602
Increase / (decrease) in short-term provisions	-5,340	-122,459
Cash Generated from/(used in) operating activities	**1,252,187**	**274,244**
Direct Tax Paid	-186,667	-158,680
Net Cash Generated from/(used in) operating activities before exceptional Item	**1,065,520**	**115,564**
Exceptional Item	-	-
Net Cash Generated from/(used in) operating activities (A)	**1,065,520**	**115,564**
B. Cash flow from Investing activities		
Purchase of Fixed assets	-3,978	-86
Net cash generated from / (used in) investing activities (B)	**-3,978**	**-86**
C. Cash flow from financing activities		
Payment of Dividend to Shareholders of Agrinnovate	-142,235	-
Net cash generated from / (used in) financing activities (C)	**-142,235**	-
Net Change in Cash and cash equivalents (A+B+C)	**919,307**	**115,478**
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	8,823,887	8,708,409
Cash and cash equivalents at the end of the year	**9,743,195**	**8,823,887**
Note:1) Cash & Cash equivalents included in cash flow statement comprise of following		
Cash on Hand	23	-
In Bank Accounts	80,121	126,428
In Fixed Deposit with banks	9,663,051	8,697,459
Cash and cash equivalents at the end of the year	**9,743,195**	**8,823,887**

In terms of our audit report of even date attached
As per our report of even date attached.

For SUDHIR KUMAR JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm's Regn. No. 318016E

CA Ajay Khandelwal.
Partner
M. No. 519516

Place : New Delhi
Date: 15.07.2025

For and on behalf of Board of Directors of
AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

Dr. Mangi Lal Jat
Director
DIN: 11121544

Sanjay Garg
Director
DIN: 03401035

Dr. Praveen Malik
Chief Executive Officer
PAN: ADUPM5768N

Dhriti Madaan
Company Secretary
M. No. A-27642

Avesh Yadav
Chief Financial Officer
PAN: AAPPY2129R

AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

G-2, A Block, NASC Complex, DPS Marg, New Delhi-110012
Ph. 011-25842122, 011-25842124 (Telefax), www.agrinnovate.co.in
CIN:-U01400DL2011GOI226486

GSTIN:-07AAKCA0156A1Z9 **PAN NO. AAKCA0156A**

NOTE 1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Note. 1

1.1 Corporate Information

(a) The company has incorporated on 19th October, 2011. The Company is a 100% Government of India Company under Department of Agriculture Research & Education, Ministry of Agriculture.

(b) Dr. Praveen Malik, CEO is an employee of ICAR looking after the affair of the Company. No payment is made either to them or ICAR in this respect.

(c) Mr. Avesh Yadav, CFO is an employee of ICAR looking after the affair of the Company. No payment is made either to them or ICAR in this respect.

(d) The Authorized Share Capital of the company is Rs. 100 Crores whereas the Issued, Subscribed and paid up share Capital of the company is Rs. 50 Crores

Basis of Accounting and Preparation of Financial Statements

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year.

1.2 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known / materialize.

1.3 Cash and Bank Balances

Cash comprises cash on hand and cash in foreign currency. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

1.4 Depreciation

Depreciation has been provided on the written down value method as per the rates and manner prescribed in under Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on fixed assets added/ disposed off during the year is provided on pro-rata basis.

1.5 Leases

Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term.

1.6 Revenue Recognition

Agrinnovate India Ltd (AgIn) aim to work on the strength of DARE's ICAR as an independent aim to promote the development and spread of R & D outcomes through IPR protection. Commercialization an forgoing partnership both in the country and outside for the public benefit

Policy for Interest Income:

Revenue from interest on Fixed Deposit & Flexi Deposit Account is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

Policy for Royalty Income

Royalty is recognized and accrued on due basis as per licensing agreement.

Policy for License Fees

License fees is recognized when the complete technical knowhow, demonstrate and training of the particular license is provided to the license as per licensing agreement. Corresponding Expense for assigning license has been presented as cost of license (Expenses).

Policy of Training Programme

Revenue from conducting the training programme is recognized on completion of the respective training.

1.7 Foreign Currency Transactions and Translations

a) Foreign currency transactions, on initial recognition, are recorded by applying to the foreign currency amount the exchange rate at the date of the transaction. At each balance sheet date, foreign currency monetary items are reported using the closing rate and non-monetary items carried at historical cost denominated in foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

b) Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on reporting monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognized as income or as expenses in the year in which they arise.

1.8 Employee Benefits

The provision of Provident fund and ESIC are not applicable to the company.

Since none of the employee of the company is covered under the provision of the Gratuity Act, 1972, hence no provision has been made in respect of the gratuity for the year ended 31st March, 2025.

1.9 Property, Plant & Equipment

Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of fixed assets includes interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying fixed assets up to the date the asset is ready for its intended use and other incidental expenses incurred up to that date. Subsequent expenditure relating to fixed assets is capitalized only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such assets beyond its previously assessed standard of performance.

1.10 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) as adjusted for dividend, interest and other charges to expense or income relating to the dilutive potential equity shares, by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential equity shares.

1.11 Payment of Dividend

The Board of Directors of The Company have proposed for exemption from payment of Dividend for The FY 2024-25. The request letter will be sent to DIPAM, Ministry of Finance through Administrative Ministry i.e. DARE for approval.

1.12 Taxes on Income

Current tax is the amount of tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.

Deferred tax is recognized on timing differences, being the differences between the taxable income and the accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax is measured using the tax rates and the tax laws enacted or substantially enacted as at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all timing differences. Deferred tax assets in respect of unabsorbed depreciation and carry forward of losses are recognized only if there is virtual certainty that there will be sufficient future taxable income available to realize such assets. Deferred tax assets are recognized for timing differences of other items only to the extent that reasonable certainty exists that sufficient future taxable income will be available against which these can be realized. Deferred tax assets and liabilities are offset if such items relate to taxes on income levied by the same governing tax laws and the Company has a legally enforceable right for such set off. Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date for their realisability.

1.13 Impairment of Assets

The carrying values of assets / cash generating units at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment is recognized, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognized for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognized in the Statement of Profit and Loss, except in case of revalued assets.

1.14 Provisions and Contingencies

A provision is recognized when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding retirement benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

1.15 Method of sharing of revenue between ICAR Institutes, Agrinnovate and ICAR-Headquarters

The revenue share is being done as per the agreement with ICAR and being followed since inception of the company. Recent order No. **F. No. FIN/10/1/2002/-CDN (A&A)/e-357760** dated **10.03.2025** has been issued by ICAR. **Existing Share** (Till 09.03.2025) is 70: 20: 10 (ICAR Institutes, Agrinnovate and ICAR-Headquarters). **Revised Share** (From 10.03.2025) is 50: 20: 30 (ICAR Institutes, Agrinnovate and ICAR-Headquarters).

1.16 CSR Applicability

The Company's Net Profit for the financial year 2024-25 has exceeded ₹5 crore, thereby triggering the applicability of Section 135 of the companies Act, 2013. As a result, the company will be required to comply with CSR provisions from the financial year 2025-26 onwards, Including the Constitution of a CSR Committee and spending on eligible CSR activities as per the Act.

Note: Refer SAP 2025-26

AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2025

Note : 2 Share Capital

(₹ in Hundreds except shares and Per share data unless otherwise stated)

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	**AUTHORIZED**		
	10,00,00,000 (10,00,00,000) Equity Shares of Rs. 10/- each.	10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
2	**ISSUED, SUBSCRIBED AND FULLY PAID UP**		
	5,00,00,000 (5,00,00,000) Equity Shares of Rs. 10/- each	5,000,000	5,000,000
	Total	**5,000,000**	**5,000,000**

(a) Terms / rights attached to equity shares:

The Company has only one class of issued equity shares having at par value of 10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amount. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

(b) Details of Equity shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company

Sr. No	Name of Shareholders	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
		No. of Shares	No. of Shares
1	President of India, Government of India	49,999,940	49,999,940
	(Percentage of Holdings)	99.9988 %	99.9988 %

(c) Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of reporting period

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
		No. of Shares	No. of Shares
	At the beginning of the year	50,000,000	50,000,000
	Changed during the year	-	-
	At the end of the year	**50,000,000**	**50,000,000**

(d) Shares held by promoters at the end of the year

S.No	Promoter name	No. of Shares	%of total shares	% Change during the year
1	President of India, Government of India	4,99,99,940	99.9988%	Nil
2	Mr Balraj ,as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
3	Mr. S.K.Upadhyay,as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
4	Mr.Sunil Kumar Meena , as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
5	Mr. Rajesh Gupta, as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
6	Shri K.K. Gwiti, as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
7	Mr. Surajit Saha ,as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
	Total	50,000,000	100%	

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2025

Note : 3 Reserves and Surplus

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	**Surplus as per Statement of Profit and Loss:**		
	Balance brought forward from last Financial Statements	3,085,735	2,612,062
	Add: Profit for the year	555,841	473,673
	Less: Dividend Paid During the Year (2023-24)	142,235	-
	Total	**3,499,340**	**3,085,735**

Note : 4 Trade Payables

Sr. No	Particulars		As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	Total Outstanding dues to MSME		5,169	-
2	Total Outstanding dues to Other than MSME	(a+b+c+d)	1,222,105	795,312
	a)-Sharing of Licence Fees - ICAR's Share		411,272	287,575
	b)-Sharing of Licence Fees - Institutes' Share		772,479	507,737
	c)-Non- Icar Institutes and Other SAUs		22,410	-
	d)-Other's		15,944	-
	Total		**1,227,274**	**795,312**

Note : 4.1 Trade Payables Ageing Schedule as at March 31, 2025

Sr. No	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
	(i) MSME	5,169	-	-	-	5,169
	(ii) Others	632,293	271,679	238,108	80,025	1,222,105
	(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
	(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-
	(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-
	Total	**637,463**	**271,679**	**238,108**	**80,025**	**1,227,274**

Note : 4.2 Trade Payables Ageing Schedule as at March 31, 2025

Sr. No	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
	(i) MSME	-	-	-	-	-
	(ii) Others	372,262.42	102,760	219,614	100,675	795,312
	(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
	(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-
	(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-
	Total	**372,262**	**102,760**	**219,614**	**100,675**	**795,312**
Note: Trade Payables are subject to the confirmation.						

Note : 5 Other Current Liabilities

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	Statutory Dues Payable	62,640	53,879
2	Security Deposits	1,491	550
3	Other Payable	415	415
4	Contract Salary Payable	4,231	4,073
5	Expenses Payables	677	1,179
6	Advance from Customers	10,383	7,105
	Total	**79,838**	**67,200**

Note : 6 Short-Term Provisions

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	Provision for Expenses	5,089	9,931
2	Provision for NBA/SBA Share	8,738	9,236
	Total	**13,827**	**19,166**

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2025

Note: 7 Property, Plant and Equipment

(₹ in Hundreds)

Sr. No	Assets	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		As at 01.04. 2024	Additions during the year	Deletions/ Adjustments	As at 31.03.2025	As at 01.04. 2024	Additions during the year	Adjustments, if any	As at 31.03.2025	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
(A)	**Property,Plant and Equipments**										
1	Building Improvement	17,149	-	-	17,149	5,953	1,064	-	7,017	10,132	11,196
2	Furniture and Fixtures	44,691		-	44,691	41,966	706	-	42,672	2,020	2,726
3	Office Equipments	29,746	2,020	-	31,766	29,451	359	-	29,810	1,956	295
4	Electric installation and equipments	13,976	-	-	13,976	13,122	221	-	13,343	632	853
5	Computers and Accessories	11,606	1,958	-	13,563	11,600	1,282	-	12,882	681	6
6	Leasehold Building	0.01			0.01	-	-	-	-	0.01	0.01
	Sub-Total	**117,167**	**3,978**	-	**121,145**	**102,092**	**3,632**	-	**105,724**	**15,421**	**15,075**
(B)	**Intangible Assets**										
1	Software	1,658	-	-	1,658	1,658	-	-	1,658	-	-
	Sub-Total	**1,658**	-	-	**1,658**	**1,658**	-	-	**1,658**	-	-
	Grand Total (Current Year)	**118,826**	**3,978**	-	**122,803**	**103,751**	**3,632**	-	**107,383**	**15,421**	**15,075**
	Grand Total (Previous Year)	**118,740**	**86**	-	**118,826**	**106,051**	**2,620**	**4,921**	**103,751**	**15,075**	**12,689**

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2025

Note : 8 Trade Receivables

(₹ in Hundreds)

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
	Trade Receivables considered good-unsecured		
1	Debts Outstanding for a period exceeding six months	688	688
2	Other debts	1,309	12,985
	Total	**1,998**	**13,673**

Note : 8.1 Trade Receivables Ageing Schedule as at March 31, 2025

Sr. No	Particulars	Less than 6 months	6 months -1 year	1 -2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
1	(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-
2	(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	1,309	-	680	-	8	1,998
3	(iii) Disputed Trade Receivables considered good	-	-	-	-	-	-
4	(iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	Total	**1,309**	-	**680**	-	**8**	**1,998**

Note : 8.2 Trade Receivables Ageing Schedule as at March 31, 2024

Sr. No	Particulars	Less than 6 months	6 months -1 year	1 -2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
1	(i) Undisputed Trade receivables – considered good	12,985	680	-	8	-	13,673
2	(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
3	(iii) Disputed Trade Receivables considered good	-	-	-	-	-	-
4	(iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	Total	**12,985**	**680**	-	**8**	-	**13,673**

Note: Trade Receivables are subject to the confirmation.

Note : 9 Cash and Cash Equivalents

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	**Cash and Cash Equivalents**		
	a) Cash on Hand	23	-
	Balances with Banks		
	- In Current Accounts	80,121	126,428
	- In Fixed Deposit Accounts with maturity less than 3 months	-	314,405
	- Interest Accrued on FDR	4,974	514
	Total (a)	**85,094**	**441,347**
	b) Other Bank Balance		
	- In Fixed Deposit Accounts with maturity More than 3 months	9,244,145	8,000,000
	- Interest Accrued on FDR with maturity More than 3 months	413,933	382,541
	Total (b)	**9,658,078**	**8,382,541**
	Total (a+b)	**9,743,195**	**8,823,887**

Note : 10 Other Current Assets

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	Advane Tax & TDS net of Income Tax Provision	25,659	84,947
2	Prepaid Expenses	118	375
3	Advance to Suplier	489	14
4	Advance to Employee	24	-
5	Balance With Revenue Authority	29,211	24,997
	Total	**55,500**	**110,334**

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2025

Note : 11 Revenue from Operations

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	Licence Fees on Technology Transfer	958,488	668,375
2	Royalty Received	92,723	72,082
	Total	**1,051,211**	**740,457**

Note : 12 Other Income

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	Interest on Fixed Deposit	710,490	635,299
2	Interest on Income Tax Refund	970	0.42
3	Depreciation Adjustment	-	4,921
	Total	**711,460**	**640,220**

Note : 13 Direct Expenses

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	Cost of Licence Fees(80% ICAR+ ICAR Institutes)	766,790	521,184
2	Cost of Royalty Payment (80% ICAR+ ICAR Institutes))	74,179	72,082
	Total	**840,969**	**593,266**

Note : 14 Employee Benefits Expense

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	Salary:-		
	To Permanent Employees	-	-
	To Contract Employees	50,432	50,117
	To Employees employed through Agency	44,405	45,208
2	To Reimbursement of Expenses	1,194	1,378
	Total	**96,031**	**96,703**

Note : 15 Depreciation and Amortization Expense

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	Depreciation	3,632	2,620
	Total	**3,632**	**2,620**

Note : 16 Other Expenses

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
	Other Indirect Costs		
1	Administrative Expenses	2,320	3,391
2	Electricity and Water	3,495	2,916
3	Rent, Rates and Taxes	1,748	1,748
4	Common Service Charges	10,001	8,426
5	Printing and Stationery	6,256	2,479
6	Communication	1,796	1,218
7	Vehicle Hire Charges	8,514	8,591
8	Travelling Inland	10,202	5,483
9	Publicity/ Exhibition/Advertisement	6,067	967
10	Fee and Subscription	1,666	306
11	Repairs and Maintenance		
	- Repair & Maint.(Computer & Printers)	6,256	687
	-Others	304	252
12	Legal and Professional Charges	1,803	3,096
13	Internal Audit Fees	345	250
14	Secretarial Audit Fee	65	77
15	Auditor's Remuneration		
	- Statutory Audit Fee	460	460
16	Interest on GST/RCM	-	81
17	Interest on TDS	1	27
18	Provisions (P/Y)	-	1,301
19	Miscellaneous	5,391	1,495
20	Website Develpoment/Design	2,100	-
21	Housekeeping Services	6,265	4,645
22	Meeting Expenses	2,564	2,934
23	Annual Maintenance Expense	1,524	1,093
24	Roc Expenses	47	300
25	Bank Charges	64	74
	Total	**79,254**	**52,298**

AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2025

Note : 17 Deferred Tax Assets/Liability

(₹ in Hundreds)

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	**On account of W D V**		
	As per Companies Act	15,421	15,075
	As per Income Tax	31,972	32,730
	Excess of WDV as Income Tax Act over Companies Act	-16,552	-17,655
	Deferred Tax Assets @ 25.168%	**4,166**	**4,443**
	Recognised in Statement of Profit and Loss	**277**	**1,670**

18 Earnings per Equity Share Note :

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Net Profit as per Statement of Profit and Loss available to	555,841	473,672
Equity Shareholders	50,000,000	50,000,000
Weighted average number of Equity Shares	50,000,000	50,000,000
A. Basic Earnings Per Share of Rs.10/- each	1.11	0.95
B. Diluted Earnings Per Share of Rs.10/- each	1.11	0.95

Note : 19 Contingent Liabilities

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Contingent Liabilities exists in respect of:-		
a) Claims against the Company not acknowledged as debts		
- Goods and Service Tax Matters	Nil	Nil
- Income Tax Matters (10IC Delay filling)	27,750	Nil
- Other Matters	Nil	Nil
	Nil	Nil
b) Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Accounts	Nil	Nil
c) Other money for which the company is contingent liable	Nil	Nil

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

Note: 20 Related Party Transections Disclosures

(i) Names of the related parties where control exists and related parties with whom transactions have taken place and relationship :

a) Key Managerial Personnel / Individuals having significant influence on the Company:

- Dr. Himanshu Pathak, Chairman & Director (till 3rd March 2025)
- Dr. Mangi Lal Jat, Chairman & Director (appointed with effect from 27th May 2025)
- Mr. Sanjay Garg, Director
- Dr. Ashok Mahadev Rao Dalwai, Director (Till 11.08.2024)
- Mr. Samuel Praveen Kumar , Director (appointed with effect from 10.10.2024)
- Dr. Alka Nangia Arora, Director (till 30th April 2025)
- Dr. Neeru Bhooshan, Director
- Mr. Anand Mohan Awasthy, Director
- Mr. Gounder Karupana Nagaraj, Director
- Dr Praveen Malik, Chief Executive Officer
- Mr. Rahul Kumar, Chief Financial Officer (Till 31.12.2024)
- Mr. Avesh Yadav, Chief Financial Officer (From 07.01.2025)
- Ms. Dhriti Madaan, Company Secretary

Disclosure in respect of Related Party Transactions during the year

(₹ in Hundreds)

S. No	Particulars	Relationship	For the year ended 31-03-2025	For the year ended 31-03-2024
1	**Managerial Remuneration**			
	Dr. Praveen Malik	Chief Executive Officer	-	-
	Ms Dhriti Madaan	Company Secretary	8,105	8,719
2	**Reimbursement of Expenses**			
	Dr Praveen Malik	Chief Executive Officer	2,042	1,122
	Mr.Rahul Kumar	Chief Financial Officer	109	217
	Mr.Avesh Yadav	Chief Financial Officer	-	-
	Ms Dhriti Madaan	Company Secretary	453	254
3	**Director Sitting Fees**			
	Mr. Anand Mohan Awasthy	Director	601	594
	Mr. Gounder Karupana Nagaraj	Director	306	342

Note 21 Details of dues to micro and small enterprises as defined under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006)

Dues to micro and small enterprises

The Ministry of Corporate Affairs has issued notification no.G.S.R 1022(E) dated October 11, 2018 which prescribes certain disclosures regarding amount payable to micro enterprises and small enterprises. Accordingly, the disclosure in respect of the amounts payable to such enterprises has been made in the financial statements based on information received from the vendors. The necessary information in this regard is given here under :

Particulars	As at March 31 2025	As at March 31 2024
The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year;		
– Principal	-	-
– Interest	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, (the Act) along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year	-	-
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the said Act	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise.	-	-

Note 22 Deferred Tax Liabilities/ Assets

The company has been following AS-22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realized in future.

Note 23 Disclosure of Key Ratios

Sr. No.	Particulars	Numerator	Denominator	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024	% of Variance	Reason for Variance if above 25%
1	Current Ratio (times)	Total Current Assets	Total Current Liabilities	7.42	10.15	-27%	Increase in Current Assets is due to- Interest Received from Fixed Deposit is revised in Fixed Deposit & Increase in Current Liability- Due to increase in liability in relation to Institute and ICAR share still to be paid.
2	Debt-equity Ratio (times)	Total Debt	Total equity	NA	NA	NA	NA
3	Debt service coverage Ratio (times)	Earnings available for debt service (1)	Debt service	NA	NA	NA	NA
4	Return on equity Ratio (%)	Profit for the year	Shareholder Equity	7%	6%	16.66%	Not significant
6	Trade receivables turnover Ratio (times)	Revenue from contracts with customers	Average trade receivables	NA	NA	NA	NA
7	Trade payables turnover Ratio (times)	Net Credit Purchases	Average trade payable for Goods	NA	NA	NA	NA
8	Net capital turnover ratio	Revenue from contracts with customers	Average working capital	0.13	0.18	27.77%	Due to Increase in Turnover compared to previous year
9	Operating margin (%)	Earnings before Interest, Tax and Exceptional Items Less Other Income	Value of Sales & Services	2.98%	0.85%	2%	Not significant
10	Return on capital employed (%)	Profit before tax add finance costs	Capital Employed	9%	8%	12.50%	Not significant
11	Return on Investment	Net Profit/ PAT	Cost of Invetment	11%	9%	22.22%	Not significant

Note 24 Other Statutory Information

a) The Company does not have any Benami property, where any proceeding has been initiated or pending against the Company for holding any Benami property.

b) The Company has not advanced any loans or advances in the nature of loans to specified persons viz. promoters, directors, KMPs, related parties; which are repayable on demand or where the agreement does not specify any terms or period of repayment.

c) The Company has not been declared as a wilful defaulter by any lender who has powers to declare a company as a wilful defaulter at any time during the financial year or after the end of reporting period but before the date when financial statements are approved.

d) The Company has not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall: (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

e) The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall: (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

f) There are no transactions and / or balance outstanding with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013.

g) The Company does not have any transaction which is not recorded in the books of accounts but has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961).

h) The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

i) The Company has complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017.

j) The Company does not have any charges or satisfaction which is yet to be registered with the Registrar of Companies (ROC) beyond the statutory period.

k) Foreign exchange earnings and outgo

(₹ in Hundreds)

Particulars	FY 2023-24
Outgo	NIL
Earnings	NIL

Note: 25 Previous Year's Figures

Previous year's figures have been regrouped/ reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification/ disclosure.

As per our report of even date attached.

For and on behalf of Board of Directors of
AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

For SUDHIR KUMAR JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm's Regn. No. 318016E

CA Ravi Kumar Partner M. No. 303138		**Dr. Mangi Lal Jat** Director DIN: 11121544	**Sanjay Garg** Director DIN: 03401035
Place : New Delhi Date: 15.07.2025	**Dr. Praveen Malik** Chief Executive Officer PAN: ADUPM5768N	**Dhriti Madaan** Company Secretary M. No. A-27642	**Avesh Yadav** Chief Financial Officer PAN: AAPPY2129R

AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

Statutory Dues Payable

(₹ in Hundred)

Sr. No	Particulars		As at 31st March 2025
1	Tax Deducted at source		21,026
2	TDS on GST		911
3	GST Payables		40,678
4	Output CGST RCM		13
5	Output SGST RCM		13
		-	
	Total	-	**62,640**

Balances with Banks in Current Accounts

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025
1	Canara Bank	79,907
2	Central Bank of India	214
		-
	Total	**80,121**

Other Payables

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025
1	Beej Sheetal Research Pvt. Ltd.	45
2	Sensartics Pvt. Ltd.	100
3	Surajshree Chemicals Ltd.	250
4	W S Telematics Pvt Ltd	20
	Total	**415**

Advance from Customers (Excess payment due deposit of Tds after full amount paid by the Tech Purchaser against invoice)

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025
1	ABC Agrobiotechnology Pvt. Ltd	200
2	Aimil Pharmaceuticals India Limited	250
3	Deptt. of Horticulture -Hulimavu	100
4	ENVOZYME TECHNOLOGIES PRIVATE LTD.	150
5	EVEREST INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED	3,697
6	HIL INDIA LIMITED	300
7	Hyfun Agrilink Pvt. Ltd.,	88
8	Inera Cropscience Private Limited	2,150
9	Inovet Pharma	600
10	Mansoon Seeds Private Limited	100
11	MEENAVATI KRISHI AGROVENTURE PRODUCER COMPANY	150
12	Next-Gen Agro	1,623
13	Nilanchal Agriscience LLP	100
14	Penetron Products Pvt Ltd/Ramraj Ass	500
15	Uniagri Bioscience Pvt Ltd	375
		10,383

Advance to Supliers (Non- Deposit of GST due to entry reversed)

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025
1	Shree D G corporation	139
2	Director of Polutry Reasearch -DPR	189
3	Garg paints and Hardware	3
4	Hi- Colour International	7
5	Meghraj Restaurant & Catering	107
6	Parshwa Enterprises	43
		489

Balances with Revenue Authorities

Sr. No	Particulars	As at 31st March 2025
1	Tds Receivable C/f	88
2	Tds Recievables	100,281
3	Tds Recievables Not in 26AS	9,147
4	Tds Recoverable From Godaddy	247
5	Income Tax Refundable (A.Y 2020-21)	15,051
	Total	**124,813**

Trade Receivables Ageing Schedule

S.NO	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
		Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
1	COE-Department Of Horticulture					140	140
2	Distt. Herticulture Office					330	330
3	Florecer Services Pvt Ltd					25	25
4	Hindustan Antibiotics Limited					4	4
5	Institute of Veterinary Biological Products					1,000	1,000
6	Potato Research Center					330	330
7	Terrestrial Foods Limited					168	168
	TOTAL	-	-	-	-	**1,998**	**1,998**

Note : Above mentioned trade receivables are recoverable due reverse entry passed against TDS and GST TDS was not deposited by respective vendors in previous years.

AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

PARTICULARS OF DEPRECIATION AS PER INCOME TAX ACT, 1961

(₹ in Hundreds)

Particulars	Rate of Dep.	WDV As at 1st April, 2024	Additions During the Year			Sales/ Adjustment	Total As at 31st March, 2025	Depreciation for the Year	WDV As at 31st March, 2025
			1st April, 2024 to 30th September, 2024	1st October, 2024 to 31st March, 2025	Total Additions				
Building	10%	6,312			-	-	6,312	631	5,681
Furniture & fixtures including Electric fitting	10%	16,352			-		16,352	1,635	14,717
Office Equipment	15%	9,969	-	2,020	2,020	-	11,989	1,647	10,342
Computers & Accessories	40%	97	1,958	-	1,958	-	2,054	822	1,233
Leasehold Building	0%	0.01			0.01		0.01	-	0.01
TOTAL		**32,730**	**1,958**	**2,020**	**3,978**	**-**	**36,707**	**4,735**	**31,972**

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
the Members of
Agrinnovate India Limited, New Delhi.,

This Report supersedes our earlier report dated 15th July'2025

Opinion

We have audited the financial statements of **Agrinnovate India Limited, New Delhi** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2025, and the statement of Profit and Loss, statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as "The Financial Statement").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2025, and its profit, its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Emphasis of the matters

1. We draw attention to the fact that the company has not maintained a proper Fixed Assets Register as required under the Companies Act, 2013. Consequently, we were unable to verify the completeness and accuracy of Property, Plant and Equipment recorded in the financial statements. In our opinion, this constitutes a departure from the applicable accounting and statutory requirements.
2. During the year under review, the Company failed to reconcile GST Input credit with GST input claimed through returns filed under Goods and Service Tax Act, 2017. The company has shown un-reconciled balance of GST Input credit of ₹24,99,698/- relating to on or before 01 April,2023, the treatment of GST input credit is not definite due to lack of information whether company can claim this input credit or not as per provisions of GST Act. This has resulted in over-statement of current assets to the extent of ₹ 24,99,698/-in Balance Sheet as at 31 March,2025.
3. The Company's trade payables include an amount of ₹ 11,83,75,051 (₹ 7,72,47,851 as Institutes'

Share and ₹ 4,11,27,199 as ICAR's Share) which has been outstanding for a significant period. The Company has not been able to obtain balance confirmation for the said amount, and accordingly the outstanding balance of the Parties are subject to adjustment, if any, on reconciliation/ settlement of accounts.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgments, were of most significance in our audit of these Financial Statements of the financial year ended March31,2025. These matters were addressed in the context of our audit of the Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report but does not include the Financial Statements and our auditors' report thereon.

Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report the fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statement

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine

that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1) As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2020 ('the order') issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 we give in the **Annexure 'A'** statement of the matters specified in paragraph 3 and 4 of the order to the extent applicable.

2) As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

   (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and statement of cash flows dealt with by this Report are in agreement with the Books of Account.

   (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules,2014.

   (e) In pursuance to the notification No. G.S.R. 463(E) dated 05-06-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, section 164(2) of the Act pertaining to the disqualification of Director, is not applicable to Government Company.

   (f) In pursuance to the notification No. G.S.R. 463(E) dated 05-06-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, section 197 of the Act pertaining Managerial Remuneration, is not applicable to Government Company.

   (g) With respect to the adequacy of internal financial controls over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such controls, please refer to our separate report in **Annexure-B**

   (h) As required by section 143(5) of the companies Act, 2013 our comment with regards to directions and additional directions issued by the comptroller and auditor general of India is given in **Annexure "C& D".**

   (i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

      i. Company does not have any pending litigations which would impact its financial position in its financial statements;

      ii. Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses

      iii. There is no amount which required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

      iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or

loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

v. (b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

vi. Dividend:

(a) The Company has not declared or paid any interim dividend during the year and until the date of Report.

(b) The Board of Directors of the Company have proposed final dividend for the year, which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The Amount of dividend proposed is in accordance with Section 123 of the Act, as applicable.

However, as per Item No. 62/09 of the Minutes of the 62nd Meeting of the Board of Directors dated 15 July 2025, it was resolved that Agrinnovate India Limited be granted exemption from payment of Dividend for the financial year 2024-25, on the grounds of Capex/Business Expansion requirements and settlement of existing liabilities. The Board further resolved that the proposal for exemption may be forwarded to the Administrative Ministry i.e., Department of Agricultural Research & Education (DARE) for recommendation to the Department of Economic Affairs and DIPAM.

vii. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting softwares for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2025 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the soft-wares. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

The audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

Accordingly, in our opinion and as per the information and explanations provided to us, the Company has complied with the aforesaid requirement of Rule 11(g) in respect of the financial year commencing on or after 1st April, 2022.

FOR SUDHIR KUMAR JAIN & ASSOCIATES
(Chartered Accountants)
Firm Regn No: 318016E

CA. Ravi Kumar (Partner)
Membership No.303138

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

UDIN:- 25303138BMGYAX2800

Annexure 'A' to the Independent Auditors Report

The Annexure referred to in our report to the members of Agrinnovate India Limited ('The Company') for the year ended March'2025.

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us during the course of our audit, we report that:

i. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment (PPE) and Intangible Assets:

(a)
- The Company is not maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of property, plant & equipment.
- The company has not maintained proper record showing full particulars of intangible assets.

(b) As per the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the PPE have been physically verified by the management during the year and there is a regular programme of verification which, in our opinion is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its business. No material discrepancies were noticed on such verification.

(c) According to the information and explanations given to us, the company does not have any immovable property other than leasehold office premises.

(d) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records, the Company has not revalued its Property, Plant and Equipment during the year. Accordingly, reporting under clause 3(i)(d) of the Order is not applicable.

(e) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the company, there are no proceedings initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2025 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.

ii. In respect of its inventories:

(a) According to the information and explanation given to us the Company is not having any inventory in its business, therefore provisions of clause 3(ii)(a) of the Companies (Auditors Report) Order,2020 is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been sanctioned working capital limits from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. Accordingly, reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.

iii. According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties during the year. Accordingly, reporting under clause 3(iii) of the Order is not applicable.

iv. According to the information and explanations given to us and on the basis of examination of the records, the Company has not given any loan, or made any investment, or provided any guarantee

or security as specified under section 185 and 186 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the reporting under clause 3(iv) of the Order are not applicable.

v. In our opinion and according to information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public and hence provisions of Sections 73 to 76 and other relevant provision of the Act and Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 are not applicable.

vi. As per information & explanation given by the management, Central Government has not prescribed the maintenance of cost record under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act 2013. Hence, Paragraph 3 of clause (vi) of the said order is not applicable to the company.

vii. (a) In our opinion and according to information and explanations given to us and based on the audit procedures performed by us, the undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income-Tax, Sales-Tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and any other statutory dues have generally been regularly deposited by the Company with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the aforesaid dues were outstanding as at March 31, 2025 for a period more than six months from the date of becoming payable.

(b) According to the information and explanations given to us, and on the basis of our examination of the records of the Company, there are no statutory dues relating to GST, Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Duty of Customs or Cess or other statutory dues which have not been deposited on account of any disputes except the statutory dues mentioned in Note 2 (2A & 2B) accompanying the financial statement.

viii. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income-tax Act, 1961 as income during the year. Accordingly, the reporting under clause 3(viii) of the Order are not applicable.

ix. (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not obtained any loans or other borrowings during the year. Hence provision of clause 3(ix) of the order is not applicable.

x. (a) The Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

(b) According to the information and explanations given to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year and hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

xi. (a) According to the information and explanations given to us and as represented by the Management and based on our examination of the books and records of the Company and in accordance with generally accepted auditing practices in India, no case of material fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the year.

(b) We have not submitted any report under subsection (12) of section 143 of the Companies Act, 2013 in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this audit report.

(c) According to the information and explanation given to us and based on examination of record of the company as provided to us, the company has not received any Whistle blower complaints during the year.

xii. According to information and explanation given to us, in our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the reporting under clause 3(xii) of the Order is not applicable to the Company.

xiii. Based on our audit procedures and on the information and explanations given to us, we report that transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the financial statements etc., as required by the applicable accounting standards.

xiv. (a) Based on information and explanations provided to us and our audit procedures, in our opinion, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) The report of Internal auditor up to March'2025 were provided and considered in preparing our Audit Report.

xv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with the directors or persons connected with them covered under Section 192 of the Act. Accordingly, reporting under clause 3(xv) of the Order is not applicable to the company.

xvi. (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, reporting under clause 3(xvi)(a) of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanations provided to us, the Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities therefore the Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, reporting under clause 3(xvi)(b) of the Order is not applicable to the Company.

(c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, reporting under clause 3(xvi)(c) of the Order is not applicable to the Company.

(d) In our opinion, The Company is not part of any group (as per the provisions of the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016). Accordingly, reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable to the Company.

xvii. Based on our examination of the books and records of the Company, the Company has not incurred any cash losses during the financial year and in the immediately preceding financial year.

xviii. There has been no resignation of the Statutory Auditors during the year. Accordingly, reporting under clause 3(xviii) of the Order is not applicable to the Company.

xix. According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the Financial Statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of Balance Sheet as and when they fall due within a period of one year from the Balance Sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

xx. The company is not required to spend amounts towards Corporate Social Responsibility (CSR). Accordingly, reporting under clause 3(xx)(a) and 3(xx)(b) of the Order are not applicable for the year.

FOR SUDHIR KUMAR JAIN & ASSOCIATES
(Chartered Accountants)
Firm Regn No: 318016E

CA. Ravi Kumar (Partner)
Membership No.303138

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

UDIN:- 25303138BMGYAX2800

Annexure 'B' to the Independent Auditor's Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ('the Act').

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Agrinnovate India Limited. ('the Company') as of 31 March 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the 'Guidance Note') and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The above-mentioned Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and

dispositions of the assets of the Company;(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of the Management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Due to inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls except fixed assets and inventories over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

FOR SUDHIR KUMAR JAIN & ASSOCIATES
(Chartered Accountants)
Firm Regn No: 318016E

CA. Ravi Kumar (Partner)
Membership No.303138

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

UDIN:- 25303138BMGYAX2800

Annexure-C to Independent Auditor's Report

General Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

Sl. No.	Questioners	Auditor's Reply
1	Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	The direction requires assessment of fair valuation of all investments made directly by the Company or through Trusts for post-retirement benefits of employees. On verification, it is noted that the Company does not have any employees on its payroll. Accordingly, no such post-retirement benefit schemes, funds or related investments exist in the books of the Company. Hence, the requirement of assessment of valuation of such investments is **not applicable** to the Company.
2	Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	The Company has IT Systems in place to process all the accounting transactions. All accounting entries are captured in computerized system and account is generated after authorization and closing of all entries. Hence, there are no implications of processing of accounting transactions outside IT system.
3	Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilised as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.	During the course of audit, it has been verified that the Company has **not received any grants, subsidies, or funds from Central/State Government or their agencies** during the financial year under review. Accordingly, there were no instances requiring examination of accounting treatment, utilization of funds, or recognition of interest earned on such grants. Hence, the reporting requirement under this direction is **not applicable**.
4	Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	On verification, it is noted that the Company has **not formally identified key risk areas** nor formulated a documented **Risk Management Policy** during the financial year under review. Consequently, aspects relating to adoption of global best practices, identification and valuation of data assets, and mitigation measures do not arise. Accordingly, the requirement under this direction is **not applicable** to the Company.

Sl. No.	Questioners	Auditor's Reply
5	Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.	The Company is **not listed on any stock exchange** and therefore the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, are **not applicable**. Further, during the audit, it was noted that there are no operations or activities that require compliance with SEBI regulations or other sector-specific regulatory requirements mentioned in the direction (such as Department of Investment and Public Asset Management, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology, or National Payments Corporation of India). Accordingly, the reporting requirement under this direction is **not applicable** to the Company.

FOR SUDHIR KUMAR JAIN & ASSOCIATES
(Chartered Accountants)
Firm Regn No: 318016E

CA. Ravi Kumar (Partner)
Membership No.303138

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

UDIN:- 25303138BMGYAX2800

Annexure 'D' to the Independent Auditor's Report

(Referred to in Paragraph-3 under 'Report on other legal and Regulatory Requirements' Section of our Report of Even Date)

Sl. No.	Questioners	Auditor's Reply
1	Where the Company has clear title/lease deeds for the freehold and leasehold respectively? If not Please state, the area of the freehold and lease hold land for which title/lease deeds are not available.	The company does not have any freehold and leasehold land as on 31.03.2025. However, during the FY 2023-24 the company has recognised leasehold office premises on the basis of allotment letter dated 22.01.2014 of ICAR, New Delhi, for which no leasehold agreement is executed in favour of the company.
2	Whether there are any classes of waiver/write-off of debts/loan/interest etc. If yes, the reason there for and amount involved.	There are no such cases.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with the third parties & assets as gift/grant(s) from the Government or other authorities.	There is no inventory in the company as at 31-03-2025. Further, there is also no assets received from Government or other authorities. Hence the clause is not applicable

FOR SUDHIR KUMAR JAIN & ASSOCIATES
(Chartered Accountants)
Firm Regn No: 318016E

CA. Ravi Kumar (Partner)
Membership No.303138

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

UDIN:- 25303138BMGYAX2800

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Agrinnovate India Limited
G-2, A Block, N.A.S.C. Complex,
D.P.S. Marg, New Delhi – 110012.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Agrinnovate India Limited (CIN U01400DL2011GOI226486)** (hereinafter called the 'Company'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

A. Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, **we hereby report that** in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31stMarch, 2025 ('Audit Period') complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

B. We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2025 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under (**Not Applicable to the Company during the Audit period**);

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under **Not Applicable to the Company during the Audit period**);

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (**Not Applicable to the Company during the Audit period as there were no Foreign Direct Investments, Overseas Direct Investments in the Company and no External Commercial Borrowings were made by the company);**

(v) The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act')- (**Not Applicable to the Company during the Audit period**);

(vi) We further report that, having regards to the compliance system prevailing in the Company, on examination ofthe relevant documents and records in pursuance thereof, on test check basis, the Company has generally complied withthe specifically applicable laws to the Company as identified by the Management, including Income Tax Act, 1961, Department

of Public Enterprises (DPE) Guidelines on Corporate Governance, etc., to the extent of their applicability to the Company.

C. We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards with regard to Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchange(s). **(not applicable to the Company during the audit period)**.

D. During the period under review the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above subject to the following observations:

(i) As per Section 149 of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of the relevant Rules, at least one-third of the Board should comprise Independent Directors. Additionally, DPE Guidelines mandates a minimum of two Independent Directors. However, during the period, there was no Independent Director on the Board.

(ii) Due to pending appointment of Independent Directors, the composition of the Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee was not in compliance with Sections 177 and 178 of the Companies Act, 2013 and DPE Guidelines during the period. This also resulted in non-compliance with related provisions, including quorum requirements and the separate meeting of Independent Directors

(iii) Pursuant to Section 173(1) of the Companies Act, 2013, the maximum interval between two consecutive meetings of the Board of Directors shall not exceed 120 days. Further, as per the DPE, the time gap between any two Board meetings should not exceed three months. However, on examination of records, it was observed that the interval between the Board Meetings held on 29.05.2024 and 10.10.2024 exceeded both the statutory prescribed limits.

E. We further report that:

(i) the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors *except as enumerated in para D above regarding the appointment for independent Directors*. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

(ii) Generally adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were generally sent at least seven days in advance, however, sometimes notice and agenda papers were sent with short notice with the consent of the Board and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

(iii) All decisions at Board Meetings and Committee Meetings are carried out by majority as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or Committee of the Board, as the case may be.

F. We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

G. **We further report that** during the audit period there has not been any such activity having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines etc.

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "Annexure A" and forms an integral part of this report.

For VAP & Associates
Company Secretaries
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083/2021

Parul Jain
Managing Partner
M. No. F8323
C.P. No. 13901
UDIN: F008323G000844543

Date: 15.07.2025
Place: Ghaziabad

Annexure – 'A'

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT

To,
The Members,
Agrinnovate India Limited
G-2, A Block, N.A.S.C. Complex
D.P.S. Marg New Delhi – 110012

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial record. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test check basis.
4. Our Audit examination is restricted only upto legal compliances of the applicable laws to be done by the Company, we have not checked the practical aspects relating to the same.
5. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company as well as correctness of the values and figures reported in various disclosures and returns as required to be submitted by the Company under the specified laws, though we have relied to a certain extent on the information furnished in such returns.
6. The compliance by the Company of applicable financial laws such as direct and indirect tax laws has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory auditors and other designated professionals and the contents of this Report has to be read in conjunction with and not in isolation of the observations, if any, in the report(s) furnished/to be furnished by any other auditor(s)/agencies/authorities with respect to the Company.
7. Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial, and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with audit practices.
8. Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.
9. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For VAP & Associates
Company Secretaries
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083/2021

Parul Jain
Managing Partner
M. No. F8323
C.P. No. 13901
UDIN: F008323G000844543

Date: 15.07.2025
Place: Ghaziabad

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन),
पांचवां एवं सातवां तल सी.ए.जी. एनेक्स भवन,
10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
CENTRAL EXPENDITURE
(AGRICULTURE, FOOD & WATER RESOURCES),
5TH & 7TH FLOOR, CAG ANNEXE BUILDING,
10 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI-110002

गोपनीय

Dated: 25.09.2025

[illegible] 3565

सेवा में,

अध्यक्ष,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, (Agrinnovate)
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लेक्स,
डी.पी.एस. मार्ग,
नई दिल्ली - 110 012

विषय: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखों पर शून्य टिप्पणियाँ भेजी जा रही हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि

(तान्या सिंह)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

Phone: 011-23239419/23239420 Fax: [illegible] Email: [illegible]

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF AGRINNOVATE INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of **Agrinnovate India Limited** for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their **Revised Audit Report 19th September 2025** which supersedes their earlier Audit Report dated 15th July 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **Agrinnovate India Limited** for the year ended 31 March 2025 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 25.09.2025

(Tanya Singh)
Principal Director of Audit Central Expenditure
(Agriculture, Food & Water Resources)

Agrinnovate India

AGRINNOVATE INDIA LIMITED
G-2, A Block
National Agricultural Science Centre Complex
DPS Marg, New Delhi-110012
Ph.: 011-25842122, Telefax: 011-25842124
E-mail: info@agrinnovate.co.in
Website: www.agrinnovate.co.in